



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276374
CG-DL-E-21092026-276374

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 738]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948

No. 738]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 806(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की दिनांक को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.- (1) ये नियम ऐसे रेल सेवकों पर लागू होंगे जिन पर रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 लागू होते हैं:

परंतु रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025 के अधीन समाविष्ट किए गए रेल सेवक की मृत्यु होने या निःशक्तता के आधार पर सेवा से कार्यमुक्त होने पर, इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन,

निःशक्तता पेंशन और सतत परिचर भत्ता के हितलाभ, यथास्थिति, रेल सेवक या उसके कुटुंब को देय होगा, यदि रेल सेवक ने रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025 के नियम 10 के अधीन इस आशय का विकल्प चुना था:

परंतु यह और कि ऐसे रेल सेवक की बाबत, जिसकी संयुक्त राष्ट्र के निकाय के अधीन विदेश सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या निःशक्त हो जाता है, इन नियमों के अधीन कोई हितलाभ नहीं दिया जाएगा यदि उसने ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान पेंशन का अंशदान अदा न करने और रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 29 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के निकाय में की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में न करने का विकल्प चुना था।

(2)(क) किसी रेल सेवक को कोई निःशक्तता होने का मामला, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, उक्त धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा।

(ख) जहां खंड(क) में विनिर्दिष्ट रेल सेवक, इन नियमों के अधीन सेवानिवृत्त होने और हितलाभ प्राप्त करने का इच्छुक है, तो रेल सेवक को यह सलाह दी जाएगी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के अनुसार उसके पास उसी वेतन मैट्रिक्स और सेवा हितलाभों, जिनका वह अन्यथा हकदार है, के साथ सेवा जारी रखने का विकल्प है और यदि रेल सेवक सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस नहीं लेता है, तो उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जा सकती है और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता पेंशन प्रदान करने के लिए उसके मामले पर कार्रवाई की जा सकती है।

(ग) ऐसा रेल सेवक, जो किसी ऐसे स्थापन में कार्यरत है, जिसे कथित अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा(1) के परंतुक के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंधों से छूट दी गई है और जिसे निःशक्तता के कारण रेल सेवा से कार्यमुक्त किया गया है, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता पेंशन का पात्र होगा।

परंतु जहां चिकित्सा बोर्ड ने किसी रेल सेवक को, जिस प्रकृति का कार्य वह करता रहा है उससे कम श्रमसाध्य प्रकृति की सेवा और आगे करने के योग्य पाया है, तो निम्नतर पद पर नियोजित किया जाना चाहिए यदि वह इस प्रकार नियोजित होने का इच्छुक हो और यदि रेल सेवक निम्न पद पर नियोजित होने का इच्छुक नहीं है या यदि उसे निम्नतर पद पर नियोजित करने के भी कोई साधन न हो, तो उसे इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन अनुज्ञात की जा सकेगी।

(घ) यदि खंड(क) या खंड(ग) में विनिर्दिष्ट रेल सेवक को, निःशक्तता होने के बावजूद सेवा में रखा जाता है, तो उसे इन नियमों के नियम 10 के उप-नियम(5) के अनुसार निःशक्तता पेंशन के स्थान पर एकमुश्त प्रतिकर दिया जाएगा।

3. परिभाषाएं .- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक,-

(क) "दुर्घटना" से-

(i) कोई आकस्मिक और अपरिहार्य दुर्घटना अभिप्रेत है; या

(ii) सेवा के दौरान या अन्यथा किसी आपातस्थिति में निष्ठा-पूर्वक कर्तव्य करने के कारण होने वाली दुर्घटना अभिप्रेत है; किंतु इसमें हिंसा की कोई घटना सम्मिलित नहीं है;

(ख) "लेखा अधिकारी" से रेलवे का प्रधान वित्त सलाहकार अथवा रेलवे बोर्ड द्वारा इस संबंध में नियुक्त ऐसे अन्य अधिकारी अभिप्रेत हैं;

(ग) "संहिता" से समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय रेल स्थापना संहिता अभिप्रेत है;

(घ) "निःशक्तता" से किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी क्षति होती है, जो बाधाओं के साथ बातचीत में, समाज में दूसरों के साथ बराबरी से उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में अवरोध उत्पन्न करती है;

(ङ) "रोग" में अनुसूची-I में यथा उल्लिखित रोग सम्मिलित है;

(च) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "चोट" में अनुसूची-II में यथा उल्लिखित क्षति सम्मिलित है;

(ज) "एकीकृत वेतन और लेखा प्रणाली" से सेवानिवृत्ति लाभ स्वीकृत करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है;

(झ) "वेतन" संहिता के नियम 1303 में यथापरिभाषित, जो रेल सेवक प्राप्त कर रहा था,-

(i) सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने की दशा में, उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व या उसकी मृत्यु की दिनांक को; तथा

(ii) निःशक्तता होने के बावजूद सेवा में बने रहने की दशा में, यथास्थिति, चोट लगने की दिनांक या रोग होने की दिनांक पर और इसमें चिकित्सा अधिकारियों को निजी व्यवसाय के बदले में दिया जाने वाला गतिरोध वेतनवृद्धि और व्यवसायबंदी भत्ता भी सम्मिलित होगा।

(ञ) "अनुसूची" से इन नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ट) "हिंसा" से व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा कृत्य अभिप्रेत है जिससे किसी रेल सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने में, उस पर प्रहार करने या बाधा उत्पन्न करने या रोकने के द्वारा चोट पहुंचाई हो,-

(i) अपने कर्तव्य के विधिपूर्वक निर्वहन में ऐसे रेल सेवक या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा इसी प्रकार का प्रयास करना या करवाया जाना; या

(ii) अपनी सरकारी हैसियत के आधार पर;

और इसमें ऐसे कृत्य भी सम्मिलित होंगे जिससे रेल सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय घटना के स्थान पर उसकी उपस्थिति के कारण एक संपार्श्विक पीड़ित के रूप में चोट पहुंची हो।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु संहिता और रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके क्रमशः उन नियमों में हैं।

(4) निःशक्तता पेंशन और कुटुंब पेंशन स्वीकृत करने की शर्तें .- (1) इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन दी जाएगी, यदि इनमें कोई कारण संबंधी संयोजन है,-

(क) किसी रेल सेवक की निःशक्तता और रेल सेवा, या

(ख) किसी रेल सेवक की मृत्यु और रेल सेवा।

(2) निःशक्तता रेल सेवा के कारण हुई है यह तभी स्वीकार किया जाएगा, यदि यह प्रमाणित किया गया हो कि यह निःशक्तता उसे ऐसे घाव, चोट या रोग के कारण हुई है, जो कि,-

(क) रेल सेवा के कारण हुआ है; या

(ख) जो रेल सेवा से पहले या उसके दौरान हुआ हो और उसके कारण और अधिक बढ़ गया है।

(3) मृत्यु रेल सेवा के कारण हुई है यह तभी स्वीकार किया जाएगा, यदि यह प्रमाणित किया गया हो कि मृत्यु निम्नलिखित कारणों से हुई हो या नीचे दिए कारणों से जल्दी हो गई हो,-

(क) कोई घाव, चोट या रोग, जो रेल सेवा के कारण हुआ हो; या

(ख) ऐसे घाव, चोट या रोग का बढ़ना, जो रेल सेवा से पहले या उसके दौरान हुआ हो और ऐसा बढ़ना रेल सेवा के कारण हुआ हो।

(4) इन नियमों के अधीन रेल सेवक या परिवार के लिए निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति के लिए कोई आवेदन जमा करना आवश्यक नहीं होगा।

(5) यह कार्यालय अध्यक्ष का दायित्व होगा कि चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों के आधार पर किसी रेल सेवक को हुई चोट या रोग होने के कारण निःशक्तता होने या मृत्यु होने के प्रत्येक मामले पर विचार करे और चिकित्सा बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने की दिनांक से तीन मास के भीतर सक्षम प्राधिकारी को इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में मामला प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे:

परंतु इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन के दावे को, इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में निर्णय करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी को मामला प्रस्तुत करने में कार्यालय अध्यक्ष की ओर से हुए किसी विलंब के कारण अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(6) निःशक्तता पेंशन में सेवा तत्व और निःशक्तता तत्व सम्मिलित होगा, जिसे इन नियमों के नियम 10 के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(7) निःशक्तता पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, इन नियमों के नियम 11 के उप-नियम(2) के अनुसार कुटुंब पेंशन देय होगी।

5. निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन स्वीकृत करने के लिए प्राधिकारी .- (1) रेल मंत्रालय और उसके अधीन संगठनों या कार्यालयों में कार्यरत रेल सेवक की बाबत, इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन स्वीकृत करने की शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो वरिष्ठ

प्रशासनिक ग्रेड स्तर (एसएजी) से नीचे का अधिकारी न हो, जिसे यह शक्ति अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा सदस्य (वित्त) के परामर्श से प्रत्यायोजित की जाती है:

परंतु रेल मंत्रालय के अधीन किसी संगठन या कार्यालय में कार्यरत रेल सेवकों के संबंध में, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड सदस्य (वित्त) के परामर्श से, इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन स्वीकृत करने की शक्ति को उक्त संगठन या कार्यालय के ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, जो वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पद से नीचे का न हो।

(2) उप-नियम(1) के अधीन निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन स्वीकृत करने की शक्ति जिस अधिकारी को प्रत्यायोजित की गई है, वह इस शक्ति का प्रयोग ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन करेगा, जोकि अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड सदस्य (वित्त) के परामर्श से अवधारित की गई हों।

(3) इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन या निःशक्तता पेंशन स्वीकृत करने के प्रत्येक मामले की जांच अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी

(4) उप-नियम(1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन या निःशक्तता पेंशन की अनुज्ञा देने से पूर्व, अपना समाधान करेगा कि कुटुंब पेंशन या निःशक्तता पेंशन स्वीकृत करने के लिए नियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया है और चिकित्सा रिपोर्ट अनुसूची- 4में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों के आधार पर, उक्त प्राधिकारी प्रमाणित करेगा कि निःशक्तता या रेल सेवक की मृत्यु और रेल सेवा के बीच एक कारण संबंध अस्तित्व में है और यह कि मृत्यु या निःशक्तता सरकारी सेवा के कारण हुई है या बढ़ गई है।

टिप्पण 1: अनुसूची- 4 में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का उद्देश्य निःशक्तता या मृत्यु का कारण रेल सेवा अवधारित करना है:

परंतु, यदि किसी विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर, प्राधिकारी की राय है कि निःशक्तता या मृत्यु, अन्यथा अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों द्वारा सख्ती से समाविष्ट नहीं की गई है, परंतु रेल सेवा के कारण हुई है, तो वह लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करके इन नियमों के अनुसार, यथास्थिति, निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन की मंजूरी दे सकेगा।

टिप्पण 2: ऐसे रेल सेवक के मामले में जिसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हुई हो जहां चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी हो, सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन स्वीकृत कर सकता है, यदि अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि रेल सेवा और रेल सेवक की मृत्यु के बीच एक कारण संबंध है।

6. अन्य शर्तें.- (1) जहां रेलवे के अधीन सेवा-अवधि के संबंध में इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन या निःशक्तता पेंशन या उपदान स्वीकृत किया गया है, वहां मंजूरी के चालू रहने के दौरान सेवा की उक्त अवधि के लिए किसी भी अन्य नियमों के अधीन कोई पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान संदेय नहीं होगा।

(2) इन नियमों के अधीन स्वीकृत निःशक्तता पेंशन के निःशक्तता तत्व को, सरकारी सेवा में पेंशनभोगी के पुनर्नियोजन होने पर उसके वेतन नियतन के समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

7. निःशक्तता की प्रतिशतता का अवधारण.- (1) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किसी रोग या रोगों के कारण निःशक्तता की प्रतिशतता, चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(2) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी क्षति या चोटों के कारण निःशक्तता की प्रतिशतता, या ऐसा नहीं होने पर, चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(3) निःशक्तता या कृत्यकारी अक्षमता की सीमा, लाभ का भाग बनने वाले निःशक्तता तत्व की गणना के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित तालिका में दी गई रीति से अवधारित की जाएगी:-

तालिका

क्रम सं.	चिकित्सा बोर्ड द्वारा अवधारित निःशक्तता की प्रतिशतता	निःशक्तता तत्व की संगणना के लिए गणना की जाने वाली प्रतिशतता।
1	50 तक	50
2	50 से अधिक और 75 तक	75
3	75 से अधिक और 100 तक	100

परंतु उपरोक्त ब्रॉड-ब्रैंडिंग उन रेल सेवकों को लागू नहीं होगा जो सेवा में प्रतिधारित किए गए हैं।

8. चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष और अपील.- (1) निःशक्तता की सीमा पर चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों को तब तक अंतिम और बाध्यकारी माना जाए जब तक कि रेल सेवक या उसका परिवार किसी ऐसे प्राधिकारी से जिसने बोर्ड का गठन किया था, ठीक उच्चतर प्राधिकारी को अपील द्वारा पुनर्विलोकन की वांछा नहीं करता है।

(2) चिकित्सा बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी और निम्नलिखित रीति से विचार किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(i) परीक्षा करने वाले चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों को कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के एक मास के भीतर संबंधित रेल सेवक या उसके परिवार को अवगत कराया जाएगा और संबंधित रेल सेवक, यदि वह ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने की वांछा करता है, तो उसे वह ऐसी दिनांक से जिसको चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष उसको अवगत कराए गए थे, एक मास के भीतर अपने मामले के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य के साथ ऐसा करेगा;

(ii) जहां कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी या निःशक्तता के कारण रेल सेवक स्वयं इस खंड के अधीन अपील प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, कार्यालय अध्यक्ष रेल सेवक के पति या पत्नी या पति या पत्नी की अनुपस्थिति में, रेल सेवक की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र कुटुंब के सदस्य को उक्त अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा और यदि रेल सेवक की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कुटुंब का कोई भी सदस्य पात्र नहीं है, तो कुटुंब के उस सदस्य को, जिसके पक्ष में रेल सेवक द्वारा उपदान के भुगतान के लिए नामनिर्देशन किया गया था, उक्त अपील को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी;

(iii) रेल सेवक की पहली बार परीक्षा करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के विनिश्चय में गलती होने की संभावना के बारे में किसी साक्ष्य के रूप में रेल सेवक या उसके परिवार द्वारा प्रस्तुत किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर, उस चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जिसने इस आशय का प्रमाणपत्र दिया है ये टिप्पणी न दी जाए कि उक्त प्रमाणपत्र इस तथ्य की पूरी जानकारी से दिया गया है कि उस व्यक्ति की परीक्षा, किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहले ही की जा चुकी है जिसने ऐसी चोट या रोग होने के बारे में अपना मत दिया है जिसके संबंध में रेल सेवक ने असाधारण परिस्थितियों के अधीन हितलाभों के लिए आवेदन किया है;

(iv) जहां खंड (i) या खंड (ii) के अधीन अपील खंड (iii) में विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित है, इन नियमों के नियम 5 में विनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारी द्वारा एक पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाएगा;

(v) खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में, सर्वप्रथम अपील चिकित्सा बोर्ड की टिप्पणियों के साथ जिसने प्रथमतः उसकी परीक्षा की थी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या महानिदेशक, रेल स्वास्थ्य सेवा, रेल मंत्रालय, जैसा भी मामला हो, को विनिर्दिष्ट की जाएगी और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या महानिदेशक, रेल स्वास्थ्य सेवा, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत साक्ष्य पर सलाह देगा कि क्या परीक्षा करने वाले चिकित्सा बोर्ड जिसने प्रथमतः चिकित्सा परीक्षा की थी, की ओर से निर्णय में कोई गलती हुई है तथा क्या अपील स्वीकृत की जानी चाहिए या नहीं। यदि अपील स्वीकृत की जाती है तो यह भी तय किया जाएगा कि पुनः परीक्षा किसके द्वारा की जाएगी;

(vi) खंड (iv) या खंड (v) के अधीन गठित पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड में ऐसा कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं होगा जो उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा था जिसने प्रारंभ में रेल सेवक की परीक्षा की थी और जिसके निष्कर्षों के विरुद्ध रेल सेवक या उसके परिवार ने अपील की थी, जैसा भी मामला हो;

(vii) जहां खंड (iv) या खंड (v) के अधीन कोई पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड गठित किया गया है, पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष सभी पक्षों पर बाध्यकारी होंगे;

(viii) यथास्थिति, चिकित्सा बोर्ड या पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड द्वारा अवधारित निःशक्तता की सीमा को अंतिम माना जाएगा और रेल सेवक से किसी ऐसे प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ कि निःशक्तता लगातार बनी हुई है, आवधिक रूप से चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

9. मृत्यु और निःशक्तता के मामलों का वर्गीकरण .- (1) मृत्यु या निःशक्तता के मामलों को उन परिस्थितियों के आधार पर जिनमें मृत्यु या निःशक्तता होती है, निम्नलिखित विशिष्ट प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) प्रवर्ग 'क'.- मृत्यु या निःशक्तता रेल सेवा के कारण न होकर प्राकृतिक कारणों से हुई हो और रेल सेवक की मृत्यु या निःशक्तता और रेल सेवा के बीच कोई कारण संबंधी संयोजन नहीं है।

(ख) प्रवर्ग 'ख' .- मृत्यु या निःशक्तता जिसका कारण रेल सेवा माना गया है या जो रेल सेवा के कारण बड़ी हो। इनमें सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(i) ऐसे रोग जो (क) प्रतिकूल कार्य वातावरण, या (ख) व्यावसायिक खतरों या अत्यधिक गर्म या ठंडे वातावरण की स्थिति में लगातार कार्य करने के कारण हुए हों, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या निःशक्तता हुई हो; या

(ii) कर्त्तव्य के दौरान ऐसी दुर्घटनाएं, जो प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन नहीं आती हैं।

(ग) प्रवर्ग 'ग' :- मृत्यु या निःशक्तता, - (i) कर्त्तव्य करते समय या अन्यथा, सार्वजनिक स्थानों पर आतंकवादियों, उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसक कृत्यों के कारण और रेल सेवकों के विरुद्ध विशेष रूप से लक्षित नहीं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों या परिवहनों में बम विस्फोट, लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने की घटनाएं आदि भी सम्मिलित हैं;

(ii) किसी साथी रेल सेवकों द्वारा हिंसक कार्रवाई या प्रहार करने के कारण;

(iii) प्रदर्शनकारियों या लोक सेवकों द्वारा दंगों या विद्रोह के कारण, आंदोलन का दमन करने में सिविल प्रशासन की सहायता हेतु काम में लगाए गए अन्य रेल सेवकों को लगी चोटों के मामले;

(iv) प्राकृतिक आपदा, हिमस्खलन, बर्फ़ीला तूफ़ान, अचानक बाढ़ या बादल फटना या भूस्खलन, गरज, बिजली, अत्यधिक गर्मी रेगिस्तानी इलाकों में रेतीले तूफ़ान आदि जैसी चरम मौसम की स्थिति के कारण विनिर्दिष्ट ऊंचाई, दुर्गम कर्त्तव्य चौकियों आदि में कर्त्तव्य के दौरान घटित;

(v) बचाव कार्यों अर्थात् अग्निशामक, बाढ़, तूफ़ान, आदि के दौरान घटित।

(घ) प्रवर्ग 'घ' :- निम्नलिखित के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु या निःशक्तता, -

(i) रेल सेवक पर आतंकवादियों, उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हमला;

(ii) आतंकवादियों, उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि के विरुद्ध कार्रवाई;

(iii) अंतरराष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर मुठभेड़ और युद्ध-तुल्य स्थितियों में शत्रु की कार्रवाई;

(iv) युद्धग्रस्त विदेशी देश से भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान;

(v) किसी कार्रवाई क्षेत्र में जाते समय वहां से लौटते समय चरमपंथी कृत्यों, खानों का विस्फोट आदि, उग्रवादियों द्वारा अपहरण, असली गोला बारूद के साथ प्रशिक्षण अभ्यास, युद्ध प्रशिक्षण अभ्यासों, पूर्वाभ्यासों के लिए बनाई गई वास्तविक युद्ध-तुल्य स्थितियों जैसे सिमुलेशन अभ्यास, आदि।

2(i) असाधारण कुटुंब पेंशन या निःशक्तता पेंशन की मंजूरी के लिए प्रवर्ग 'ख', प्रवर्ग 'ग' और प्रवर्ग 'घ' के अधीन आने वाले मामलों की परिस्थितियों की उदाहरण सूची जिनमें रेल सेवक की मृत्यु या निःशक्तता का कारण रेल सेवा माना गया है, अनुसूची-1॥ में विनिर्दिष्ट है।

(ii) अनुसूची-1II में सूची उदाहरणात्मक है और मृत्यु या निःशक्तता के ऐसे मामले जो अनुसूची-III की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, परंतु इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन स्वीकृत करने की शर्तों को अन्यथा पूरा करते हैं, पर निर्णय उन परिस्थितियों के आधार पर लिया जाएगा जिनमें मृत्यु या निःशक्तता हुई थी।

(3) उप-नियम (1) में प्रवर्ग 'क' के अधीन किसी रेल सेवक की निःशक्तता या मृत्यु होने पर पेंशन और कुटुंब पेंशन रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी और उप-नियम (1) में प्रवर्ग 'ख', प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन किसी रेल सेवक की निःशक्तता या मृत्यु होने पर पेंशन और कुटुंब पेंशन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

10. निःशक्तता पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम.- (1) यदि कोई रेल सेवक प्रवर्ग 'ख', प्रवर्ग 'ग', या प्रवर्ग 'घ' में दी गई निःशक्तता के कारण रेल सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है, तो उसे नियम 7 के अधीन अवधारित निःशक्तता के प्रतिशत के अनुसार निःशक्तता पेंशन दी जाएगी।

(2)(i) प्रवर्ग 'ख', प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन सेवामुक्त होने पर निःशक्तता पेंशन में एक सेवा तत्व और एक निःशक्तता तत्व सम्मिलित होगा और सभी प्रवर्गों में सेवा तत्व परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों, जो भी रेल सेवक के लिए लाभकारी हो, के पचास प्रतिशत की दर से सामान्य पेंशन के बराबर होगा और प्रत्येक प्रवर्ग के लिए निःशक्तता तत्व की दरें उप-नियम(3) में विनिर्दिष्ट दरें होंगी।

(ii) प्रवर्ग 'ख', प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन निःशक्तता पेंशन के सेवा तत्व या निःशक्तता तत्व अर्जित करने के लिए वस्तुतः की गई न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी, यदि अन्यथा देय हो और निःशक्तता पेंशन का सेवा तत्व उन मामलों में भी देय होगा जहां अर्हक सेवा दस वर्ष से कम है परंतु ऐसे मामलों में कोई सेवा उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

(iii) इस नियम के अधीन निःशक्तता पेंशन की रकम अठारह हजार रुपए प्रतिमास से कम नहीं होगी।

(iv) इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों का निर्धारण रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के क्रमशः नियम 31 और नियम 32 के अनुसार किया जाएगा।

(3)(i) प्रवर्ग 'ख' के अधीन किसी रेल सेवक को सेवामुक्त करने पर देय निःशक्तता पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम निम्नानुसार होगी-

(क) शत-प्रतिशत निःशक्तता के लिए, निःशक्तता पेंशन में उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा तत्व के साथ-साथ परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के तीस प्रतिशत की दर से, जो भी रेल सेवक के लिए लाभकारी हो, निःशक्तता तत्व सम्मिलित होगा और निःशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता के लिए, निःशक्तता पेंशन का निःशक्तता तत्व आनुपातिक रूप से निम्नतर होगा।

(ख) सेवानिवृत्ति उपदान, सेवामुक्ति की दिनांक तक परिलब्धियों और अर्हक सेवा के आधार पर रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 45 के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

(ii) प्रवर्ग 'ग' के अधीन रेल सेवक को सेवामुक्त करने पर देय निःशक्तता पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम निम्नानुसार होगी-

(क) शत-प्रतिशत निःशक्तता के लिए, निःशक्तता पेंशन में उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा तत्व के साथ-साथ परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के तीस प्रतिशत की दर से, जो भी रेल सेवक के लिए लाभकारी हो, निःशक्तता तत्व सम्मिलित होगा और निःशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता होने पर, मासिक निःशक्तता पेंशन का निःशक्तता तत्व आनुपातिक रूप से निम्नतर होगा।

(ख) सेवानिवृत्ति उपदान रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के नियम 45 के अनुसार अनुज्ञेय होगा। जिसका रेल सेवक, सेवामुक्त होने की दिनांक पर अपनी परिलब्धियों के आधार पर हकदार होता, परंतु अर्हक सेवा की गणना उस दिनांक तक की जाती है, जिस दिनांक को वह सामान्य अवधि में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होता।

(iii) प्रवर्ग 'घ' के अधीन रेल सेवक को सेवामुक्त करने पर देय निःशक्तता पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम निम्नानुसार होगी-

(क) शत-प्रतिशत निःशक्तता के लिए, निःशक्तता पेंशन में उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा तत्व के साथ-साथ परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के तीस प्रतिशत की दर से, जो भी रेल सेवक के लिए लाभकारी हो, निःशक्तता तत्व सम्मिलित होगा और निःशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता के होने पर, मासिक निःशक्तता पेंशन का निःशक्तता तत्व आनुपातिक रूप से निम्नतर होगा।

(ख) सेवानिवृत्ति उपदान रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के नियम 45 के अधीन यथास्वीकार्य होगा जिसका रेल सेवक, सेवामुक्त होने की दिनांक पर अपनी परिलब्धियों के आधार पर हकदार होता, परंतु अर्हक सेवा की गणना उस दिनांक तक की जाती है, जिस दिनांक को वह सामान्य अवधि में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होता।

(4) रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 44 के उप-नियम (6) के अधीन अस्सी वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को स्वीकार्य पेंशन की अतिरिक्त मात्रा भी इन नियमों के अधीन प्रदत्त निःशक्तता पेंशन पर अनुज्ञेय होगी।

(5)(क) यदि रेल सेवक को कोई चोट या रोग होने के कारण निःशक्तता होने के बावजूद भी ऐसी सेवा में रखा जाता है, तो उसे आवधिक रूप से प्रवृत्त संराशीकरण सारणी के निर्देश से ऐसे निःशक्तता तत्व के पूंजीगत मूल्य पर पहुंचकर निःशक्तता पेंशन के निःशक्तता तत्व के स्थान पर एकमुश्त प्रतिकर संदत्त किया जाएगा।

परंतु इन नियमों के नियम 7 के उप-नियम (3) में यथाउपबंधित ब्रॉड-बैंडिंग ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा।

(ख) एकमुश्त प्रतिकर की राशि का निर्धारण करने के लिए निःशक्तता पेंशन के सेवा तत्व को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

उदाहरण.- ऐसा रेल सेवक जिसने 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और यथास्थिति, क्षति होने की दिनांक या रोग होने की दिनांक से प्रतिमास 30,000/- रुपए का मूल वेतन आहरित कर रहा है और जिसे प्रवर्ग 'ख' में 40 प्रतिशत निःशक्तता होने के बावजूद रेल सेवा में रखा जाता है, के मामले में निःशक्तता पेंशन के स्थान पर एकमुश्त प्रतिकर की रकम निम्नानुसार होगी-

रु. $30,000 \times 30/100$ (निःशक्तता पेंशन का निःशक्तता तत्व) $\times 40/100$ (निःशक्तता का प्रतिशत) $\times 9.075$ (अगले जन्मदिन पर 41 वर्ष की आयु के लिए संराशीकरण फैक्टर) $\times 12$ (एक वर्ष में महीनों की संख्या) =
रु. 3,92,040/-

(6) उप-नियम(5) के प्रयोजन के लिए, चोट लगने की दिनांक' वास्तविक दिनांक होगी, जिस दिनांक को दुर्घटना या हिंसा के मामले में चोट लगी हो, या ऐसी अन्य दिनांक जो नियम 5 के अधीन निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए और 'रोग की दिनांक' वह दिनांक होगी, जो नियम 5 के अधीन निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन स्वीकृत करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा बोर्ड की राय को ध्यान में रख कर नियत की गई हो:

परंतु ऐसी नियत की गई चोट लगने की दिनांक चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट की दिनांक से बाद की दिनांक, नहीं होगी और ऐसी नियत की गई रोग होने की दिनांक चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट की दिनांक से बाद की दिनांक, नहीं होगी।

(7) ऐसे पेंशनभोगी के मामले में, जो इन नियमों के अधीन शत-प्रतिशत निःशक्तता के लिए निःशक्तता पेंशन का पात्र है और जिसके मामले में स्वीकृत निःशक्तता या निःशक्तताओं की स्थिति के आधार पर, चिकित्सा बोर्ड की राय है कि पेंशनभोगी दिन-प्रतिदिन के लिए क्रियाकलापों के लिए पूर्णतः दूसरों पर आश्रित है और उसे एक सतत परिचर की सेवाओं की आवश्यकता है, तो उसे समय-समय पर सरकार द्वारा तय की गई दर पर सतत परिचर भत्ता दिया जाएगा और मासिक निःशक्तता पेंशन के अतिरिक्त सतत परिचर भत्ता आजीवन देय होगा किंतु सतत परिचर भत्ते पर कोई मंहगाई राहत देय नहीं होगी।

11. कुटुंब पेंशन की रकम .- (1) इन नियमों के नियम 12 के उपबंधों के अध्याधीन,-

(क) प्रवर्ग 'ख' के अधीन रेल सेवक की मृत्यु पर देय कुटुंब पेंशन की रकम वेतन का साठ प्रतिशत होगी, और

(ख) प्रवर्ग 'ग' और प्रवर्ग 'घ' के अधीन रेल सेवक की मृत्यु पर देय कुटुंब पेंशन की रकम वेतन के सौ प्रतिशत के बराबर होगी।

(2) ऐसे पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, जो इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन प्राप्त कर रहा था, उसका परिवार, रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के नियम 50 के अनुसार कुटुंब पेंशन का हकदार होगा:

परंतु ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी की मृत्यु सात वर्ष के भीतर, उसी चोट या रोग के कारण होती है, जिसके कारण निःशक्तता होने पर उसे कार्यमुक्त किया गया था, उसका परिवार इन नियमों के अधीन रेल सेवक की मृत्यु पर यथास्वीकार्य कुटुंब पेंशन का हकदार होगा,-

(i) उसी प्रवर्ग में जिसके अधीन निःशक्तता पेंशन स्वीकृत की गई थी; और

(ii) ऐसी दर पर जो तब अनुज्ञेय होती जब रेल सेवक की सेवा के दौरान उस चोट या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप वह निःशक्त हुआ था।

टिप्पण: यह प्रश्न कि क्या पेंशनभोगी की मृत्यु उसी क्षति या रोग के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी निःशक्तता हुई है, इन नियमों के नियम 5 के अधीन कुटुंब पेंशन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित एक चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्णित किया जाएगा।

(3) इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए वेतन उसी रीति से अवधारित किया जाएगा जैसा कि रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के नियम 50 के अधीन कुटुंब पेंशन के मामले में किया जाता है।

(4) इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम अठारह हजार रुपए प्रतिमास से कम नहीं होगी।

12. कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए परिवार के सदस्यों की पात्रता.- (1) इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन मृतक रेल सेवक के कुटुंब के सदस्यों को निम्नलिखित पूर्वता-क्रम में संदेय होगी, अर्थात् :-

(i) उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन, विधवा या विधुर;

(ii) उप-नियम (4) के उपबंधों के अधीन, आश्रित बालक जिसके अधीन दत्तक बालक और सौतेले बालक भी हैं;

(iii) उप-नियम (5) के उपबंधों के अधीन, माता-पिता जिसके अधीन दत्तक माता-पिता भी हैं;

(iv) उप-नियम (6) के उपबंधों के अधीन, आश्रित सहोदर अर्थात् भाई या बहन।

स्पष्टीकरण 1 .- इस नियम में प्रयुक्त 'विधवा' और 'विधुर' शब्द से मृतक रेल सेवक के साथ विधिक तौर पर विवाहित पति या पत्नी अभिप्रेत होगा।

स्पष्टीकरण 2 .- इन नियमों के इस नियम में 'रेल सेवक' शब्द में ऐसा पेंशनभोगी सम्मिलित होगा, जो इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन प्राप्त कर रहा था, और जिसकी मृत्यु के पश्चात्, परिवार नियम 11 के उप-नियम (2) के परंतुक के अनुसार कुटुंब पेंशन का हकदार है।

(2) (क) उप-नियम (3) के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च), उप-नियम (4) के खंड (छ) और खंड (ज) के उपखंड (iii) के परंतुक में यथाउपबंधित के सिवाय, इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन एक ही समय में मृतक रेल सेवक के कुटुंब के एक से अधिक सदस्य को संदेय नहीं होगी।

(ख) जहां कुटुंब पेंशन एक ही समय में कुटुंब के एक से अधिक सदस्य को संदेय है, यदि कुटुंब पेंशन के अंश में रुपये का कोई भाग हो, तो उसे अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

(3)(क) खंड (ख) के उपबंधों के अधीन, यदि मृतक रेल सेवक के कुटुंब में कोई उत्तरजीवी विधवा या विधुर है, तो कुटुंब पेंशन इन नियमों के नियम 11 में विनिर्दिष्ट दर पर, ऐसे विधवा या विधुर को मृत्यु की दिनांक तक या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो, यथास्थिति, प्रवर्ग 'ख' या प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन देय होगी और विधवा या विधुर की मृत्यु या पुनर्विवाह होने पर, कुटुंब पेंशन खंड (ख) और उप-नियम(4), उप-नियम (5) और उप-नियम (6) के अनुसार संदेय होगी।

स्पष्टीकरण: कुटुंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर की पात्रता उसके किसी अन्य स्रोत से आय की रकम से प्रभावित नहीं होगी।

(ख) (i) जहां मृतक रेल सेवक की विधवा अपने मृतक पति के भाई से पुनर्विवाह करती है और मृतक के अन्य आश्रितों के साथ सामुदायिक जीवन जारी रखती है, या उनके जीवन-यापन में योगदान देती है, उसको कुटुंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा।

(ii) उपखंड (i) के द्वारा समाविष्ट नहीं किए गए मामले में, जहां मृतक रेल सेवक की उत्तरजीवी निःसंतान विधवा है, उक्त निःसंतान विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने पर, उसको कुटुंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा, यदि सभी अन्य स्रोतों से उसकी आय इन नियमों के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम और उस पर अनुज्ञेय मंहगाई राहत से कम हो:

परंतु यदि निःसंतान विधवा के पुनर्विवाह करने के पश्चात् उसकी आय सभी अन्य स्रोतों से इन नियमों के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम और उस पर अनुज्ञेय मंहगाई राहत के समतुल्य या अधिक हो जाती है, तो कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी और मृतक रेल सेवक के परिवार के अन्य पात्र सदस्य, यदि कोई हो, को इस नियम के अनुसार संदेय होगी।

(iii) उपखंड (i) या उपखंड (ii) द्वारा समाविष्ट नहीं किए गए मामले में, जहां मृतक रेल सेवक की उत्तरजीवी विधवा है जो प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्र है, उस विधवा का पुनर्विवाह होने पर, उसके पुनर्विवाह की दिनांक के बाद की दिनांक से, उसे कुटुंब पेंशन की दर से और रेल सेवा सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के नियम 50 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन कुटुंब पेंशन देय होगी और ऐसे मामले में, कुटुंब पेंशन, उप-नियम (4) या उप-नियम (5) या उप-नियम (6) के अनुसार परिवार के अन्य पात्र सदस्य, यदि कोई हो, को भी देय होगी और पुनर्विवाह के पश्चात् विधवा की मृत्यु होने पर, उसे देय कुटुंब पेंशन, कुटुंब के किसी अन्य सदस्य को देय नहीं होगी।

(ग) जहां मृतक रेल सेवक की एक से अधिक उत्तरजीवी विधवाएं हैं, विधवाओं को बराबर अंशों में कुटुंब पेंशन का संदाय होगा और विधवा की मृत्यु या अपात्रता होने पर, यदि प्रवर्ग 'ख' के अधीन कुटुंब पेंशन देय है, तो उसके अंश का शत प्रतिशत या यदि प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन कुटुंब पेंशन देय है, तो उसके अंश का साठ प्रतिशत, उसके बालक या बालकों को देय होगा, जो उप-नियम (4) में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करता है या करते हैं।

(घ) यदि विधवा की कोई उत्तरजीवी संतान नहीं है, तो कुटुंब पेंशन का उसका अंश समाप्त नहीं होगा, किंतु दूसरी विधवाओं को बराबर अंशों में देय होगा, या केवल एक ही विधवा हो, तो पूर्ण रूप से, उसे देय होगा।

(ङ) (i) जहां मृतक रेल सेवक की कुटुंब पेंशन के लिए किसी पात्र बालक के बिना कोई उत्तरजीवी विधवा हो किंतु उसने किसी अन्य पत्नी से, जो जीवित नहीं है, पात्र बालक या बालकों को छोड़ा है, तो ऐसा या ऐसे बालक, जो उप-नियम (4) में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करता है या करते हैं, प्रवर्ग 'ख' के अधीन अंश को सौ प्रतिशत या प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन अंश के साठ प्रतिशत का हकदार होगा, जो माता को उस दशा में मिलता, यदि वह रेल सेवक की मृत्यु के समय जीवित होती।

(ii) ऐसे बालक या बालकों को देय कुटुंब पेंशन के अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किंतु उप-नियम (4) के अनुसार अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं या अन्य बालक या बालकों को, बराबर अंशों में, देय होगा या यदि केवल एक ही विधवा या बालक हो, तो ऐसी विधवा या बालक को पूर्ण रूप से देय होगा।

(iii) विधवा या विधवाओं को देय कुटुंब पेंशन के अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किंतु उप-नियम (4) के अनुसार अन्यथा पात्र अन्य बालक या बालकों को, यदि प्रवर्ग 'ख' के अधीन कुटुंब पेंशन

देय है, तो अंश का सौ प्रतिशत या यदि प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन कुटुंब पेंशन देय है, तो अंश का साठ प्रतिशत बराबर अंशों में देय होगा, या केवल एक ही बालक हो, तो ऐसे बालक को, पूर्ण रूप से देय होगा:

परंतु यदि मृतक रेल सेवक की कुटुंब पेंशन के लिए उत्तरजीवी विधवा का पात्र एक या एक से अधिक बालक हैं, तो उस विधवा की मृत्यु होने पर, उसके बालक या बालकों को, यथास्थिति, यदि कुटुंब पेंशन प्रवर्ग 'ख' के अधीन देय हो, तो उसके अंश का शत प्रतिशत, या यदि कुटुंब पेंशन प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन देय हो, तो उसके अंश का साठ प्रतिशत, उप-नियम (4) के अनुसार संदेय होगा:

परंतु यह और कि यदि मृतक रेल सेवक की कुटुंब पेंशन के लिए पात्र बालक या बालकों सहित उत्तरजीवी विधवा है, तो पुनर्विवाह होने के कारण विधवा को देय कुटुंब पेंशन के अंश का संदाय बंद होने पर, उसके बालक या बालकों को, प्रवर्ग 'ख' के अधीन कुटुंब पेंशन का उसका अंश उप-नियम (4) के अनुसार संदेय होगा।

(च) (i) जहां मृतक रेल सेवक कुटुंब पेंशन के लिए किसी पात्र बालक के बिना ही विधवा छोड़ जाता है, किंतु तलाकशुदा पत्नी या पत्नियों से पात्र एक या एक से अधिक बालक अपने पीछे छोड़ जाता है, ऐसा एक या एक से अधिक बालक जो उप-नियम (9) में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करता है या करते हैं, प्रवर्ग 'ख' के अधीन अंश के सौ प्रतिशत या प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन अंश के साठ प्रतिशत का हकदार होगा, जो रेल सेवक की मृत्यु के समय माता को मिलता यदि उसका तलाक नहीं हुआ होता।

(ii) ऐसे बालक या बालकों को देय कुटुंब पेंशन के अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किंतु उप-नियम (4) के अनुसार अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बालक या बालकों को, बराबर अंशों में देय होगा, या केवल एक ही विधवा या बालक हो, तो ऐसी विधवा या बालक को पूर्ण रूप से देय होगा।

(iii) किसी विधवा या विधवाओं को देय कुटुंब पेंशन के अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसे अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किंतु यदि कुटुंब पेंशन, प्रवर्ग 'ख' के अधीन देय है, उसके अंश का सौ प्रतिशत या प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन देय है, उसके अंश का साठ प्रतिशत, उप-नियम (4) के अनुसार अन्य बालक या बालकों को, बराबर अंशों में देय होगा, या केवल एक ही बालक हो, तो ऐसे बालक को पूर्ण रूप से संदेय होगा:

परंतु यदि मृतक रेल सेवक की कुटुंब पेंशन के लिए पात्र उत्तरजीवी विधवा जिसके एक या एक से अधिक बालक हैं, तो विधवा की मृत्यु होने पर, उसके बालक या बालकों को, उप-नियम (4) के अनुसार, यदि कुटुंब पेंशन प्रवर्ग 'ख' के अधीन देय है, उसके अंश का सौ प्रतिशत या प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन देय है, उसके अंश का साठ प्रतिशत अंश, संदेय होगा:

परंतु यह और कि यदि मृतक रेल सेवक की कुटुंब पेंशन के लिए पात्र बालक या बालकों सहित उत्तरजीवी विधवा है, तो पुनर्विवाह होने के कारण विधवा को देय कुटुंब पेंशन का संदाय बंद होने पर, प्रवर्ग 'ख' के अधीन कुटुंब पेंशन का उसका अंश, उप-नियम (4) के अनुसार, उसके बालक या बालकों को, देय होगा।

(छ) (i) जहां कोई मृतक रेल सेवक कुटुंब पेंशन के लिए किसी पात्र बालक के बिना ही विधवा छोड़ जाता है, किंतु अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे पात्र बालक या बालकों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो अमान्य या अमान्यकरणीय

विवाह से जन्मे बालक जो उप-नियम (4) में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करता है या करते हैं, प्रवर्ग 'ख' के अधीन अंश का सौ प्रतिशत या प्रवर्ग 'ग' अथवा प्रवर्ग 'घ' के अधीन अंश के साठ प्रतिशत हकदार होगा, जो रेल सेवक की मृत्यु होने के समय माता को मिलता यदि उसका विवाह अमान्य या अमान्यकरणीय नहीं हुआ होता।

(ii) ऐसे बालक या बालकों को देय कुटुंब पेंशन के अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किंतु उप-नियम (4) के अनुसार, अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बालक या बालकों को, बराबर अंशों में देय होगा, या केवल एक ही विधवा या बालक हो, तो ऐसी विधवा या बालक को पूर्ण रूप से देय होगा।

(iii) विधवा या विधवाओं को देय कुटुंब पेंशन के अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसे उल्लिखित अंश समाप्त नहीं होंगे, किंतु यदि कुटुंब पेंशन प्रवर्ग 'ख' के अधीन देय है, तो अंश का सौ प्रतिशत या यदि कुटुंब पेंशन प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन देय है, तो उसके अंश का साठ प्रतिशत, उप-नियम (4) के अनुसार अन्यथा अन्य पात्र बालक या बालकों को, बराबर अंशों में देय होगा, या यदि केवल एक ही बालक है, तो ऐसे बालक को पूर्ण रूप से देय होगा:

परंतु यदि मृतक रेल सेवक की कुटुंब पेंशन के लिए पात्र उत्तरजीवी विधवा जिसके एक या एक से अधिक बालक हैं, तो उस विधवा की मृत्यु होने पर, उप-नियम (4) के अनुसार, यदि कुटुंब पेंशन प्रवर्ग 'ख' के अधीन देय है, उसके अंश का शत प्रतिशत, या यदि कुटुंब पेंशन प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन देय है, उसके अंश का साठ प्रतिशत, उसके बालक या बालकों को देय होगा:

परंतु यह और कि यदि मृतक रेल सेवक की कुटुंब पेंशन के लिए पात्र उत्तरजीवी विधवा जिसका एक या एक से अधिक बालक हैं, तो पुनर्विवाह होने के कारण विधवा को संदेय कुटुंब पेंशन का अंश समाप्त होने पर, उप-नियम(4) के अनुसार, प्रवर्ग 'ख' के अधीन कुटुंब पेंशन का उसका अंश, उसके बालक या बालकों को, देय होगा।

(ज) जहां कोई मृतक रेल सेवक अपने पीछे न्यायिक: पृथक्कृत विधवा या विधुर को छोड़ जाता है और कोई एक या एक से अधिक बालक नहीं हैं, तो मृतक की बाबत कुटुंब पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को देय होगी।

(झ) जहां कोई मृतक रेल सेवक अपने पीछे न्यायिक: पृथक्कृत विधवा या विधुर के साथ किसी अवयस्क बालक या बालकों या मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त बालक या बालकों को छोड़ जाता है, तो मृतक की बाबत कुटुंब पेंशन, यदि कुटुंब पेंशन प्रवर्ग 'ख' के अधीन देय है, तो अंश का सौ प्रतिशत या यदि कुटुंब पेंशन प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन देय है, तो अंश का साठ प्रतिशत, उत्तरजीवी व्यक्ति को देय होगी परंतु वह ऐसे बालक या बालकों का संरक्षक हो और यदि ऐसे बालक या बालकों के लिए उत्तरजीवी व्यक्ति के संरक्षक न बने रहने पर, ऐसी कुटुंब पेंशन उस व्यक्ति को संदेय होगी जो ऐसे बालक या बालकों का वस्तुतः संरक्षक हो:

परंतु जहां अवयस्क बालक वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात्, कुटुंब पेंशन के लिए पात्र रहता है, ऐसे बालकों को वयस्कता की आयु प्राप्त करने की दिनांक से कुटुंब पेंशन देय होगी और इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए बालक की पात्रता समाप्त होने के बाद, ऐसी कुटुंब पेंशन मृतक रेल सेवक के उत्तरजीवी न्यायिक: पृथक्कृत पति/पत्नी को उसकी मृत्यु होने या/पुनर्विवाह होने तक जो भी पहले हो, देय होगी।

(ज) जहां कोई मृतक रेल सेवक अपने पीछे न्यायिकः पृथक्कृत विधवा या विधुर छोड़ जाता है, जिसके बालक वयस्क हो चुके हैं, किंतु कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हैं, प्रवर्ग 'ख' के अधीन कुटुंब पेंशन का सौ प्रतिशत या प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन कुटुंब पेंशन का साठ प्रतिशत, रेल सेवक की मृत्यु के पश्चात्, ऐसे बालकों को देय होगा। इस नियम के अधीन बालक या बालकों के कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र होने के पश्चात्, ऐसी कुटुंब पेंशन मृतक रेल सेवक के उत्तरजीवी न्यायिकः पृथक्कृत पति या पत्नी को उसकी मृत्यु होने या पुनर्विवाह करने तक, जो भी पहले हो, देय होगी।

(ट) एक निःसंतान विधवा का अपने पुनर्विवाह के पश्चात् यह कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि सभी अन्य स्रोतों से उसकी आय इन नियमों के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम और उस पर अनुमेय महंगाई राहत से कम है।

(4)(क) यदि मृतक रेल सेवक का कोई उत्तरजीवी विधवा या विधुर नहीं है या यदि विधवा या विधुर की मृत्यु हो जाती है या पुनर्विवाह हो जाता है, तो यथास्थिति, प्रवर्ग 'ख' के अधीन कुटुंब पेंशन का सौ प्रतिशत या प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन कुटुंब पेंशन का साठ प्रतिशत, ऐसे बालक या बालकों को देय होगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :-

(i) पुत्र (मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र के अतिरिक्त), (जिसमें दत्तक पुत्र और सौतेले बेटे सम्मिलित हैं) की दशा में-अविवाहित, पच्चीस वर्ष से कम आयु और अपना जीविकोपार्जन नहीं करता हो;

(ii) पुत्री (मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त से पीड़ित पुत्री के अतिरिक्त), (जिसमें दत्तक पुत्री और सौतेली पुत्री सम्मिलित हैं) की दशा में-अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा और अपना जीविकोपार्जन नहीं करती हो;

(iii) मानसिक या शारीरिक निःशक्तता (जिसमें दत्तक पुत्र या पुत्री और सौतेला पुत्र या पुत्री सम्मिलित हैं) से पीड़ित पुत्र या पुत्री की दशा में - अपना जीविकोपार्जन नहीं कर रही/रहे हो;

(ख) पुत्र या पुत्री, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री के अतिरिक्त, द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं करना समझा जाएगा यदि कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उसकी आय इन नियमों के नियम 11 के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

(ग) मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं करना समझा जाएगा यदि कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उसकी कुल आय, संबंधित रेल सेवक की मृत्यु पर देय पात्र कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

(घ) जहां कोई मृतक रेल सेवक एक से अधिक बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो कुटुंब पेंशन सर्वप्रथम पच्चीस वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को उनके जन्म के क्रम में, देय होगी जो कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों।

(ङ) ज्येष्ठ बालक तब तक कुटुंब पेंशन का हकदार होगा जब तक कि वह पच्चीस वर्ष का नहीं हो जाता या विवाह या पुनर्विवाह कर लेता है या अपनी आजीविका उपार्जन प्रारंभ कर देता है, इनमें से जो भी पहले हो और बालकों में सबसे छोटा कुटुंब पेंशन पाने का पात्र तब होगा, जब उससे ज्येष्ठ के पच्चीस वर्ष का हो जाने पर या विवाह या पुनर्विवाह कर लेने पर या अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ करने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर, उससे अगला बालक कुटुंब पेंशन पाने का पात्र हो जाएगा।

(च) जहां कि नियम के अधीन कुटुंब पेंशन किसी अवयस्क को स्वीकृत की जाए, उस अवयस्क को संरक्षक के माध्यम से संदेय होगी।

(छ) जहां कुटुंब पेंशन जुड़वां बालकों को देय हो, यह ऐसे बालकों को बराबर अंशों में संदेय होगी और जब उनमें से एक की पात्रता समाप्त हो जाए, तो उसका अंश दूसरे बालक को देय होगा और जब दोनों की पात्रता समाप्त हो जाए है तो कुटुंब पेंशन अगले पात्र एकल बालक या जुड़वां बालकों को देय होगी।

(ज) जहां किसी मृतक रेल सेवक के पच्चीस वर्ष से कम आयु के और कुटुंब पेंशन के लिए पात्र उत्तरजीवी पुत्र या पुत्री न हों अथवा ऐसे पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई हो या कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो गई हो, तो ऐसे पुत्र या पुत्री को जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो या शारीरिक रूप से निःशक्त या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), में विनिर्दिष्ट किसी अन्य निःशक्तता से ग्रस्त हो जिसके कारण पच्चीस वर्ष की आयु का हो जाने पर भी वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ हो, को निम्न शर्तों के अधीन कुटुंब पेंशन आजीवन देय होगी, अर्थात् :-

(i) रेल सेवक या उसके पति/पत्नी की मृत्यु से पहले निःशक्तता विद्यमान हो;

(ii) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री सरकारी सेवक के दो या दो से अधिक बच्चों में से एक हो, तो प्रारंभ में कुटुंब पेंशन खंड (घ) में उपवर्णित क्रम में पच्चीस वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को तब तक देय होगी जब तक कि अंतिम बालक पच्चीस वर्ष का नहीं हो जाता और तत्पश्चात् कुटुंब पेंशन खंड (ज) में विनिर्दिष्ट किसी निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुनः आरंभ होगी और उसे आजीवन देय होगी;

(iii) यदि एक से अधिक बालक खंड (ज) में विनिर्दिष्ट निःशक्तता से ग्रस्त हों, तो कुटुंब पेंशन का संदाय उनके जन्म के क्रम में होगा और उनमें से कनिष्ठ को, उससे ज्येष्ठ की पात्रता समाप्त होने या उसकी मृत्यु होने के पश्चात् कुटुंब पेंशन मिलेगी:

परंतु जहां कुटुंब पेंशन ऐसे जुड़वां बच्चों को देय हो, यह खंड (छ) में उपवर्णित रीति से संदत्त की जाएगी;

(iv) ऐसे पुत्र या पुत्री को जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो, कुटुंब पेंशन का भुगतान, संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा, जैसे वह अवयस्क हो, सिवाय शारीरिक रूप से निःशक्त पुत्र या पुत्री के मामले में, जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो,

परंतु मानसिक रूप से मंद पुत्र या पुत्री की दशा में कुटुंब पेंशन, यथास्थिति, रेल सेवक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को देय होगी और यदि ऐसे रेल सेवक द्वारा उसके जीवनकाल के दौरान कार्यालय अध्यक्ष को ऐसा कोई भी नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो यथास्थिति, ऐसे रेल सेवक या कुटुंब पेंशनभोगी के पति/पत्नी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदेय होगी और बाद में उक्त अधिनियम में यथाउपदर्शित स्वरपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुल निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की बाबत कुटुंब पेंशन स्वीकृत करने के लिए, स्थानीय स्तर की समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 के 44) की धारा 14 के अधीन जारी किया गया संरक्षता प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जाएगा;

(v) ऐसे किसी भी पुत्र या पुत्री को कुटुंब पेंशन की आजीवन अनुज्ञा देने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान करेगा कि निःशक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ है और इसे निम्न द्वारा प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्षित किया जाएगा,-

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49), दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 और केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या

(ख) तीन सदस्यीय चिकित्सा बोर्ड जिसमें (क) एक चिकित्सा अधीक्षक, या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती अधिकारी; और (ख) दो अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे, जहां तक संभव हो, जिनमें कम से कम एक व्यक्ति निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, बालक की मानसिक या शारीरिक स्थिति को यथावत उपवर्णित करेगा।

(vi) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कुटुंब पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या ऐसे पुत्र या पुत्री, जिन्हें किसी संरक्षक के माध्यम से कुटुंब पेंशन प्राप्त नहीं हो रही, निम्नलिखित से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा,-

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49), दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 और केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या

(ख) तीन सदस्यीय चिकित्सा बोर्ड जिसमें (क) एक चिकित्सा अधीक्षक, या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती अधिकारी; और (ख) दो अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे, जहां तक संभव हो, जिनमें कम से कम एक व्यक्ति निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, बालक की मानसिक या शारीरिक स्थिति को यथावत उपवर्णित करेगा, यदि निःशक्तता स्थायी है, तो एक बार और यदि निःशक्तता अस्थायी है, तो हर पांच वर्ष में एक बार, इस आशय का कि वह अभी भी खंड (ज) में विनिर्दिष्ट निःशक्तता से ग्रस्त है।

(झ) खंड (ज) में विनिर्दिष्ट निःशक्तता से ग्रस्त बालक विवाह करने पर इस उप-नियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र नहीं होगा।

(ज) जहां खंड (घ) या खंड (ज) के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए, किसी मृतक रेल सेवक का पात्र पुत्र या पुत्री उत्तरजीवी नहीं हो अथवा यदि खंड (घ) या खंड (ज) के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्र पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाए अथवा वह उन खंडों में विहित कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता की शर्तें पूरी न करे, तो पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक किसी अविवाहित या विधवा या तलाक़शुदा पुत्री को आजीवन अथवा उसका विवाह या पुनर्विवाह होने तक, या उसका आजीविका उपार्जन प्रारंभ करने तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन कुटुंब पेंशन अनुज्ञात होगी या कुटुंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा, अर्थात्:-

(i) खंड (घ) में उपवर्णित क्रम में बालकों को कुटुंब पेंशन प्रारंभ में देय होगी जब तक अंतिम बालक पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता;

(ii) खंड (ड) के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई पात्र निःशक्त बच्चा नहीं है;

(iii) अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री अपने पिता या माता अथवा माता-पिता पर आश्रित थी जब वह जीवित था/थी या वे जीवित थे;

(iv) जहां कोई मृतक रेल सेवक अपने पीछे पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक एक से अधिक अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को छोड़ जाता है, तो कुटुंब पेंशन उनके जन्म के क्रम में, प्रथमतः ऐसी पुत्री को देय होगी जो इस उप-नियम के अधीन कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करती हो;

(v) ज्येष्ठ पुत्री अपना विवाह या पुनर्विवाह होने तक अथवा अपनी आजीविका उपार्जन प्रारंभ करने तक, जो भी पहले हो, कुटुंब पेंशन के लिए हकदार होगी और ज्येष्ठ के विवाह या पुनर्विवाह होने पर या अपनी आजीविका उपार्जन प्रारंभ करने पर या उसकी मृत्यु होने पर, अगली कनिष्ठ पुत्री कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होगी;

(vi) विधवा पुत्री की दशा में, उसके पति के मृत्यु और तलाकशुदा पुत्री की दशा में, उसका तलाक, रेल सेवक या उसके/उसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुआ हो:

परंतु कुटुंब पेंशन तलाकशुदा पुत्री को उसके तलाक की दिनांक से तब देय होगी यदि रेल सेवक या उसके पति/पत्नी के जीवित रहते हुए सक्षम न्यायलय में तलाक की कार्यवाही फाइल की गई थी किंतु तलाक उनकी मृत्यु के पश्चात् हुआ:

परंतु यह और कि, रेल सेवक और उसके या उसकी पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, कुटुंब के किसी अन्य पात्र सदस्य को, पुत्री के तलाक की दिनांक से पूर्व कुटुंब पेंशन संदेय हो गई हो, तो ऐसी तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि उपरोक्त सदस्य कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र न हो जाए या उसकी मृत्यु न हो जाए।

(ट) जहां कोई मृतक रेल सेवक एक से अधिक विधवाओं या एक विधवा और तलाकशुदा पत्नी से या एक विधवा या तलाकशुदा पत्नी और अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे बालकों को अपने पीछे छोड़ जाता है और वे बालक जो इस उप-नियम में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बालक हैं, प्रवर्ग 'ख' के अधीन कुटुंब पेंशन के अंश का सौ प्रतिशत या प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' के अधीन कुटुंब पेंशन के अंश का साठ प्रतिशत पाने के हकदार होंगे, जो सरकारी सेवक की मृत्यु के समय, उनकी माता को प्राप्त होता, यदि यथास्थिति वह जीवित होती या उसका तलाक नहीं हुआ होता या विवाह अमान्य या अमान्यकरणीय नहीं होता।

(ठ) जहां विधवा या तलाकशुदा पत्नी और अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे एक या एक से अधिक बालक हैं, ऐसे बालकों को इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट रीति से कुटुंब पेंशन का अंश देय होगा।

(ड) ऐसे बालक या बालकों के लिए देय कुटुंब पेंशन के अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, कुटुंब पेंशन का ऐसा अंश या

ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु अन्य विधवा या तलाकशुदा पत्नी अथवा अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे अन्यथा पात्र, बालक या बालकों को बराबर अंशों में देय होगा, अथवा केवल एक ही बालक हो, तो पूर्ण रूप से ऐसे बालक को देय होगा;

स्पष्टीकरण- 'पुत्र' या 'पुत्री' अभिव्यक्ति में क्रमशः मरणोत्तर पुत्र या मरणोत्तर पुत्री सम्मिलित होगी;

(ढ) अविवाहित पुत्र अथवा अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री, निःशक्त पुत्र या पुत्री को छोड़कर, अपना विवाह या पुनर्विवाह होने की दिनांक से, कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा/जाएगी।

(ण) ऐसे किसी पुत्र अथवा पुत्री को देय कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी जो अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ कर देता या देती है।

(त) ऐसे पुत्र या पुत्री अथवा संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि,-

(i) उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है; और

(ii) उसका अभी तक विवाह या पुनर्विवाह नहीं हुआ है और इसी प्रकार का प्रमाणपत्र मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री द्वारा पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वर्ष में एक बार प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है।

(5)(क) जहां किसी मृतक रेल सेवक की कुटुंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर अथवा पात्र बालक उत्तरजीवी नहीं है या यदि विधवा या विधुर और सभी बालकों की कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है, तो कुटुंब पेंशन माता-पिता को आजीवन देय होगी-

(i) प्रवर्ग 'ख' के अधीन, विधवा को अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन के पचास प्रतिशत की दर से, इस शर्त के अधीन कि माता-पिता उसकी मृत्यु के समय रेल सेवक पर आश्रित थे और कुटुंब पेंशन की रकम रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के नियम 50 के अधीन स्वीकार्य कुटुंब पेंशन की रकम से कम नहीं होगी, और

(ii) प्रवर्ग 'ग' और प्रवर्ग 'घ' के अधीन, विधवा को अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन के पचहत्तर प्रतिशत की दर से, यदि माता-पिता दोनों जीवित हैं और विधवा को कुटुंब पेंशन के साठ प्रतिशत की दर से, यदि केवल एक माता या पिता जीवित है, के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण 1 :- माता-पिता रेल सेवक पर आश्रित समझे जाएंगे यदि उनकी संयुक्त आय नियम 11 के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

स्पष्टीकरण 2 :- अन्य स्रोतों से उनकी आय की रकम पर ध्यान दिए बिना संदर्भ के बिना माता-पिता को कुटुंब पेंशन का संदाय।

(ख) जहां माता-पिता को कुटुंब पेंशन अनुज्ञात हो, यह मृतक रेल सेवक की माता को देय होगी, ऐसा न होने पर, मृतक रेल सेवक के पिता को देय होगी।

(ग) प्रवर्ग 'ख' के अधीन कुटुंब पेंशन प्राप्त करने वाले माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उन्होंने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है और माता-पिता को देय कुटुंब पेंशन उनकी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ करने पर बंद कर दी जाएगी।

(6)(क) जहां किसी मृतक रेल सेवक की कुटुंब पेंशन के लिए पात्र विधवा या विधुर अथवा बालक या माता-पिता उत्तरजीवी न हो या कुटुंब पेंशन के लिए रेल सेवक की विधवा या विधुर, बालकों और माता-पिता की पात्रता समाप्त हो गई है, तो इन नियमों के नियम 11 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर, पचास प्रतिशत के बराबर

कुटुंब पेंशन यथास्थिति, कुटुंब पेंशन रेल सेवक के आश्रित सहोदरों को पच्चीस वर्ष की आयु पूरी होने या विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय होगी।

(ख) जहां आश्रित सहोदर की कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है या जहां पच्चीस वर्ष से कम आयु का कोई आश्रित सहोदर कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है, किंतु रेल सेवक का उत्तरजीवी आश्रित सहोदर है जो मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है, ऐसे निःशक्त सहोदर को कुटुंब पेंशन खंड (क) में विनिर्दिष्ट दर का पचास प्रतिशत आजीवन देय होगा, यदि ऐसा सहोदर रेल सेवक की मृत्यु से ठीक पूर्व उस पर पूर्णतः आश्रित था:

परंतु इस उप-नियम के अधीन मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त आश्रित सहोदर को देय कुटुंब पेंशन की रकम रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 50 के अधीन स्वीकार्य कुटुंब पेंशन की राशि से कम नहीं होगी:

परंतु यह और कि ऐसा सहोदर उसी रीति से और पात्रता की उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी निःशक्तता मानक का अनुसरण करते हुए, कुटुंब पेंशन के लिए आजीवन पात्र होगा, जैसा कि, रेल सेवक के पुत्र या पुत्री की दशा में खंड (ड) में विनिर्दिष्ट किसी निःशक्तता से ग्रस्त होने, जिसके कारण पच्चीस वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात् भी वह आजीविका का उपार्जन करने के असमर्थ हो, जैसा कि उप-नियम (4) के खंड (ड) खंड (च) में यथा अधिकथित है:

परंतु यह और भी कि कुटुंब पेंशन ऐसे सहोदर को तब देय होगी जब निःशक्तता रेल सेवक की मृत्यु से पूर्व विद्यमान हो।

स्पष्टीकरण 1 .- पच्चीस वर्ष से कम आयु के ऐसे सहोदर द्वारा अपना जीविकोपार्जन करना माना जाएगा और रेल सेवक पर आश्रित नहीं माना जाएगा यदि अन्य स्रोतों से उसकी आय नियम 11 के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय मंहगाई राहत के बराबर या उससे अधिक है।

स्पष्टीकरण 2 .- पच्चीस वर्ष से कम आयु के ऐसे सहोदर को देय कुटुंब पेंशन उनकी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ करने पर बंद कर दी जाएगी और ऐसे सहोदर का यह कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है।

स्पष्टीकरण 3 .- उप-नियम (4) के अधीन मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बालक के मामले में लागू आय मानदंड मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त सहोदर को कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता अवधारित करने के लिए भी लागू होगा।

स्पष्टीकरण 4 .- मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त ऐसे सहोदर या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है।

(7)(क) रेल सेवक की मृत्यु होने पर किसी व्यक्ति के लिए अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन को, अन्य रेल सेवक की मृत्यु होने पर, इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन की पात्रता के अवधारण के प्रयोजन के लिए आय के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ख) यदि, पत्नी और पति दोनों ही रेल सेवक हों और इस नियम के उपबंधों द्वारा शासित होते हों और उनमें से एक की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाए, तो मृतक की बाबत कुटुंब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को संदेय हो जाएगी तथा उस पति और पत्नी की मृत्यु की दशा में मृतक माता-पिता की बाबत उत्तरजीवी बालक या बच्चों को देय दो कुटुंब पेंशनें स्वीकृत की जाएंगी।

टिप्पण .- इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता विनिश्चित करने के लिए, मृतक रेल सेवक की विधवा या विधुर और माता-पिता के अतिरिक्त, कुटुंब के अन्य सदस्य को कुटुंब पेंशन के लिए अपने दावे के साथ, आयकर विभाग के साथ उक्त कुटुंब के सदस्य द्वारा फाईल की गई अंतिम आयकर विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी और यदि उक्त कुटुंब सदस्य सूचित करता है कि उसने आयकर विभाग के साथ अंतिम आयकर विवरणी फाईल नहीं की है, तो उसे उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट से आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कुटुंब सदस्य आयकर विवरणी की प्रति या उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट से आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो कार्यालय अध्यक्ष उक्त सदस्य द्वारा उसके दावे के समर्थन में आय के संबंध में प्रस्तुत किए गए किसी अन्य दस्तावेज़ पर विश्वास कर सकता है और तदनुसार कुटुंब पेंशन के लिए कुटुंब के उक्त सदस्य की पात्रता तय कर सकता है।

13. ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति प्रणाली में निःशक्तता पेंशन और कुटुंब पेंशन मामलों पर कार्रवाई - (1) जब तक रेल मंत्रालय के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो, इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन देने के मामले की प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली/एकीकृत वेतन और लेखा प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

(2)(क) उप-नियम (1) के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली/एकीकृत वेतन और लेखा प्रणाली से छूट प्राप्त किसी क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई या कार्यालय या व्यक्ति की दशा में, सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति की बाबत ब्यौरे या दस्तावेज फिजिकल मोड में प्रेषित किए जाएंगे और उसके पेंशन या कुटुंब पेंशन के मामले को मैनुअली कार्रवाई की जाएगी।

(ख) ऐसी दशा या दशाओं में जहां कोई विशेष कार्य या कार्यकलाप मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और एकीकृत वेतन तथा लेखा प्रणाली के अधीन नहीं किया जा सकता हो, ऐसा कार्य या कार्यकलाप मैनुअली किया जाएगा।

14. निःशक्तता पेंशन संस्वीकृत करने की प्रक्रिया - (1) उन परिस्थितियों का विवरण प्राप्त होने पर जिसमें किसी रेल सेवक को चोट लगने या रोग होने के कारण निःशक्तता हुई, इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन मंजूर करने के संबंध में विनिश्चय करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष इन नियमों के नियम 5 के अधीन, जांच प्राधिकारी के निष्कर्ष, यदि कोई हों, और चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां इन नियमों के नियम 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चित करता है कि रेल सेवक सेवा में बनाए रखने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से योग्य नहीं है और सेवा से कार्यमुक्त किए जाने पर, निःशक्तता पेंशन का हकदार है, उसे इन नियमों के अनुसार निःशक्तता पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान प्रदान किया जा सकेगा:

परंतु ऐसा रेल सेवक जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, के मामले में, इन नियमों के नियम 2 के उप-नियम (2) के खंड(क), खंड(ख) और खंड(घ) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी:

परंतु यह और कि जहां सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चित करता है कि रेल सेवक को निःशक्तता होने के बावजूद सेवा में रखा जा सकता है, उसे इन नियमों के नियम 10 के उपनियम (5) के अनुसार निःशक्तता पेंशन के निःशक्तता तत्व के स्थान पर एकमुश्त प्रतिकर दिया जाएगा।

(3) जैसे ही इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान मंजूर करने का विनिश्चय किया जाता है, रेल सेवक को यह सलाह देते हुए विनिश्चय के बारे में सूचित किया जाएगा कि वह रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन पेंशन मामले के प्रक्रमण के लिए अन्य प्ररूपों सहित प्ररूप ड-1 में ब्यौरा प्रस्तुत करे।

(4) कार्यालय अध्यक्ष का यह ड्यूटी होगा कि रेल शोध्यों सहित सरकारी शोध्यों को अभिनिश्चित और निर्धारित करे तथा इस प्रयोजन के लिए वह रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 67, 68 और 69 में अधिकथित प्रक्रियाओं को पूरा करेगा।

(5) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्ररूपों की प्राप्ति होने पर, कार्यालय अध्यक्ष जांच सूची और पेंशन गणना पत्र के साथ प्ररूप ड-2 के भाग। को पूरा करेगा और उक्त प्ररूपों के प्राप्त होने के दो मास के भीतर निःशक्तता पेंशन मामले को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा और निम्नलिखित दस्तावेजों को अग्रेषित करेगा, अर्थात्-

(i) रेल सेवक द्वारा जमा किए गए और उप-नियम(3) में निर्दिष्ट सभी प्ररूप;

(ii) प्ररूप ड-3 में सहपत्र के साथ प्ररूप ड-2 (जांच सूची और पेंशन गणना पत्र सहित); और

(iii) ऐसे अन्य दस्तावेज जिन पर सेवा के सत्यापन के लिए विश्वास किया गया हो सहित रेल सेवक की सम्यक रूप से भरी हुई और अद्यतित सेवा पुस्तिका।

(6) रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के अनुसार, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभिनिश्चित और निर्धारित रेल शोध्यों सहित सरकारी शोध्यों के ब्यौरे लेखा अधिकारी को भी प्ररूप ड-3 में प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि सरकारी शोध्य या रेल शोध्य, यदि कोई हो, की वसूली सेवानिवृत्ति उपदान संदाय अधिकृत करने से पूर्व, की जा सके।

(7) कार्यालय अध्यक्ष उप-नियम(5) और उप-नियम(6) में निर्दिष्ट प्ररूपों में से प्रत्येक की प्रति कार्यालय अभिलेखों के लिए रख लेगा।

(8)(क) उप-नियम(5) और उप-नियम(6) में निर्दिष्ट पेंशन मामला और पेंशन कागजात प्राप्त होने पर, लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच करेगा, प्ररूप ड-2 के भाग II में खाते के परिवर्तन को लेखबद्ध करेगा और निःशक्तता पेंशन, कुटुंब पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का निर्धारण करेगा तथा कार्यालय अध्यक्ष से पेंशन मामला प्राप्त होने के एक मास के भीतर पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(9)(क) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी रेल सेवक को निःशक्तता होने के कारण सेवामुक्त किया गया है, परंतु इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन मंजूर करने के लिए रेल सेवक की पात्रता के संबंध में अंतिम विनिश्चय नहीं किया गया है या जहां इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन मंजूर करने के संबंध में विनिश्चय किया गया है परंतु उसे निःशक्तता पेंशन की मंजूरी प्राधिकृत किए जाने में कुछ समय लगने की संभावना है, रेल सेवा(पेंशन)

नियम, 2026 के अनुसार पेंशन प्राधिकृत की जा सकती है और कार्यालय अध्यक्ष, रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के नियम 62 के अनुसार यथास्वीकार्य, अनंतिम पेंशन और अनंतिम उपदान की भी संस्वीकृति देगा।

(ख) यदि, तत्पश्चात्, इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन की मंजूरी के लिए रेल सेवक की पात्रता के संबंध में कोई विनिश्चय किया जाता है, तो तदनुसार कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप ड-4 में पेंशन प्राधिकृत करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

(ग) खंड(क) के अधीन संस्वीकृत अनंतिम पेंशन या पेंशन का संदाय रेल सेवक को तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निःशक्तता पेंशन की मंजूरी के संबंध में कोई विनिश्चय नहीं किया जाता और इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन मंजूर करने के लिए प्राधिकार या पुनरीक्षित प्राधिकार जारी नहीं किया जाता है।

(घ) खंड(क) के अधीन संस्वीकृत पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम को अंतिम पेंशन और अंतिम सेवानिवृत्ति उपदान से समायोजित किया जाएगा।

(10) इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान मंजूर करने की प्रक्रिया के मामले के संबंध में, रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान मंजूर करने से संबंधित नियमों के अधीन होंगे, जहां तक ऐसे नियम लागू होते हैं और इन नियमों से असंगत नहीं है।

15. कुटुंब पेंशन संस्वीकृत करने की प्रक्रिया - (1) उन परिस्थितियों का विवरण प्राप्त होने पर जिनमें किसी रेल सेवक को चोट लगने या रोग होने के कारण मृत्यु हो गई, इन नियमों के अधीन रेल सेवक के परिवार को कुटुंब पेंशन मंजूर करने के संबंध में निर्णय करने के लिए, जांच प्राधिकारी के निष्कर्ष, यदि कोई हों, और चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट, कार्यालय अध्यक्ष इन नियमों के नियम 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) जैसे ही इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन मंजूर करने का विनिश्चय किया जाता है, रेल सेवक के परिवार के सदस्य या सदस्यों, जो इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के लिए पात्र है या हैं, को यह सलाह देते हुए विनिश्चय के बारे में सूचित किया जाएगा कि वह रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान मंजूर करने के मामले को प्रक्रमण के लिए अपेक्षित अन्य प्ररूपों सहित प्ररूप ड-5 में अपेक्षित ब्यौरा प्रस्तुत करे।

(3) कार्यालय अध्यक्ष रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के नियम 74 के उप-नियम (4) तथा नियम 77 के अनुसार मृत रेल सेवक पर बकाया सरकारी शोध्यों या रेल शोध्यों के ब्यौरों को लेखा अधिकारी के संज्ञान में लाएगा।

(4) रेल सेवक के कुटुंब से उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्ररूपों की प्राप्ति पर, कार्यालय अध्यक्ष जांच सूची सहित प्ररूप ड-6 के भाग I को पूरा करेगा और उक्त प्ररूपों के प्राप्त होने की दिनांक से दो मास के भीतर इन नियमों के अधीन लेखा अधिकारी को कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान की मंजूरी के लिए मामले को अग्रेषित करेगा और निम्नलिखित दस्तावेजों को भी प्रेषित करेगा, अर्थात्-

(i) कुटुंब के सदस्य या सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सभी प्ररूपों सहित कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज;

(ii) प्ररूप ड-6 (जांच सूची सहित); और

(iii) ऐसे अन्य दस्तावेज जिन पर सेवा के सत्यापन के लिए विश्वास किया गया हो, सहित रेल सेवक की सम्यक रूप से भरी हुई और अद्यतित सेवा पुस्तिका।

(5) रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के अनुसार, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभिनिश्चित और निर्धारित सरकारी शोध्यों या रेल शोध्यों के ब्यौरे लेखा अधिकारी को भी प्ररूप ड-3 में प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि सरकारी शोध्यों या रेल शोध्यों, यदि कोई हो, की वसूली मृत्यु उपदान का संदाय अधिकृत करने से पूर्व, की जा सके।

(6) कार्यालय अध्यक्ष उप-नियम (4) और उप-नियम (5) में निर्दिष्ट प्ररूपों में से प्रत्येक की प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों के लिए रख लेगा।

(7) उपनियम (4) और उपनियम (5) में निर्दिष्ट कुटुंब पेंशन मामला और पेंशन कागजात प्राप्त होने पर, लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच करेगा, प्ररूप ड-6 के भाग 2 के खंड 1 में खाते के परिवर्तन को लेखबद्ध करेगा और कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान की रकम का निर्धारण करेगा तथा कार्यालय अध्यक्ष से पेंशन मामला प्राप्त होने के दो मास के भीतर पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(8) (क) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी रेल सेवक की मृत्यु होने पर इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन मंजूर करने के संबंध में अंतिम विनिश्चय नहीं किया गया है या जहां इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन मंजूर करने के संबंध में विनिश्चय किया गया है परंतु उसे कुटुंब पेंशन की मंजूरी प्राधिकृत किए जाने में कुछ समय लगने की संभावना है, रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की जा सकती है और कार्यालय अध्यक्ष, रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के नियम 75 के अनुसार यथास्वीकार्य, अनंतिम कुटुंब पेंशन और अनंतिम उपदान की भी मंजूरी देगा।

(ख) यदि, तत्पश्चात्, इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन की मंजूरी के संबंध में कोई विनिश्चय किया जाता है, तो तदनुसार, कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप ड-7 में कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

(ग) खंड (क) के अधीन मंजूरी अनंतिम कुटुंब पेंशन या कुटुंब पेंशन का संदाय तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुटुंब पेंशन की मंजूरी के संबंध में कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है और इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए कोई प्राधिकार या पुनरीक्षित प्राधिकार जारी नहीं किया जाता है।

(घ) खंड (क) के अधीन मंजूरी कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान की रकम को अंतिम कुटुंब पेंशन और अंतिम मृत्यु उपदान से समायोजित किया जाएगा।

(9) इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान मंजूर करने की प्रक्रिया के मामले, रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान की मंजूरी से संबंधित नियमों के अध्यधीन होंगे, जहां तक ऐसे नियम लागू होते हैं और इन नियमों से असंगत नहीं है।

(10) यदि कुटुंब पेंशन से संबंधित कुटुंब के किसी सदस्य की पात्रता इन नियमों के अधीन आच्छादित नहीं होती, किंतु रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के अधीन आच्छादित होती है, तो रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 लागू होगा, यदि वे इन नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल या असंगत न हो।

16. निःशक्तता पेंशन एवं कुटुंब पेंशन की सामयिक कार्रवाई और मंजूरी - (1) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के अधीन निःशक्तता पेंशन और कुटुंब पेंशन की मंजूरी के सभी मामलों पर, इन नियमों के नियम 14 और नियम 15 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार कार्रवाई की जाए और अंतिम पेंशन या कुटुंब पेंशन का प्राधिकार लंबित होने पर, यथास्थिति, अनंतिम पेंशन या अनंतिम कुटुंब पेंशन मंजूर और संदत्त की जाए।

(2) ऐसे सभी मामलों में जहां इन नियमों के अनुसार अनंतिम पेंशन या अनंतिम कुटुंब पेंशन या अनंतिम उपदान मंजूर नहीं किया गया है या जहां निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान का संदाय उस तारीख के पश्चात प्राधिकृत किया गया है जब संदाय शोध्य हुआ, और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण माना जा सकता है, तो पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान के बकायों पर ब्याज संदत्त किया जाएगा और रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के नियम 65 के अनुसार प्रशासनिक चूक के कारण उपदान या पेंशन या कुटुंब पेंशन के संदाय में विलंब होने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

(3) ऐसे सभी मामले जिनमें अनंतिम पेंशन या अनंतिम कुटुंब पेंशन या निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान का संदाय शोध्य होने की तारीख के पश्चात अधिकृत किया गया है, का ब्यौरा देने वाली एक रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक, यथास्थिति, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

17. शिथिल करने की शक्ति - जहां कि पेंशन मंजूरी प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कष्ट होगा वहां, यथास्थिति, वह प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक, और ऐसे अपवादों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह न्यायसंगत और साम्यिक रीति से किसी मामले के संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, आदेश द्वारा समाप्त कर सकती है या उन्हें शिथिल कर सकती है:

परंतु ऐसा कोई भी आदेश पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

18. निरसन और व्यावृत्ति - (1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर, रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 सहित, ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक नियम, विनियम या आदेश, जिसके अधीन कार्यालय ज्ञापन भी है जहां तक कि वह इन नियमों में सन्निहित किन्हीं मामलों की व्यवस्था करता हो, प्रवृत्त नहीं रह जाएगा।

(2) प्रवर्तन की ऐसी समाप्ति के होते हुए भी,-

- (क) पेंशन मंजूरी के लिए प्रत्येक औपचारिक आवेदन, जिसे पुराने नियम के अधीन रेल सेवक द्वारा किया गया था या दिया गया था, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या दिया गया समझा जाएगा;
- (ख) ऐसा कोई भी मामला, जिसका संबंध ऐसे रेल सेवक की, जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था, निःशक्तता पेंशन प्राधिकृत किए जाने से हो और जो मामला ऐसे प्रारंभ पर लंबित हो, पुराने नियमों के उपबंधों के अनुसार वैसे ही निपटाया जाएगा मानो ये नियम बनाए ही न गए हों;
- (ग) ऐसा कोई मामला, जिसका संबंध किसी मृत रेल सेवक के कुटुंब के मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन के प्राधिकृत किए जाने से हो और जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व लंबित हो, पुराने नियमों के उपबंधों के अनुसार वैसे ही निपटाया जाएगा मानो ये नियम बनाए ही न गए हों;
- (घ) खंड(ख) और खंड(ग) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुराने नियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची-1
[नियम 3(1)(ड) देखें]

उन रोगों की सूची और वर्गीकरण जिनकी नौकरी के दौरान होने की संभावना रहती है:

(क) जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण होने वाले रोग:

- (i) फुफ्फुस यक्ष्मा (पल्मोनेरी ट्यूबरकुलोसिस);
- (ii) फुफ्फुस शोथ (पल्मोनरी ओएडडेमा);
- (iii) फुफ्फुस यक्ष्मा परिफुफ्फुस निःसरण के साथ (पल्मोनेरी ट्यूबरकुलोसिस विद प्लुपरल एफ्युजन);
- (iv) यक्ष्मा अफुफ्फुसीय (ट्यूबरकुलोसिस नॉन पल्मोनेरी);
- (v) श्वसनीशोथ (ब्रोंकाइटिस);
- (vi) प्लूरिसी, अन्तःपूयता (एम्पाइमा), फुफ्फुस विट्रिन्धि(लंग अबसेस) और श्वसनीशोथ (ब्रोंकाइटिस);
- (vii) खंडीय न्युमोनिया (लोबर निमोनिया);
- (viii) वृक्शोथ (नेफ्रीआईटिस) तीव्र और दीर्घकालिक (एक्यूट एंड क्रोनिक);
- (ix) मध्यकर्ण शोथ (ओटि आईसीस मीडिया);
- (x) तीव्र आमवात (रयुमेटिज्म);
- (xi) दीर्घकालिक आमवात (रयुमेटिज्म) क्रोनिक;
- (xii) संधिशोथ;
- (xiii) पेश्यार्ती;
- (xiv) कटिवेदना;
- (XV) हिमाघात जिससे अंगों का विच्छेद करना पड़े शीतदंश के कारण अंगों/अंगों का विच्छेदन, तंत्रिका/फुफ्फुसीय रोग/अस्थि रोग/तनाव प्रेरित रोग/पागलपन/उच्च रक्तचाप आदि जो अत्यधिक सर्द जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण हुआ या बढ़ गया:
- (xvi) ऊष्माघात; तथा
- (xvii) फुफ्फुसी थ्रोम्बो-एम्बोलिज्म/श्वसन विफलता

(ख) ऐसे रोग जो स्थानिक प्रकृति के हैं:

(i) मलेरिया;

(ii) कालाजार;

(iii) फाइलेरिया;

(iv) पेचिश;

(v) हैजा; तथा

(vi) स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, प्लेग, एंथ्रेक्स, पक्षी इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार, हेपेटाइटिस-बी, सी और ई, मारबर्ग विषाणु रोग, मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम, वानर-विषाणुजन्य रोग, जीका विषाणु, पक्षी फ्लू, इबोला विषाणु जैसे रोग आदि।

(ग) महामारी:

कोविड-19 या कोई अन्य रोग, जिसे सरकार द्वारा महामारी घोषित किया गया है।

(घ) कड़ी मेहनत और तनाव के कारण हुए रोग:

(i) मनोविकार और मनोविकृति;

(ii) हाइपरपीसिया;

(iii) उच्च रक्तचाप (रक्तचाप);

(iv) फुफ्फुसीय क्षय रोग;

(v) फुफ्फुसीय तपेदिक फुफ्फुस बहाव के साथ;

(vi) तपेदिक - गैर-फुफ्फुसीय;

(vii) माइट्रल स्टेनोसिस;

(viii) पेरिकार्डिटिस और एडहेरेंट पेरिकार्डियम;

(ix) एंडो-कार्डिटिस;

(x) सब-एक्यूट बैक्टीरियल एंडो-कार्डिटिस, जिसमें संक्रामक एंडोकार्डिटिस सम्मिलित है;

(xi) न्योकार्डिटिस - तीव्र या जीर्ण;

(xii) हृदय-कपाट रोग; तथा

(xiii) दिल का दौरा/हृदय संबंधी रोग

(ङ) आहार संबंधी बाध्यताओं के कारण हुए रोग:

- (i) संक्रमी यकृत शोथ (पीलिया);
- (ii) अमाशय के रोग;
- (iii) कृमि-उपद्रव खासतौर से गिनी-कृमि और गोल-कृमि संक्रमण;
- (iv) जठरशोथ;
- (v) खाद्य पदार्थों से शरीर में फैला विष विशेष रूप से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से फैला;
- (vi) अमाशयी-व्रण;
- (vii) ग्रहणी व्रण; तथा
- (viii) कुपोषण।

(च) प्रशिक्षण या मार्च करने आदि से होने वाले रोग:

- (i) चोट लगने के कारण धनुस्तंभ, एरिसिपेलस, सेप्टीसीमिया और प्युरक्तता आदि;
- (ii) अपस्फीत शिरा;
- (iii) संधिग्रह और चोट लगने के कारण हुई अन्य विकृतियां;
- (iv) हर्निया;
- (v) सिर में चोट लग जाने की वजह से हुई मिर्गी और अन्य मानसिक परिवर्तन;
- (vi) घुटनों की जोड़ का अपविन्यास;
- (vii) पेट्रोल और मिट्टी के तेल आदि से जल जाने से पड़े निशान, हुई विकृतियां और अशक्तता;
- (viii) पैरों में विकृति।

(छ) पर्यावरण के रोग:

- (i) कार्यालय की ड्यूटी करते हुए रतिज या सेप्टीसीमिया के रोगी की परिचर्या करते या शव-परीक्षा (पोस्टमार्टम) के दौरान संक्रमण से हुए रोग;
- (ii) विषैले रसायन और विकिरण उपस्कर को संभालने के कारण हुए रोग।

टिप्पण: ऐसे रोग, जो हालांकि इस अनुसूची में नहीं हैं, किन्तु अन्यथा माना जाता है कि सरकारी सेवा के कारण हुए हैं, वे भी प्रवर्ग ख के अधीन होंगे।

अनुसूची-2
नियम 3(1) (च) देखें
भाग।

स्थायी रूप से पूर्णतः निःशक्त कर देने वाली क्षतियों की सूची

क्र.सं.	क्षति संबंधी विवरण	अर्जन क्षमता में आई कमी की प्रतिशतता
1.	दोनों हाथों का न रहना या काफी ऊपर तक कट कर अलग हो जाना	100

2.	एक हाथ और एक पैर का न रहना	100
3.	(टांग या जांघ से दोहरा विच्छेदन) कट कर अलग हो जाना या (एक तरफ की टांग या जांघ) का कटना और दूसरे पैर का न रहना	100
4.	दृष्टि का इस सीमा तक कमजोर पड़ जाना कि दावेदार ऐसा कोई कार्य जिसके लिए आंख की रोशनी आवश्यक है, करने के योग्य न रह जाए	100
5.	चेहरे का बहुत अधिक विकृत हो जाना	100
6.	पूर्ण बधिरता	100

भाग II

स्थायी रूप से आंशिक निःशक्तता कर देने वाली क्षतियों की सूची

क. ऊपरी अंगों के विच्छेदन के मामले – (कोई भी भुजा)

क्र.सं.	क्षति संबंधी विवरण	अर्जन क्षमता में आई कमी की प्रतिशतता
1.	कंधे के जोड़ से विच्छेदन	90
2.	एक्रोमियन के सिरे से 8" से कम लम्बाई की ठूठ (स्टंप) सहित कंधे के नीचे विच्छेदन	80
3.	एक्रोमियन के सिरे से 8" से कोहनी-उभार के सिरे के निचले भाग से 4½" से भी कम हिस्से तक का विच्छेदन	70
4.	एक हाथ या एक हाथ के अंगूठे और चार अंगुलियों का न रहना या कोहनी-उभार के निचले 4½" लम्बे सिरे से विच्छेदन	60
5.	हाथ के अंगूठे का न रहना	30
6.	अंगूठे और इसके करमास्थि (मेटाकार्पल बोन) का न रहना	40
7.	एक हाथ की चारों अंगुलियों का न रहना	50
8.	एक हाथ की तीन अंगुलियों का न रहना	30
9.	एक हाथ की दो अंगुलियों का न रहना	20
10.	हाथ के अंगूठे के सिरे की उंगुलास्थि का न रहना	20

ख. निचले अंगों के विच्छेदन के मामले

क्र.सं.	क्षति संबंधी विवरण	अर्जन क्षमता में आई कमी की प्रतिशतता
1.	दोनों पैरों का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप सिरे ठूठ जैसे दिखाई दे	90
2.	प्रपद अंगुलास्थि (मेटा टार्सो फैलेंजियल) जोड़ के निकटस्थ दोनों पैरों का विच्छेदन	80

3.	प्रपद अंगुलास्थि जोड़ से दोनों पैरों के सभी उंगलियों का न रहना	40
4.	निकटस्थ अंतरा अंगुलास्थीय जोड़ के निकटस्थ दोनों पैरों की सभी उंगलियों का न रहना	30
5.	निकटस्थ अंतरा अंगुलास्थीय जोड़ के दूरस्थ दोनों पैरों की सभी उंगलियों का न रहना	20
6.	कूल्हे पर विच्छेदन	90
7.	बड़े जंघास्थि-उभार के अग्रभाग से 5" से अधिक लम्बाई तक की टूठ(स्टंप) सहित कूल्हे के नीचे अंगच्छेदन	80
8.	कूल्हे के नीचे बड़े जंघास्थि-उभार के अग्रभाग से 5" से अधिक लम्बाई तक की टूठ (स्टंप) सहित विच्छेदन लेकिन यह विच्छेदन जांघ के मध्यभाग से परे न हो	70
9.	जांघ के मध्य भाग से लेकर घुटने के नीचे 3½" तक विच्छेदन	60
10.	3½" से अधिक लेकिन 5" तक की लम्बाई के टूठ(स्टंप) सहित घुटने के नीचे विच्छेदन	50
11.	5" से अधिक लम्बाई के टूठ सहित घुटने के नीचे विच्छेदन	40
12.	एक पैर का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप पैर का शीर्ष टूठ सदृश दिखाई दे	30
13.	प्रपद अंगुलास्थीय जोड़ के निकटस्थ एक पैर का विच्छेदन	30
14.	प्रपद अंगुलास्थीय जोड़ से एक पैर की सभी उंगलियों का न रहना	20

ग. अन्य क्षतियाँ

क्र.सं.	क्षति संबंधी विवरण	अर्जन क्षमता में आई कमी की प्रतिशतता
1.	किसी अन्य जटिलता के बिना एक आंख का न रहना, दूसरी आंख का सामान्य रहना।	40
2.	एक आंख की रोशनी का चला जाना या नेत्र गोलक (आई बॉल) में विकृति आना, दूसरी आंख का सामान्य रहना	30

ड. निम्नलिखित का न रहना

(i) दाएं या बाएं हाथ की उंगलियों

क्र.सं.	क्षति संबंधी विवरण	अर्जन क्षमता में आई कमी की प्रतिशतता
तर्जनी उंगली		
1.	समस्त	14
2.	दो अंगुलास्थियों का	11
3.	एक अंगुलास्थी का	9
4.	अस्थि को क्षति बिना अग्र भाग के गिलोटिन का विच्छेदन	5

मध्यमा		
5.	समस्त	12
6.	दो अंगूलास्थी का	9
7.	एक अंगूलास्थी का	7
8.	अस्थि को क्षति बिना अग्र भाग के गिलोटिन का विच्छेदन	4
अनामिका या छोटी उंगली		
9.	समस्त	7
10.	दो अंगूलास्थियों का	6
11.	एक अंगूलास्थी का	5
12.	अस्थि का क्षति बिना अग्र भाग के गिलोटिन का विच्छेदन	2

(ii) दाएं या बाएं पैर की उंगलियां

क्र.सं.	क्षति संबंधी विवरण	अर्जन क्षमता में आई कमी की प्रतिशतता
अंगूठा		
1.	प्रपद-अंगूलास्थीय जोड़ से विच्छेदन (अलग हो जाना)	14
2.	अलग हो जाना, साथ ही अस्थि को भी कुछ क्षति पहुंचना	3
कोई अन्य अंगुली		
3.	प्रपद-अंगूलास्थीय जोड़ से विच्छेदन	3
4.	अलग हो जाना, साथ ही अस्थि को भी कुछ क्षति पहुंचना	1
एक पांव के अंगूठे को छोड़कर, बाकी दो उंगलियां		
5.	प्रपद-अंगूलास्थि (मेटाटर्सो फेलिंजिल) जोड़ के स्थान पर (क्षति पहुंचना)	5
6.	हिस्सा, हड्डी की कुछ हानि के साथ	2
एक पांव के अंगूठे को छोड़कर, बाकी तीन उंगलियां		
7.	प्रपद-अंगूलास्थि (मेटाटर्सो फेलिंजिल) जोड़ के स्थान पर (क्षति पहुंचना)	6
8.	हिस्सा, हड्डी की कुछ हानि के साथ	3
एक पांव के अंगूठे को छोड़कर, बाकी चार उंगलियां		
9.	प्रपद-अंगूलास्थि (मेटाटर्सो फेलिंजिल) जोड़ के स्थान पर (क्षति पहुंचना)	9
10.	हिस्सा, हड्डी की कुछ हानि के साथ	3

टिप्पण- इस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अंग या भाग की पूर्णतः और स्थायी रूप से हानि उस अंग या भाग की हानि होने के समतुल्य माना जाएगा।

अनुसूची - 3
[नियम 9(2) देखें]

प्रवर्ग 'ख', प्रवर्ग 'ग' और प्रवर्ग 'घ' के अधीन असाधारण कुटुंब पेंशन या निःशक्तता पेंशन की मंजूरी के लिए ऐसी परिस्थितियों की उदाहरण सूची जिनमें सरकारी सेवक की मृत्यु या निःशक्तता का कारण सरकारी सेवा माना गया है।

प्रवर्ग 'ख': मृत्यु या निःशक्तता का कारण:

- (i) अनुसूची-1 में दिए गए रोग। ऐसे रोग, जिन्हें हालांकि अनुसूची-1 में सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु अन्यथा जिसका कारण सरकारी सेवा माना गया है, उन्हें भी प्रवर्ग 'ख' के अधीन समाविष्ट किया जाएगा;
- (ii) ड्यूटी पर सरकारी वाहनों या सार्वजनिक, निजी या जन परिवहन अर्थात् रेल, वायुयान, जहाज, आदि से यात्रा करते समय हुई दुर्घटना;
- (iii) मशीनरी और उपस्कर, बाँयलर, ज्वलनशील सामग्री के भंडारण टैंक, रसायन आदि पर काम करते समय दुर्घटनाएं।
- (iv) अग्निशमन संकर्मों में लगे अग्निशमन कर्मचारियों की मृत्यु या निःशक्तता के मामलों से भिन्न काम करते समय आग लगने की दुर्घटनाएं;
- (v) सेवा प्राधिकारियों द्वारा आयोजित या अनुमत्य किसी मनोरंजन कार्यक्रम/पर्वतारोहण/ग्लाइडिंग अभियानों में भाग लेने की अवधि के दौरान दुर्घटना;
- (vi) बाढ़/चक्रवात राहत कार्यकलापों पर तैनात कार्मिकों को होने वाले मामलों से भिन्न ड्यूटी निर्वहन के दौरान विद्युत आघात आदि;
- (vii) ड्यूटी स्टेशन से अवकाश स्टेशन या वहां से वापस लौटते समय दुर्घटना;
- (viii) सेवा दलों के सदस्य के रूप में स्थानीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के दौरान घटित दुर्घटनाएं;
- (ix) किसी के आधिकारिक आवास से ड्यूटी के नियत स्थान तक और वापस आने के लिए एक उचित मार्ग से यात्रा करते समय दुर्घटनाएं, भले ही वाहन का साधन निजी हो या सरकार द्वारा प्रदान किया गया हो।

प्रवर्ग 'ग': मृत्यु या निःशक्तता का कारण:

- (i) सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक परिवहन में बम विस्फोट या अंधाधुंध गोलीबारी की घटनाएं;
- (ii) साथी सरकारी सेवक द्वारा हिंसा या हमले का कृत्य;
- (iii) प्रदर्शनकारियों या लोक सेवकों द्वारा दंगे या विद्रोह, जिसके कारण आंदोलनों का दमन करने में सिविल प्रशासन की सहायता हेतु काम में लगाए गए अन्य सरकारी सेवकों को पहुंची क्षति;
- (iv) अग्निशमन संकर्मों में लगे कर्मचारियों द्वारा अग्निशमन प्रचालन;

(v) वायुयान की परीक्षण उड़ानों के दौरान घटित दुर्घटनाएं।

प्रवर्ग 'घ': मृत्यु या निःशक्तता:

- (i) आतंकवादियों, उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा सरकारी सेवक पर लक्ष्यित हमले के परिणामस्वरूप;
- (ii) आतंकवादियों, उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान;
- (iii) अंतरराष्ट्रीय युद्ध या सीमा मुठभेड़ और युद्ध सदृश्य स्थितियों में शत्रु की कार्रवाई के दौरान;
- (iv) युद्धग्रस्त विदेश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किए गए संक्रिया के दौरान;
- (v) संक्रियात्मक क्षेत्र में जाते समय उग्रवादी कार्रवाई के कारण;
- (vi) संक्रियात्मक क्षेत्र में जाते समय बारूदी सुरंगों के विस्फोट होने के कारण;
- (vii) आयकर अपवंचकों, असामाजिक तत्वों, आदि के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान आयकर और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभागों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, या किसी अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरण आदि से संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर हमले के कारण;
- (viii) किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध आतंकवादियों, तस्करो, डकैतों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा या हमले के कृत्यों के कारण,-
 - क. उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के आशय से; या
 - ख. अपने कर्तव्यों के विधिपूर्ण निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने के प्रयास के किसी भी कार्य के कारण; या
 - ग. उनके आधिकारिक पद के कारण।
- (ix) उग्रवादियों द्वारा अपहरण करने के पश्चात;
- (x) असली गोला-बारूद के साथ प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान।

अनुसूची-4
[नियम 5 (3) देखें]

निःशक्तता या मृत्यु के लिए रेल सेवा को सेवाजन्यता मानने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

1. हकदारी के प्रश्न का विनिश्चय करते समय, सभी साक्ष्यों (प्रत्यक्ष और पारिस्थितिक दोनों) को ध्यान में रखा जाएगा और दावेदार को उचित संदेह का लाभ दिया जाएगा। फील्ड सेवा से संबंधित दावेदार के मामलों में यह लाभ अधिक उदारता से दिया जाएगा।
2. अविधिमान्य किए जाने पर सेवामुक्ति के पश्चात् मृत्यु होने के मामले नियम 4 के उपनियम (6) और नियम 11 के उपनियम (3) द्वारा समाविष्ट किए गए हैं।
3. सेवामुक्ति के बाद के दावे-मामले जिसमें रेल सेवक की सेवामुक्ति वास्तव में किसी रोग के कारण न हुई हो, परंतु यह रोग सेवामुक्ति के 7 वर्ष के भीतर हुआ हो तो ऐसे मामलों में उस रोग के लिए सरकारी सेवा को उत्तरदायी माना जाएगा, यदि चिकित्सीय रूप से यह प्रमाणित हो जाए कि निःशक्तता सेवामुक्ति से पूर्व विद्यमान सेवा परिस्थितिजन्य विकृति का विलंबित प्रकटन है और यदि निःशक्तता सेवामुक्ति के समय प्रकट हुई होती तो उसे इसी आधार पर सेवा के लिए निःशक्त घोषित कर सेवामुक्त कर दिया जाता।
4. ऐसे मामलों में जहां निःशक्तता पेंशन प्राप्त कर रहे किसी व्यक्ति की घर पर मृत्यु हो जाती है और वास्तविक चिकित्सा-दृष्टिकोण से यह निश्चित रूप से प्रमाणित न किया जा सकता हो कि मृत्यु उसी निःशक्तता के एकमात्र कारण से हुई थी जिसके लिए उसे निःशक्तता पेंशन दी गई थी तो-
 - (1) यदि उसकी मृत्यु उसे सेवा में बने रहने में असमर्थ ठहराए जाने के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, तो सेवाजन्यता निर्धारण के मामले में, संदेह का लाभ मृतक के परिवार को दिया जाए, जब तक कि दावे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले अन्य कारण विद्यमान न हों; और
 - (2) यदि उस व्यक्ति की मृत्यु उसे सेवा से बने रहने में असमर्थ ठहराए जाने के 7 वर्ष बाद हुई हो तो संदेह का लाभ राज्य को मिलेगा।
5. ऐसे मामलों में जहां कोई व्यक्ति अपने सामान्य जीवन काल से अधिक दिन तक जीवित रहता है, अर्थात् जहां उसकी मृत्यु 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु में होती है तो ऐसे मामलों में उसकी मृत्यु को सामान्य कारणों से हुई मृत्यु माना जाएगा, रेल सेवा के कारण हुई मृत्यु नहीं।

टिप्पण. - उस निःशक्तता पेंशन प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु को नियम 4(3) के अधीन रेल सेवा के कारण हुई मृत्यु माना जाएगा जिसकी निःशक्तता रोग बढ़ने के कारण मानी गई हो, यदि निःशक्तता का अंतिम निर्धारण 50 प्रतिशत या इससे अधिक था। यदि निःशक्तता का अंतिम स्वीकृत निर्धारण 50 प्रतिशत से कम था तो मृत्यु को रेल सेवा के कारण हुई मृत्यु नहीं माना जाना चाहिए।

उपर्युक्त प्रक्रिया तब लागू होगी जब यह प्रमाणित हो जाए कि मृत्यु उसी निःशक्तता के कारण हुई है जिसके लिए निःशक्तता पेंशन दी गई थी। यदि मामला ऐसा नहीं है तो सर्वप्रथम इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार मृत्यु के कारण तथा असमर्थ बनाने वाली निःशक्तता का पता लगाया जाएगा। यदि पहचान को स्वीकार किया जा सकता है, तो पूर्ववर्ती उप-पैरा में वर्णित प्रक्रिया का पालन यह निर्धारित करने के लिए किया जाएगा कि क्या असाधारण पारिवारिक पेंशन की हकदारिता उस मामले में स्वीकार किया जा सकता है जहाँ सेवा के कारण अमान्य होने पर विकलांगता बढ़ गई थी।

6. (1)(क) रेल सेवक को 'ड्यूटी' के समय हुई क्षतियों को रेल सेवा के कारण या परिणामस्वरूप हुई क्षतियाँ मानी जाएगी; परंतु गंभीर असावधानी या कदाचार के कारण हुई क्षतियों के मामलों में निःशक्तता पेंशन को कम करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

(ख) ड्यूटी के समय स्वयं हुई क्षतियों के मामलों में, सेवाजन्यता तब तक निर्धारित की जाएगी जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि ऐसी कार्रवाई के लिए सेवा के घटक सेवाजन्य थे; जिन मामलों में उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाता है उन मामलों में पूरी या घटी हुई दर पर निःशक्तता पेंशन देने पर विचार किया जाएगा।

(2) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बटालियन के अनुशासनिक संहिता के अधीन व्यक्ति 'ड्यूटी पर' होता है-

(क) जब वह किसी सरकारी काम या कोई भी ऐसा काम करते समय जिसको पूरा न कर पाने के कारण उस पर लागू होने वाले अनुशासनिक संहिता के अधीन उस पर कोई कार्रवाई की जा सकती हो।

(ख) जब वह ड्यूटी के एक स्थान से ड्यूटी के दूसरे स्थान पर जा रहा हो, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि आने-जाने का तरीका क्या था।

(ग) सेवा प्राधिकारियों द्वारा आयोजित या अनुज्ञाप्राप्त किसी मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान और किसी निकाय के साथ या अकेले ही संगठित व्यवस्था के अंतर्गत यात्रा कर रहा हो।

(घ) जब वह ड्यूटी स्टेशन से अपने छुट्टी स्टेशन को जाते समय या छुट्टी स्टेशन से अपने ड्यूटी पर लौट रहा हो।

(ङ) जब सरकारी आवास से ड्यूटी के नियत स्थान तक आने और वापस जाने के उचित मार्ग से यात्रा की जाती है, चाहे वाहन के साधन निजी हों या सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हों।

(3) (i) कोई दुर्घटना ऐसे समय में होती है जब रेल सेवक सर्वथा 'ड्यूटी पर' न हो, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, उसे भी सेवा के कारण हुआ माना जा सकता है, परंतु इसमें ऐसा जोखिम सम्मिलित हो जिसके स्वरूप या मात्रा को उसकी सेवा के प्रकृति शर्तों, बाध्यताओं और घटनाओं में निश्चय ही बढ़ाया हो और यह भी कि यह दुर्घटना भारत की आधुनिक परिस्थितियों में ऐसा जोखिम नहीं है जो किसी व्यक्ति के लिए सामान्य माना जाए। अतः, उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा इसलिए मारा गया हो या जख्मी किया गया हो कि वह किसी सशस्त्र पुलिस बटालियन से संबंधित था (और उसने ऐसी सेवा में अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसे व्यक्ति को क्रोध दिलाया हो) तो वह सुसंगत समय पर 'ड्यूटी पर' माना जाएगा।

(ii) सुसंगत अधिनियमों या नियमों में यथापरिभाषित (उदहारण के लिए, वे जो सीमा सुरक्षा बल या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आदि के कार्मिकों के लिए लागू हैं) 'सक्रिय सेवा' के दौरान होने वाले मामलों में दावेदारों को यह खंड (i) के अधीन लाभ अधिक उदारता से दिया जाएगा।

टिप्पण 1. - (क) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बटालियनों के उन कार्मिकों को निःशक्तता और कुटुंब पेंशन के हकदारी नियमों के प्रयोजन के लिए 'झूटी पर' समझा जाएगा जो सरकार के अनुमोदन से (i) स्थानीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सेवा की टीम के सदस्य के रूप में भाग ले रहे हों, या (ii) सेवा प्राधिकारियों द्वारा आयोजित पर्वतारोहण/ग्लाइडिंग अभियानों में भाग ले रहे हों।

(ख) ऊपर उल्लिखित खेल-प्रतियोगिताओं में भाग लेने या निजी स्तर पर आयोजित पर्वतारोहण या ग्लाइडिंग अभियानों को शौक के रूप में अपनाने वाले उपर्युक्त कार्मिक अपनी निजी हैसियत से उसमें भाग लेते हैं तो उन्हें इन नियमों के प्रयोजन के लिए 'झूटी पर' नहीं माना जाएगा, चाहे उन्होंने सक्षम सेवा प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति भी ले रखी हो।

(ग) परेड के घंटों के बाद स्थानीय सेवा प्राधिकारी द्वारा या उनके अनुमोदन से आयोजित खेल-कूद के दौरान उपर्युक्त कार्मिकों को हुई क्षतियों और ऐसी क्षतियों से होने वाली मृत्यु को इन नियमों के प्रयोजन के लिए 'झूटी पर' हुई क्षति/मृत्यु माना जाएगा।

टिप्पण 2. - हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग या इसी प्रकार के अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले उपर्युक्त कार्मिकों को, इन पाठ्यक्रमों के दौरान होने वाली निःशक्तता/मृत्यु के मद्दे पर निःशक्तता/कुटुंब पेंशन की मंजूरी के प्रयोजन हेतु सेवा के लिए अधिकृत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या कार्यों में भाग लेने वाले कार्मिकों के बराबर माना जाएगा।

7. रोगों के संबंध में, निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाएगा, अर्थात् :-

(1) ऐसे मामले जिनमें यह साबित हो जाए कि रेल सेवा की स्थितियां रोग के आरंभ का कारण या उसमें सहायक नहीं हैं, परंतु जिन्होंने रोग को बाद में बढ़ाया है, उन्हें रोग के बढ़ाने के आधार पर मंजूर किया जाएगा।

(2) ऐसा रोग जिसके कारण किसी व्यक्ति को सेवामुक्त किया गया या उसकी मृत्यु हो गई हो, को सेवा में हुआ समझा जाएगा यदि इस संबंध में सरकारी सेवा स्वीकार करते समय कोई ध्यान नहीं दिया गया हो। तथापि, यदि चिकित्सीय राय यह बताती है कि कथन किए गए कारणों के कारण सेवा के लिए स्वीकृति से पूर्व चिकित्सीय परिक्षण से इस रोग का पता नहीं लगाया जा सकता था, तो यह नहीं समझा जाएगा कि रोग सेवा के दौरान ही हुआ।

(3) यदि किसी रोग के बारे में यह स्वीकार कर लिया जाए कि यह सेवा के दौरान ही हुआ है, तो यह साबित करना भी आवश्यक है कि रेल सेवा की परिस्थितियों के कारण रोग हुआ या रोग और बढ़ा और यह भी कि यह परिस्थितियां रेल सेवा के दौरान किए जाने वाले झूटी के कारण थीं।

(4) इस बात पर विचार करते समय कि विशिष्ट रोग रेल सेवा के दौरान हुआ है या नहीं, यह आवश्यक है कि प्रमाणित तथ्यों को रोग हेतु विज्ञान और उसके सामान्य विकास को इस आशय से बताया जाए कि अनुसूची 1-क के अनुसार समय कारक के साथ सेवा- परिस्थितियां जैसे कि अपावरण, तनाव, जलवायु, आदि ही उसके आविर्भाव हैं।

(क) मौसम के अपावरण के द्वारा होने वाले सामान्य रोग - श्वसनी-शोथ, गठिया और वृक्कशोथ - जैसे रोग साथ ही श्वसन प्रणाली, जोड़ों और वृक्क से संबंधित रोग जलवायु स्थितियों से प्रभावित होते हैं। किसी एक विशेष स्थान पर सेवा की समयावधि और सेवा परिस्थितियों को सेवा के साथ आकस्मिक संबंध होने का अवधारण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(ख) दबाव और तनाव के द्वारा होने वाले सामान्य रोग - इसका विनिश्चय रेल सेवा में व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को ऐसे कार्यों पर लगाया गया हो जिन्हें बैठ कर करना हो, सामान्यतः वे उसके योग्य नहीं माने जाएंगे।

(ग) कतिपय क्षेत्रों में होने वाले रोग - मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिएसिस, अतिसार (पेचिस), हैजा आदि रोग कुछ विशेष क्षेत्रों में होने वाले रोग हैं और ये रोग ऐसे संक्रमित व्यक्तियों के इधर-उधर आने जाने से भी हो सकते हैं और सेवा के साथ आकस्मिक संबंध होने का अवधारण करने में यह प्रमाणित करना होगा कि सरकारी सेवा में व्यक्ति ने ऐसी परिस्थितियों में काम किया कि उसे संक्रमण हो गया और परिणामस्वरूप वह रोग से संक्रमित हो गया और जहां सेवा में आने से पूर्व या कार्य पर न रहने या छुट्टी पर रहने या अभित्यजन या अनधिकृत अनुपस्थिति आदि के दौरान रोग लगने के चिकित्सीय प्रमाण हैं वहां इस आरोग्यता को तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि रोग उद्भवकाल के भीतर न हुआ हो।

(घ) सेवा के दौरान हुए संक्रमण के कारण रोग - यदि सदस्य रेल सेवा की परिस्थितियों से संक्रमण के प्रभाव में आया हो तो उसके पेंशन के हक को स्वीकार किया जाएगा।

(ङ) आहार संबंधी बाध्यताओं के कारण होने वाले रोग - सेवा की बाध्यताओं में, ऐसे मामले जैसे जठर संबंधी गड़बड़ी, जठरशोथ, जठर और ग्रहणी (ड्यूडोनल) ब्रण (अल्सर) आदि भी सम्मिलित होंगे जिनमें यह प्रमाणित किया गया हो कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की दशा के अनुसार अपेक्षित आहार लेने में असमर्थ था। ऐसे मामलों में सेवा का प्रभाव अनिवार्यतः पूर्व विद्यमान रोग बढ़ने के प्रश्न तक सीमित रहेगा। यह एक स्थान पर बैठकर काम करने वाले व्यवसाय पर लगे व्यक्तियों पर सामान्यतः लागू नहीं होगा।

(च) रोग जो बाह्य परिस्थितियों से स्वतंत्र रूप से अपने अनुक्रम में होते हैं - कतिपय रोग ऐसे होते हैं जो एक समान रहेंगे चाहे व्यक्ति रेल सेवा में रहा हो या नहीं, जैसे, ल्यूकेमिया, हॉजकिन रोग आदि (अनुसूची-क का भाग 2 देखें)। ऐसे मामलों को तब तक सेवा के कारण बढ़ा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए कि सेवा की अपेक्षाओं के कारण व्यक्ति को संतोषप्रद ढंग और स्तर का उपचार नहीं मिला या ऐसा उपचार इतने विलंब से मिला कि वह उतना प्रभावी नहीं हो सका जितना होना चाहिए था।

(छ) रतिज रोग - (i) रतिज रोगों को सामान्यतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा, किंतु रोग के परिणाम को कभी-कभी सेवा द्वारा बढ़ाया गया माना जा सकता है। सेवा के दौरान हुए ऐसे रोगों के मामले, इसकी स्वीकृति के

आधार बिरले ही केवल ऐसी स्थिति में मिल पाएंगे जब कि उपचार के पश्चात् वह व्यक्ति अपनी पूरी ऊँट्टी पर लौट जाए और उसे इतना काम करना पड़े कि सामान्यतः जितने समय में रोग के परवर्ती प्रभाव होते हैं उससे जल्दी ये प्रभाव हो जाएं। कार्य का यह दबाव आपवादिक प्रकृति का होना चाहिए।

(ii) सेवा में आने से पहले हुए रोग में यदि व्यक्ति उस अवस्था का हो चुका है जब इस प्रकार का कोई रोग प्रकट होने की संभावना को स्वीकार किया जा सकता हो तो ऐसे मामले में यह हक मान्य नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि बाद में प्रकट हुआ रोग सेवा के दौरान अधिक काम के दबाव के कारण उत्पन्न हुआ हो या बढ़ा हो तो रोग में हुई वृद्धि के आधार पर इस हक के संबंध में विचार किया जा सकता है, ऐसे मामले में इस बात का साक्ष्य होना चाहिए कि अत्यधिक काम का दबाव आपवादिक प्रकृति का था।

(iii) आनुवंशिकता के कारण हुए रोग के मामले में, उपर्युक्त पैरा (ii) के अनुसार हक अवधारित किया जाना चाहिए।

(iv) उपर्युक्त में केवल न्यूरोसिफलिस या कार्डियोवस्कुलर सिफलिस जैसे ऐसे रोग का उल्लेख है जो रतिज रोग के बाद में प्रकट होते हैं या परिणामस्वरूप प्रकट होते हैं।

(ज) मादक द्रव्यों या मदिरा के सेवन के कारण होने वाली निःशक्तता - यदि मादक द्रव्यों या मदिरा के सेवन जो कि किसी व्यक्ति के अपने वश में होता है, के परिणामस्वरूप हुई निःशक्तता या मृत्यु के आधार पर दावा किया गया है, तो यह हक मान्य नहीं होगा।

6. सेवा संबंधी चिकित्सा उपचार के अप्रत्याशित प्रभाव-(1) यदि अप्रत्याशित जटिलताएं किसी व्यक्ति को सेवा के कार्यों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य बनाने के प्रयोजन से किए गए उपचार (इसमें शल्य उपचार भी सम्मिलित है) के परिणामस्वरूप पैदा हुई हो, इस प्रकार उत्पन्न किसी भी निःशक्तता को सामान्यतः सेवा के कारण उत्पन्न हुआ माना जाएगा।

(2) जहां उपचार अन्य कारणों से किया गया हो और अप्रत्याशित जटिलताओं से संबंधित स्थिति इस बात के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है कि जिस स्थिति से उपचार की आवश्यकता पड़ी, क्या वह सेवा के कारण हुई थी या नहीं या वह सेवा के कारण अधिक बिगड़ी थी या नहीं। यदि वह स्थिति इस प्रकार उत्पन्न हुई थी या अधिक बिगड़ी थी तो उपचार के परिणामस्वरूप होने वाली किसी निःशक्तता को सेवा के कारण हुआ माना जाएगा और यदि ऐसा नहीं था तो अतिरिक्त निःशक्तता के लिए तब तक कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उपेक्षा, विलंब, गलत तकनीक या यथोचित कौशल की कमी को इस बुरे परिणाम के लिए या उपचार से पहले या उपचार के दौरान या उपचार के बाद सेवा की अपेक्षाओं को यह स्थिति पैदा करने या इसे अधिक बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता।

(3) उपर्युक्त बातें सेवा अस्पताल में या किसी अन्य अस्पताल में सेवा प्रबंधों के अधीन किए गए उपचार के संबंध में लागू होंगी, किंतु यदि किसी व्यक्ति ने निजी प्रबंध से यह उपचार करवाया हो तो वहां ये बातें लागू नहीं होंगी।

7. निर्धारण-(1) किसी निःशक्तता का निर्धारण इसके द्वारा हुई अंगहानि की मात्रा का अनुमान है, जिसे उचित रूप में निम्नलिखित प्रकार से सेवा के कारण हुआ माना जा सकता है।

(2) उचित रूप से सेवा के कारण हुई निःशक्तता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) रेल सेवा से सेवामुक्ति के समय सामान्यतया निःशक्तता के कारण तब हुई पूर्ण निःशक्तता और यह नियम इसका विचार किए बिना भी लागू होगा चाहे निःशक्तता वस्तुतः सेवा के कारण हुई हो या केवल उसके कारण बड़ी हो। बाद की स्थिति में, यह संभव हो सकता है कि सेवामुक्ति के समय आंशिक निःशक्तता सेवा से पहले भी मौजूद हो या सेवा के दौरान निःशक्तता में प्राकृतिक रूप से हुई वृद्धि के कारण हुई हो। किंतु जब तक सेवा का दबाव और तनाव बना रहता है, तब तक सेवा तथा सेवा बाह्य घटकों के प्रभावों को मात्रानुसार विभाजित करना असंभव होता है, अतः, सेवामुक्ति के समय पूर्ण निःशक्तता पर विचार किया जाएगा।

उदाहरणार्थ: (i) यदि किसी व्यक्ति का एक हाथ आंशिक रूप से निःशक्त हो और उसके उसी हाथ में क्षति हो जाए जिसके परिणामस्वरूप उसका हाथ पहले से कम उपयोगी रह जाए, या किसी व्यक्ति का एक पैर दुर्बल हो और सेवा के कारण दूसरे पैर में भी क्षति हो जाए और चलने में दोष और भी बढ़ जाए; या

(ii) जहां कोई व्यक्ति भर्ती होने से पहले खांसी और जुकाम के बारे में अपना इतिवृत्त बता दे और उसे पुराने ब्रोंकाइटिस की वजह से उसे सेवा के लिए असमर्थ ठहराया गया हो जो कि सेवा के कारण और बढ़ा, तो पूर्ण निःशक्तता के लिए पेंशन अनुज्ञेय होगी।

टिप्पण: ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनमें शराब, तम्बाकू या नशीली दवाओं के अनुचित या अत्यधिक उपयोग या रतिज रोग से निःशक्तता हुई हो या बड़ी हो। ऐसे मामलों में, सेवा के कारण हुई निःशक्तता का निर्धारण करने में इनके प्रभावों को बाहर रखा जाएगा।

(ख) सेवा से कार्यमुक्ति के पश्चात् निःशक्तता के पुनः सर्वेक्षण करने पर, निम्नलिखित को घटाकर तब निःशक्तता के कारण हुई पूर्ण निःशक्तता:-

(i) सेवा बाह्य घटकों के कारण, जैसे व्यक्तिगत आदतें, निजी जीवन में व्यवसाय, सेवामुक्ति के पश्चात् दुर्घटना, सेवामुक्ति के पश्चात् जलवायु संबंधी वातावरण;

(ii) सेवा के प्रभावों के अतिरिक्त सेवामुक्ति के बाद निःशक्तता के प्राकृतिक रूप से बढ़ने के कारण बिगड़ी स्थिति।

टिप्पण: कटौती(i) सभी मामलों में की जाएगी; जबकि कटौती (ii) केवल ऐसे मामलों में लागू होगी जहां यह माना गया हो कि निःशक्तता सेवा से बड़ी है किंतु सेवा के कारण नहीं हुई है।

(3) जिन मामलों में यह मान लिया गया हो कि इसमें सेवा के कारण विकृति आई है, हालांकि 20 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता की प्रतिशतता, उसका निर्धारण सेवामुक्ति के बाद, चिकित्सा पुनःसर्वेक्षण के आधार पर, ऊपर (2) (ख) (ii) के अनुसार किया जाए, किंतु जैसे ही सेवा के कारण विकृति के प्रभावों को समाप्त मान लिया जाएगा, निःशक्तता पेंशन बंद कर दी जाएगी अर्थात् फाइब्रोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एक्जिमा आदि रोग जो सेवा के कारण बड़े स्वीकार किए गए हों और उसे उन्होंने ही निःशक्तता बताया हो और उसे चिकित्सा बोर्ड ने

पुनःसर्वेक्षण करने पर (क) सेवा-पूर्व स्थिति या (ख) उस स्थिति में पाया हो जहां सामान्यतया वह इस समय हो तो चाहे वह रेल सेवा में न आया होता, तो सेवा के कारण आई विकृति को समाप्त मान लिया जाएगा।

(4) युग्मित अवयव,-

(क) युग्मित अवयवों अर्थात् आंख, कान, हाथ और पैर पर एक साथ विचार किया जाएगा, जहां सेवा के कारण युग्मित अवयवों में से एक अवयव निःशक्त हुआ हो तो सेवामुक्ति के समय एक साथ कार्य कर रहे अवयवों की कार्यात्मक क्षमता में आई कमी के अनुसार निर्धारण किया जाएगा। अतः, निर्धारण में अवयव युगल के कार्यात्मक दोष को देखा जाएगा।

(ख) नीचे विनिर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर, सेवा बाह्य निःशक्तता में बाद में हुई किसी भी वृद्धि और सेवामुक्ति के बाद चोट लगने या रोग होने के कारण होने वाली सेवा बाह्य निःशक्तता को निर्धारण से अपवर्जित किया जाएगा।

(ग)(i) ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिनमें सेवामुक्ति के समय, सेवा के कारण युग्मित अवयव में से केवल एक को क्षति पहुंची हो (अर्थात् एक आंख, कान, बाजू तथा हाथ) और पैर (पांव) और दूसरा अवयव सामान्य हो या मामूली क्षतिग्रस्त हुआ हो। जहां ऊपर खंड (ख) के अधीन स्वीकार्य निःशक्तता और दूसरे अंग या अवयव की निःशक्तता पर, पश्चातवर्ती तारीख में 100% के आधार पर निर्धारण हुआ हो तो पेंशन प्रयोजनों के लिए निर्धारित राशि में चालू निर्धारण और 100 प्रतिशत के बीच के अंतर की आधी रकम की वृद्धि कर दी जाएगी। उदाहरण के लिए, एक आंख की क्षति के लिए 40% की दर पर एवार्ड पाने वाला पेंशनभोगी, बाद में दूसरी आंख भी किसी सेवा बाह्य कारण से चली जाने पर, उसका एवार्ड 70% की दर तक बढ़ा दिया जाएगा और एक बाजू से गोली से जखमी पेंशनभोगी, जो 80% पर एवार्ड प्राप्त कर रहा है, जिसकी बाद में दूसरी बाजू में भी गंभीर गठिया हो जाने पर 100% निःशक्त हो जाता है, तो उसे 90% की दर पर संशोधित एवार्ड दिया जाएगा।

(ii) जहां युग्मित अवयवों की संयुक्त निःशक्तता 100% से कम किंतु, खंड(ख) के अधीन स्वीकार्य निःशक्तता से दुगुनी गंभीर हो, तो निर्धारण में संयुक्त निःशक्तता के आधे तक वृद्धि कर दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि एक आंख से आंशिक दृष्टिहीनता के लिए 30% की दर पर एवार्ड पाने वाले पेंशनभोगी की किसी सेवा बाह्य कारण से दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाए और दोनों आंखों की दोषपूर्ण दृष्टि 80% पर निर्धारण योग्य हो तो उसका एवार्ड 40% की दर तक बढ़ा दिया जाएगा।

(घ) पूर्वोक्त उप-खंड के उपबंध तब भी लागू होंगे, जब कि अवयव युग्म का दूसरा अंग किसी सामान्य निःशक्तता (अर्थात् वात गठिया) से निःशक्त हुआ हो जिसके कारण ऐसी स्थिति युग्म का पहला अंग भी निःशक्त हो जाता यदि वह सेवा के परिणामस्वरूप कटा या खराब न हुआ होता।

(5) सम्मिश्रित निर्धारण :- यदि सेवा के कारण दो या दो से अधिक निःशक्तताएं हैं, तो प्रतिकर निःशक्तता की मात्रा के सम्मिश्रित निर्धारण के आधार पर दिया जाएगा। साधारणतया, जब अलग-अलग निःशक्तताओं का भिन्न-भिन्न कार्यात्मक प्रभाव हो तो सम्मिश्रित निर्धारण अलग-अलग निर्धारणों का गणितीय योग होगा और

किंतु निःशक्तताओं के कार्यात्मक प्रभाव तक दूसरे पद अतिव्याप्त होने पर अतिव्याप्ति की मात्रा के अनुपात में सम्मिश्रित निर्धारण में कमी कर दी जाएगी।

(6) शून्य निःशक्तता .- जहां, यद्यपि एक निश्चित निःशक्तता हो या परिलक्षित हो और चिकित्सा बोर्ड का यह विचार है कि इसके परिणामस्वरूप होने वाली कोई भी निःशक्तता समाप्त हो गई है या इतनी कम हो गई है कि निर्धारित प्रतिकर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उस निर्धारण को “शून्य निःशक्तता” के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा।

(7) जहां सेवा के कारण हुई निःशक्तता का पूर्व विद्यमान निःशक्तता से कोई संबंध न हो, उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति की उंगली भर्ती से पहले कटी हो और सेवा के कारण उसके पैर का अंगूठा भी कट जाए तो प्रतिकर केवल पैर के अंगूठे के लिए दिया जाएगा।

प्ररूप ड -1

[नियम 14(3) देखिए]

निःशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त रेल सेवक से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभिप्राप्त की जाने वाली विशिष्टियां

फोटोग्राफ

1. रेल सेवक के ब्यौरे

नाम		पदनाम/रैंक/ पद	
आईआरएलए/वैयक्तिक/बल/रेजिमेंट सं./कर्मचारी कोड		सेवानिवृत्ति की तारीख	
जन्म तारीख		क्षति/रोग की तारीख	
मंत्रालय/विभाग/कार्यालय		पैन सं.	
आधार सं.* (स्वैच्छिक)		राष्ट्रीयता	

2. भविष्य के पत्राचार के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात का पता:

फ्लैट/मकान सं./बिल्डिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाकघर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
ई-मेल आईडी		मोबाइल नं.	

3. बैंक का ब्यौरा जिसके माध्यम से पेंशन आहरित की जानी है:

खाता का प्रकार	☐ एकल ☐ पति/पत्नी के साथ संयुक्त	गली/मोहल्ला	
बैंक का नाम		शाखा	
आईएफएस कोड			

टिप्पण 1: कृपया खाता धारक का नाम दर्शाने वाली पासबुक के प्रथम पृष्ठ/रद्द किए गए चेक/दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करें। (बैंक खाते, इस प्ररूप और कार्यालय के रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए।)

टिप्पण 2: कृपया सुनिश्चित करें कि रेल सेवक संयुक्त खाते में प्राथमिक खाताधारक है। यदि कार्यालय अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक के लिए उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है, तो इस अपेक्षा में छूट दी जा सकती है।

4. सेवानिवृत्त होने वाले/ सेवानिवृत्त रेल सेवक की ओर से इस प्ररूप को जमा करने के लिए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 57(3) के अधीन प्राधिकृत रेल सेवक के कुटुंब के सदस्य का ब्यौरा:

नाम		रेल सेवक के साथ नातेदारी	
आधार सं.* (स्वैच्छिक)		राष्ट्रीयता	
फ्लैट/मकान सं./बिल्डिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाकघर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
ई-मेल आईडी		मोबाइल नंबर	
रेल सेवक द्वारा स्वयं इस प्ररूप को जमा नहीं कर पाने के कारण			

5. उपदर्शित करें कि क्या कुटुंब पेंशन किसी अन्य स्रोत से भी अनुज्ञेय है- (जो लागू हो, उस पर निशान लगाएं)

- सैन्य ☐
- केंद्रीय सरकार ☐
- राज्य सरकार ☐
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि ☐

6. क्या कुटुंब के किसी सदस्य (पति/पत्नी के अलावा) को कुटुंब पेंशन के लिए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 63(1)(घ) के अनुसार सह-प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है? हाँ/नहीं

(यदि हाँ, तो कृपया रेल सेवा (पेंशन) नियम 2026, का प्ररूप 8 संलग्न करें)

घोषणा:

मुझे ज्ञात है कि पेंशन/कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का आचरण भविष्य में अच्छा बना रहे।

संलग्न : संलग्न सूची के अनुसार

स्थान:

तारीख:

(इस प्ररूप को जमा करने के लिए
प्राधिकृत रेल सेवक/कुटुंब के सदस्य के हस्ताक्षर)

नाम:

**आधार सं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि केवल पेंशन से संबंधित प्रयास के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।*

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. दो नमूना हस्ताक्षर (पृथक शीट में प्रस्तुत किए जाएंगे) यदि दावेदार अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता है/सकती है, तो उसे नमूना हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज़ पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।

2. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 का प्ररूप 8, यदि कुटुंब के किसी सदस्य को कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 63(1)(घ) के अनुसार, कुटुंब के निम्नलिखित सदस्य पति/पत्नी के साथ कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकरण के पात्र हैं, यदि उनसे पहले कुटुंब का कोई दूसरा अन्य सदस्य कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है:

- निःशक्त बालक/बालकों (सह प्राधिकरण के लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र संलग्न करें।)
- आश्रित माता-पिता।
- निःशक्त सहोदर (सहप्राधिकरण के लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र संलग्न करें)

3. पति/पत्नी के साथ संयुक्त फोटो या स्वयं और पति/पत्नी की अलग-अलग फोटोग्राफ्स की तीन प्रतियों के साथ-साथ सदस्य या कुटुंब के सदस्यों की फोटोग्राफ्स की तीन प्रतियां जिनके नाम सह-प्राधिकृत कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किए जाने हैं। (फोटोग्राफ्स कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित की जाएंगे।)

4. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के प्ररूप 4 में कुटुंब का ब्यौरा। [राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले रेल सेवक के मामले में रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025 के प्ररूप 1 और प्ररूप 2 संलग्न करें।]
5. पेंशन संवितरण बैंक द्वारा किए गए किसी भी अधिक संदाय को वापस करने के लिए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के प्ररूप 9 में वचनबंध।
6. सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप- रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 का प्ररूप 3 में उपदान, केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना और राज्य रेल भविष्य निधि के लिए नामनिर्देशन।
7. पेंशन बकाया संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 1983 के प्ररूप क में बकाया पेंशन के लिए नामनिर्देशन।
8. अनुभव (वैकल्पिक) के अधीन ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप।
9. सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, सेवानिवृत्त उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आर ई एल एच एस) की चिकित्सा सुविधाओं या नियत चिकित्सा भत्ता का लाभ उठाने के लिए विकल्प का प्ररूप।
10. बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी जिसमें पेंशन जमा की जानी है या खाताधारक का नाम और खाता विवरण दर्शाने वाला निरस्त चैक/कोई अन्य बैंक दस्तावेज़।
11. पैन कार्ड की प्रति।

प्ररूप ड-2

[नियम 14(5) और 14(8) देखिए]

पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान का निर्धारण करने के लिए प्ररूप

भाग-1 (कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जाए)

1. सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक के ब्यौरे:-					
नाम				राष्ट्रीयता	
माँ का नाम				पिता का नाम	
*आधार सं. (यदि हो)		पैन		जन्म तारीख	दिन/माह/वर्ष
2. सेवानिवृत्ति के समय धारित पदनाम/रैंक/पद:-					
(क) कार्यालय का नाम			(ख) पदनाम/ रैंक/पद		
(ग) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर			(घ) मूल वेतन		
(ड.) क्या उपरिवर्णित नियुक्ति सरकार के अधीन या सरकार से बाहर अन्यत्र सेवा शर्तों पर थी					
(च) मूल विभाग में पद के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर/मूल वेतन					
(छ) क्या रेल के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी घोषित किया गया था					
3. सेवा के आरम्भ होने की तारीख	दिन/माह/वर्ष		4. सेवा समाप्ति की तारीख	दिन/माह/वर्ष	
5. वह तारीख जिसको रेल सेवक सामान्य क्रम में सेवानिवृत्त हुआ होगा				दिन/माह/वर्ष	
6. सैन्य सेवा, अगर कोई है :-					
(क) सैन्य सेवा की अवधि			(ख) सैन्य सेवा के लिए आहरित सेवांत हितलाभ		
(ग) क्या सिविल पेंशन के लिए सैन्य सेवा की गणना करने का विकल्प दिया गया है?					
(घ) यदि ऊपर (ग) का उत्तर हाँ है, तो क्या सेवांत हितलाभ को वापस किया गया है?					
7. किसी स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में की गई सेवा, यदि कोई है:-					
(क) सेवा के ब्यौरे:	संगठन का नाम		धारित पद		
सेवा की अवधि	से	दिन/माह/वर्ष	तक	दिन/माह/वर्ष	
(ख) क्या सरकार में पेंशन के लिए गणना में ली जाने वाली सेवा है?					
(ग) क्या स्वायत्त संगठन ने रेल को अपने पेंशन संबंधी दायित्व का उन्मोचन					

किया है						
8. क्या सेवानिवृत्त होने वाले सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित हैं। यदि हाँ, तो आरोपों का ज्ञापन/निलंबन आदेश/अपराधिक मामलों के ब्यौरे दर्शित किए जाए। रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 8 के अनुसार, अंतिम पेंशन (रेल सेवा (पेंशन) नियम 2026 के अधीन दरों के अनुसार) विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक और उन पर अंतिम आदेशों के जारी होने तक अंतिम पेंशन अनुज्ञेय होगी उपदान विधारित किया जाएगा।						
9. निःशक्तता के ब्यौरे:-						
(क) प्रवर्ग						
(ख) ब्रॉड-बैंडिंग के बिना निःशक्तता का प्रतिशत						
(ग) ब्रॉड-बैंडिंग के साथ निःशक्तता का प्रतिशत						
10. सेवा के ब्यौरे						
(क) सेवा की अवधि	से		तक		सेवा की कुल अवधि	
(ख) सेवा पुस्तिका में लोप, त्रुटियों या कमियों का ब्यौरा, जिनकी उपेक्षा की गई है।						
(ग) ऐसी अवधि जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है:-						
(i) बाल सेवा						
(ii) अर्हक सेवा के रूप में गणना में न ली जाने वाली असाधारण छुट्टी।						
(iii) निलम्बन की अवधियां जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है।						
(iv) सेवा में व्यवधान						
(v) संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधियां जिनके लिए कोई पेंशन अंशदान संदेय नहीं है/प्राप्त नहीं हुआ है						
(vi) कोई अन्य अवधि जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है (ब्यौरा दें)						
(घ) अर्हक सेवा में परिवर्धन:-						
(i) सिविल सेवा				(ii) सैन्य सेवा		
(iii) राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय में की गई सेवा का लाभ				(iv) अस्थायी प्रास्थिति सेवा		

(ड.) शुद्ध अर्हक सेवा (क – ख – ग + घ)					
(च) पूर्ण की गई छमाही अवधियों के रूप में व्यक्त अर्हक सेवा, (तीन माह और इससे अधिक की अवधि को पूर्ण छह माह की अवधि के रूप में माना जाए)					
(छ) पूर्ण की गई छमाही अवधियों के रूप में व्यक्त अर्हक सेवा उस तारीख तक अर्हक सेवा की गणना, जिस तारीख को रेल सेवक सामान्य क्रम में सेवानिवृत्त हुआ होगा (केवल प्रवर्ग ग और घ के मामले में उपदान की रकम का अवधारण करने के लिए)					
11. परिलब्धियां:-					
(क) नियम 10(2)(iv) के अनुसार परिलब्धियां					
(ख) सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम दस माह के दौरान परिलब्धियाँ		से	दिन/माह/वर्ष	को	दिन/माह/वर्ष
से	तक	मूल वेतन	पेंशन के लिए परिलब्धियों के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य वेतन	एनपीए	औसत परिलब्धियों के प्रयोजनार्थ मूल वेतन (गैर व्यवहार्य भत्ता सहित)
दिन/माह/वर्ष	दिन/माह/वर्ष				
टिप्पण: यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अधिकारी विदेश सेवा पर था, तो वे परिलब्धियां जो उसने सरकार के अधीन प्राप्त की होती, यदि वह विदेश सेवामें न गया होता, उनका उल्लेख उपरोक्त मद (क) और (ख) में किया जाए।					
(ग) औसत परिलब्धियाँ					
(घ) पेंशन या कुटुंब पेंशन के लिए गण्य परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां (जो भी अधिक है) या वेतन, [(क) या (ग), जो भी अधिक हो]					
(ड.) सेवानिवृत्ति की तारीख को देय अनुज्ञेय महंगाई भत्ता					
(च) सेवानिवृत्ति उपदान के लिए गण्य परिलब्धियाँ [(घ) + (ड.)]					
12. प्रस्तावित पेंशन का ब्यौरा:-					
(क) सेवा तत्व					
(ख) निःशुक्तता तत्व					
(ग) प्रस्तावित पेंशन [(क) + (ख)]					
(घ) पेंशन पर महंगाई राहत (सेवानिवृत्ति की तारीख को)					
(ड.) वह तारीख जिससे पेंशन शुरू होनी है					

(च) वह तारीख जिससे अनंतिम पेंशन, यजि कोई है, संदाय की जा रही है।	दिन/माह/वर्ष	(छ) अनंतिम पेंशन की रकम, जो संदाय की जा रही है (प्रति माह)	
13. प्रस्तावित उपदान का ब्यौरा:-			
(क) सेवानिवृत्ति उपदान की रकम			
(ख) संदत्त अनंतिम उपदान की रकम, यदि कोई है			
14. उपदान से वसूली योग्य सरकारी या रेल शोध्यों के ब्यौरे:-			
(क) सरकारी या रेल आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस			
(ख) रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 69 में निर्दिष्ट शोध्य			
(ग) संपदा निदेशालय द्वारा उपदर्शित रकम जिसे रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 68 के उप-नियम (5) के अधीन विधारित किया जाना है			
15. क. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम और अवधि			
(i) बढी हुई दर (रेल सेवा नियम, 2026 का नियम 50(2)(क)(iii)]			
(ii) साधारण दर [रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 2026 का नियम 50(2)(क)(i)]			
टिप्पण: पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में, बढी हुई दर पर कुटुंब पेंशन सात वर्ष की अवधि के लिए, या उस तारीख तक की अवधि के लिए संदेय होगी जिसको सेवानिवृत्त मृत सरकारी सेवक 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, यदि वह जीवित होता, उनमें से जो भी पहले हो।			
15 ख. रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम, यदि उसी क्षति या रोग, जिसके कारण निःशक्तता होने पर सेवामुक्त किया गया था, सात वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है [नियम 11 (2) का परंतुक]:			
(i) विधवा/विधुर और बालकों को कुटुंब पेंशन			
(ii) माता-पिता, आश्रित अवयस्क सहोदर और आश्रित निःशक्त सहोदर को कुटुंब पेंशन			
16. कुटुंब के सदस्यों के नाम, जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन प्राधिकृत जाएगी:-			
क. पति/पत्नी का नाम			
ख. यदि कुटुंब पेंशन के कुटुंब के अन्य सदस्यों साथ साझा किया जाना है (उदाहरण के लिए, मृत पत्नी से बालक या तलाकशुदा पत्नी से बालक), तो पति/पत्नी को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत			
ग. उपर (ख) में निर्दिष्ट कुटुंब के अन्य सदस्यों के नाम एवं नातेदारी।		1.	
		2.	
		3.	
घ. कुटुंब के सदस्य का नाम, जिसे सह- प्राधिकृत किया जाना है (अर्थात् निःशक्त बालक/आश्रित माता-पिता/निःशक्त सहोदर)			

17 . क्या सतत परिचर भत्ता अनुज्ञेय है:-	☐ हां ☐ नहीं	रकम (₹)
18.क्या नियत चिकित्सा भत्ता अनुज्ञेय है:-	☐ हां ☐ नहीं	रकम (₹)

प्ररूप ड.-2 सेवानिवृत्ति देयताओं पर समयोचित कार्रवाई हेतु कार्यालयाध्यक्ष के लिए जांच सूची

1. क्या सामान्य नाम निर्देशन प्ररूपों में निम्नलिखित के लिए किए गए नाम निर्देशन किया गया है:-			
(i) मृत्यु उपदान/सेवानिवृत्ति उपदान		(ii)केंद्रीय सरकारी सेवक सामूहिक बीमा योजना के अधीन भुगतान	
(iii)राज्य रेल भविष्य निधि की रकम , यदि लागू है		(iv)पेंशन के बकाए	
2. बैंक खाते में दिया गया नाम सेवा रिकॉर्ड से मेल खाता है:-		हां ☐ नहीं ☐	

भाग-2

(लेखा प्राधिकार (लेखा अधिकारी द्वारा))

कार्यालयाध्यक्ष से लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन कागजपत्रों की प्राप्ति की तारीख			दिन/माह/वर्ष
अनुज्ञेय हकदारियां:-			
क. पेंशन के लिए अर्हक सेवा की अवधि			
ख. पेंशन -	(i) पेंशन की प्रवर्ग	निःशक्तता पेंशन	
(ii) सेवा तत्व			
(iii) निःशक्तता तत्व			
(iv) प्रस्तावित पेंशन [(ii) + (iii)]			
(v) वह तारीख जिससे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनंतिम पेंशन, यदि कोई है, का संदाय किया जा रहा है	दिन/माह/वर्ष	(vi) संदाय की जा रही अनंतिम पेंशन की रकम	
(vii) वह तारीख जिस तक अनंतिम पेंशन का संदाय जारी रहेगा	दिन/माह/वर्ष	(viii) वह तारीख जिससे नियमित पेंशन शुरू होगी	दिन/माह/वर्ष
टिप्पण 1: पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा अंतिम पेंशन शुरू करने की तारीख, पीपीओ जारी होने की तारीख से न्यूनतम दो माह के बाद की होगी, जिसमें सीपीएओ और सीपीपीसी द्वारा पेंशन मामले पर कार्रवाई करने में लगने वाले संभावित समय को ध्यान में रखा जाएगा। वेतन एवं लेखा कार्यालय अंतिम पेंशन को अधिकृत करते समय इस संबंध में पीपीओ में एक नोट दर्ज करेगा।			
टिप्पण 2: तदनुसार अनंतिम पेंशन का भुगतान, पीडीए द्वारा अनंतिम पेंशन शुरू करने के लिए पीपीओ में			

उल्लिखित तारीख तक कार्यालय से जारी रहेगा।		
टिप्पण 3: कार्यालयाध्यक्ष अंतिम रूप से निर्धारित पेंशन की रकम और अनंतिम पेंशन की रकम के बीच के अंतर को आहरित और संवितरित करेगा। यदि अंतिम रूप से निर्धारित पेंशन की रकम अनंतिम पेंशन की रकम से कम है, तो अंतर को संदेय उपदान की रकम से, यदि ऐसा न हो तो, भविष्य में संदेय पेंशन से किश्तों में समायोजित किया जाएगा।		
ग. सेवानिवृत्ति उपदान:-		
(i) उपदान के लिए गणना में ली जाने वाली अर्हक सेवा की अवधि (प्रवर्ग ग और घ के मामले में, अर्हक सेवा की गणना उस तारीख तक की जाएगी जिस तारीख को रेल सेवक सामान्य क्रम में सेवानिवृत्त हुआ होता)		
(ii) उपदान की कुल रकम		
(iii) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संदत्त अनंतिम		
(iv) सरकारी या रेलवे आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस के बकायों और सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम		
(v) अनिर्धारित अनुज्ञप्ति फीस के कारण विध्वंसित किए जाने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा संसूचित रकम		
(vi) तत्काल दी जाने वाली शुद्ध रकम		
घ. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम और अवधि:-	रकम (₹)	अवधि
(i) बढी हुई दर पर		मृत्यु की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए या तक, जो भी पहले हो।
(ii) सामान्य दर पर		
ङ. रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम, यदि उसी क्षति या रोग जिसके के कारण निःशक्त होने पर सेवामुक्त किया गया था, सात वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है [नियम 11 (2) का परंतुक]: -		
(i) विधवा/विधुर और बालकों को कुटुंब पेंशन		
(ii) माता-पिता, आश्रित अव्यस्क और आश्रित निःशक्त सहोदर को कुटुंब पेंशन		
च. कुटुंब के उन सदस्य/सदस्यों के नाम जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की जानी है		
(क) पति/पत्नी का नाम		
(ख) यदि कुटुंब पेंशन कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ साझा की जाना है, तो पति/पत्नी को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत। (उदाहरण हेतु मृत पत्नी से बालकें या तलाक़शुदा पत्नी से बालकें)		
(ग) उपरोक्त (ख) में निर्दिष्ट कुटुंब के अन्य सदस्यों के नाम और नातेदारी		
		1.
		2.
		3.

(घ) कुटुंब के सदस्य के नाम जिसे सह-प्राधिकृत किया जाना है (अर्थात् निःशक्त बालक आश्रित माता पिता निःशक्त सहोदर)	
छ. लेखाशीर्ष जिसमें पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन की रकम विकलनीय है	

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

पेंशन संगणना पत्र

1. नाम		2. पदनाम	
3. जन्म तारीख	दिन/माह/वर्ष	4. पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर	5. मूल वेतन
6. रेल सेवा में प्रवेश की तारीख	दिन/माह/वर्ष	7. सेवानिवृत्ति की तारीख	दिन/माह/वर्ष
8. (क) पेंशन के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (पीपीओ में यथा उपदर्शित)			
(ख) उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (पीपीओ में यथा उपदर्शित)			
9. परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां, जो भी पेंशन के लिए ज्यादा लाभप्रद हो (पीपीओ में यथा उपदर्शित)			
10. अनुज्ञेय पेंशन मिलेगी (गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए):-			
(क) सेवा तत्व : परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां/2			
(ख) निःशक्तता तत्व प्रवर्ग ख के लिए: परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां x 30/100 x निःशक्तता की प्रतिशतता (ब्रॉड-बैंड)/100 प्रवर्ग ग के लिए: परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां x 30/100 x निःशक्तता की प्रतिशतता (ब्रॉड-बैंड)/100 प्रवर्ग घ के लिए: परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां x निःशक्तता की प्रतिशतता (ब्रॉड-बैंड)/100			
(ग) निःशक्तता पेंशन की रकम [(क) + (ख)]			
11. उपदान के लिए परिलब्धियां (पीपीओ में यथा उपदर्शित)			
12. अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान की गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए : परिलब्धियां/4 x अर्हक सेवा (पूर्ण षट्मासिक अवधियों में, किन्तु 66 से अनधिक)			
13. कुटुंब पेंशन के लिए वेतन (पीपीओ में यथा उपदर्शित)			

14 क. रेल सर्विस (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन (गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए):-	
(i) साधारण कुटुंब पेंशन :	
वेतन x 30/100, विहित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यधीन	
(ii) बड़ी हुई कुटुंब पेंशन:	
वेतन /2 [विहित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यधीन]	
14 ख. रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम, यदि उसी क्षति या रोग जिसके कारण निःशक्ता होने पर सेवामुक्त किया गया था, सात वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है [नियम 11 (2) का परंतुक]	
(i) विधवा/विधुर और बालकों को कुटुंब पेंशन	
प्रवर्ग ख : वेतन x 60/100 प्रवर्ग ग और घ वेतन का x100	
(ii) माता-पिता, आश्रित अव्यस्क सहोदर और आश्रित निःशक्त सहोदर को कुटुंब पेंशन प्रवर्ग ख : वेतन X60/100x75/100 प्रवर्ग ग और घ: वेतन x 75/100	
15. सत्तत परिचर भत्ता की रकम, यदि अनुज्ञेय है	
16. नियत चिकित्सा भत्ता की रकम, यदि अनज्ञेय है	

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित पीओए

प्रति:- श्री/ श्रीमती /कुमारी.....

(सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाला रेल सेवक)

प्ररूप ड-3

[नियम 14(5)(ii), 14(6) तथा (15)(5) देखिए]

(उस पत्र का प्रारूप जिसके साथ लेखा अधिकारी को निःशक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान के संदाय के लिए रेल सेवक के कागजपत्र भेजे जाएंगे]

सं.....

तारीख: दिन/माह/वर्ष

भारत सरकार

मंत्रालय.....

विभाग.....

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी

विषय: श्री /श्रीमती / कुमारी की बाबत रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2026 के अधीन पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने के लिए।

महोदय/महोदया,

1. मुझे इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के/की श्री/श्रीमती/कुमारी की बाबत के पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान के संदाय के लिए कागजपत्रों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. उन सरकारी या रेलवे के उन शोध्यों के ब्यौरे, जो रेल सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने की तारीख को बकाया होंगे तथा जिन्हें वसूल किया जाना/विधारित किया जाना है, प्ररूप ड. -2 की मद संख्या 14/प्ररूप ड.-6 की मद संख्या 8 में उपदर्शित है।

3. इस पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृति दी जाए और इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को सूचित किया जाए कि सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त रेल सेवक/कुटुंब पेंशनभोगी को सूचित करते हुए पेंशन/कुटुंब पेंशन के संवितरण के लिए आवश्यक अनुदेश संबंधित संवितरण प्राधिकारी को जारी कर दिए गए हैं।

4. आपसे प्राधिकार प्राप्त होने पर इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान आहरित और संवितरित किया जाएगा।

भवदीय,

(कार्यालयाध्यक्ष)

संलग्नक.:

1. सेवा पुस्तिका (सेवापुस्तिका में सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख दर्शाई जाए)।
2. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के प्ररूप 4 में परिवार की ब्यौरा [राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए रेल कर्मचारियों के मामले में, रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2025 का प्ररूप 1 और प्ररूप 2 संलग्न करें।
3. संलग्नकों और जांचसूची के साथ विधिवत भरा हुआ प्ररूप ड-1 या प्ररूप ड-5 और प्ररूप ड-2 या ड-4 या ड-6 या ड-7
4. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के प्ररूप 9 में बैंक को वचनबंध
5. चिकित्सा प्रमाण पत्र
6. रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम के अधीन निःशक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन की स्वीकृति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेश।

टिप्पण: यदि विभिन्न अभिलेखों में रेल सेवक का नाम या आद्धाक्षर गलत रीति से दिया गया है या दिए गए हों, तो इस तथ्य का उल्लेख पत्र में किया जाए।

प्ररूप ड-4

[नियम 14(9)(ख) देखिए]

[निःशक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान का निर्धारण करने के लिए प्ररूप, जहां रेल सेवा (पेंशन) नियम,
2026 के अधीन पूर्व में पेंशन प्राधिकृत की गई है]

भाग-1 (कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जाए)

1. सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक के ब्यौरे:-					
नाम				राष्ट्रीयता	
मां का नाम			पिता का नाम		
*आधार सं. (यदि हो)		पैन		जन्म तारीख	दिन/माह/वर्ष
2. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद:-					
(क) कार्यालय का नाम			(ख) धारित पद		
(ग) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर			(घ) मूल वेतन		
(ड.) मूल विभाग में पद के वेतन मैट्रिक में वेतन स्तर/मूल वेतन यदि रेल सेवक प्रतिनियुक्ति पर हो					
3. सेवा के आरम्भ होने की तारीख	दिन/माह/वर्ष		4. सेवा समाप्ति की तारीख	दिन/माह/वर्ष	
5. वह तारीख जिसको रेल सेवक सामान्य क्रम में सेवानिवृत्त हुआ होता				दिन/माह/वर्ष	
6. निःशक्तता का ब्यौरा:-					
(क) प्रवर्ग					
(ख) ब्रॉड-बैंडिंग के बिना निःशक्तता का प्रतिशत					
(ग) ब्रॉड-बैंडिंग के साथ निःशक्तता का प्रतिशत					
7. अर्हक सेवा					
(क) पूर्ण की गई छमाही अवधियों के रूप में व्यक्त अरेहक सेवा (तीन माह और इससे अधिक की अवधि को पूर्ण छह माह की अवधि के रूप में माना जाए)					
(ख) पूर्ण की गई छमाही अवधियों के रूप में व्यक्त अर्हक सेवा, उस तारीख तक की अर्हक सेवा की गणना जिस तारीख को रेल सेवक सामान्य क्रम में सेवानिवृत्त हुआ होगा (केवल प्रवर्ग ग और घ के मामले में उपदान					

की रकम का निर्धारण करने के लिए)	
8. परिलब्धियां:-	
(क) पेंशन/कुटुंब पेंशन के लिए गण्य परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां(जो भी अधिक हो)	
(ख) सेवानिवृत्ति उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां	
9. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन प्राधिकृत पेंशन, उपदान और कुटुंब के ब्यौरे	
(क) पीपीओ सं.	
(ख) प्राधिकृत पेंशन की रकम	
(ग) पेंशन शुरू होने की तारीख	
(घ) प्राधिकृत सेवानिवृत्ति उपदान की रकम	
(ड.) प्राधिकृत कुटुंब पेंशन की रकम	
(i) साधारण दर पर	
(ii) बड़ी हुई दर पर	
10. प्रस्तावित पेंशन ब्यौरा:-	
(क) सेवा तत्व	
(ख) निःशक्ता तत्व	
(ग) प्रस्तावित पेंशन [(क) + (ख)]	
(घ) वह तारीख जिसको पेंशन शुरू होनी है	दिन/माह/वर्ष
11. प्रस्तावित सेवानिवृत्ति उपदान की रकम	
12 क. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम और अवधि:-	रकम (₹)
(i) बड़ी हुई दर [रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 50(2)(क)(iii)]	
(ii) साधारण दर [रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 50(2)(क)(i)]	
टिप्पण: पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में, बड़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन सात वर्ष की अवधि के लिए, या उस तारीख तक की अवधि के संदेय होगी, जिसको सेवानिवृत्त मृत सरकारी सेवक 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, यदि वह ज़िंदा होता, इनमें सेजो भी कम हो।	
12 ख. रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम, यदि उसी क्षति या रोग, जिसके कारण निःशक्ता होने पर सेवामुक्त किया गया था, सात वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है [नियम 11 (2) का परंतुक]	रकम (₹)
(i) विधवा/विधुर और बालकों को कुटुंब पेंशन	
(ii) माता-पिता, आश्रित अव्यस्क सहोदर और आश्रित निःशक्त सहोदर को	

कुटुंब पेंशन		
13. कुटुंब के सदस्यों के नाम, जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की जाएगी:-		
पति/पत्नी का नाम		
यदि कुटुंब पेंशन को कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जाना है (उदाहरण के लिए, मृत पत्नी से बालक या तलाक़शुदा पत्नी से बालक) के साथ, तो पति/पत्नी को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत		
उपर में निर्दिष्ट (ख) कुटुंब के अन्य सदस्यों के नाम और नातेदारी	1.	
	2.	
	3.	
कुटुंब के सदस्य का नाम जिसे सह- प्राधिकृत किया जाना है (अर्थात् निःशक्त बालक/माता-पिता/निःशक्त सहोदर)		
14. क्या सतत परिचर भत्ता अनुज्ञेय है:-	हां ☐ नहीं ☐	रकम (₹)
15. क्या नियत चिकित्सा भत्ता अनुज्ञेय है:-	हां ☐ नहीं ☐	रकम (₹)

भाग-2**[लेखा प्राधिकार (लेखा अधिकारी द्वारा)]**

(क) कार्यालयाध्यक्ष से लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन कागजपत्रों की प्राप्ति की तारीख	दिन/माह/वर्ष
(ख) रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन प्राधिकृत पेंशन, उपदान और कुटुंब के ब्यौरे	
(क) पीपीओ सं.	
(ख) प्राधिकृत पेंशन की रकम	
(ग) पेंशन शुरू होने की तारीख	
(घ) प्राधिकृत सेवानिवृत्ति उपदान की रकम	
(ङ.) प्राधिकृत कुटुंब पेंशन की रकम	
(i) साधारण दर पर	
(ii) बड़ी हुई दर पर	
ग. अनुज्ञेय हकदारियां:-	
पेंशन -	
(i) पेंशन का प्रवर्ग	निःशक्तता पेंशन
(ii) पेंशन के लिए अर्हक सेवा की अवधि	
(iii) सेवा तत्व	

(iv) निःशक्तता तत्व			
(v) प्रस्तावित निःशक्तता पेंशन [(iii) + (iv)]			
(vi) वह तारीख जिससे निःशक्तता पेंशन देय है			
(vii) वह तारीख जबसे निःशक्तता पेंशन देय है	दिन/माह/वर्ष	(viii) वह तारीख जिससे नियमित पेंशन शुरू होनी है	दिन/माह/वर्ष
सेवानिवृत्ति उपदान-			
(i) उपदान के लिए गणना में ली जाने वाली अर्हक सेवा की अवधि (प्रवर्ग ग और घ के मामले में, अर्हक सेवा की गणना उस तारीख तक की जाएगी जिस तारीख को रेल सेवक सामान्य क्रम में सेवानिवृत्त हुआ होता)			
(ii) उपदान की कुल रकम			
कुटुंब पेंशन की रकम और अवधि	रकम (₹)	अवधि	
(i) बड़ी हुई दर पर			
(ii) साधारण दर पर			
रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम, यदि उसी क्षति या रोग जिसके कारण निःशक्तता होने पर सेवामुक्त किया गया था, सात साल के भीतर सात वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है [नियम 11 (2) के लिए परंतु]			
(i) विधवा/विधुर और बालकों को कुटुंब पेंशन			
(ii) माता-पिता, आश्रित अव्यस्क सहोदर और आश्रित निःशक्त सहोदर को कुटुंब पेंशन			
घ. कुटुंब के उन सदस्य/सदस्यों का नाम जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की जानी है			
(क) पति/पत्नी का नाम			
(ख) यदि कुटुंब पेंशन को कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जाना है (उदाहरण हेतु, मृत पत्नी से बालक या तलाक़शुदा पत्नी के बालक) तो पति/पत्नी को संदेय होने वाली कुटुंब पेंशन का प्रतिशत			
ग. उपरोक्त (ख) में विनिर्दिष्ट परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और नातेदारी		1.	
		2.	
		3.	
(घ) कुटुंब के सदस्य का नाम जिसे सह-प्राधिकृत किया जाना है (अर्थात् निःशक्त बालक/आश्रित माता-पिता/निःशक्त सहोदर)			
ड. लेखाशीर्ष जिससे पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन की रकम विकलनीय है			

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

पेंशन संगणना पत्र

1. नाम				2. पदनाम		
3. जन्म तारीख	दिन/माह/वर्ष	4. वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर		5. मूल वेतन		
6. रेल सेवा में प्रवेश की तारीख	दिन/माह/वर्ष	7. सेवानिवृत्ति की तारीख		दिन/माह/वर्ष		
8. वह तारीख जिसको रेल सेवक सामान्य क्रम में सेवानिवृत्त हुआ होगा				दिन/माह/वर्ष		
9. क. पेंशन के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (पीपीओ में यथा उपदर्शित)						
ख. उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (पीपीओ में यथा उपदर्शित)						
10. परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां, जो भी पेंशन के लिए अधिक लाभप्रद हो (पीपीओ में यथा उपदर्शित)						
11. अनुज्ञेय पेंशन (गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए):-						
(क) सेवा तत्व : परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां/2						
(ख) निःशक्ता तत्व प्रवर्ग ख और ग के लिए: परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां (ब्रॉड-बैंड) x 30/100 x निःशक्ता का प्रतिशतता /100 प्रवर्ग घ के लिए: परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां x निःशक्ता का प्रतिशतता (ब्रॉड-बैंड)/100						
(ग) निःशक्ता पेंशन की रकम [(क) + (ख)]						
12. सेवानिवृत्ति उपदान के लिए परिलब्धियां (पीपीओ में यथा उपदर्शित)						
13. अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान की गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए:- परिलब्धियां/4 x अर्हक सेवा (पूर्ण षट्मासिक अवधियों में, किंतु 66 से अधिक न हो)						
14. कुटुंब पेंशन के लिए वेतन (पीपीओ में यथा उपदर्शित)						
15. अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन (गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए)						
(i) सामान्य कुटुंब पेंशन: वेतन x 30%/100 [विहित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यधीन]						
(ii) बड़ी हुई कुटुंब पेंशन: वेतन /2 [निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यधीन]						

16. सतत परिचर भत्ता की रकम, यदि अनुज्ञेय है	
17. नियत चिकित्सा भत्ता की रकम, यदि अनुज्ञेय है	

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

पीएओ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रति:- श्री /श्रीमती/ कुमारी

(सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाला रेल सेवक)

प्ररूप ड-5

[नियम 15(2) देखिए]

[रेल सेवक की मृत्यु होनेपर कुटुंब पेंशन के लिए कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन]

फोटोग्राफ

1. मृत रेल सेवक के ब्यौरे

नाम		कार्यालय/विभाग/मंत्रालय		राष्ट्रीयता	
मृत्यु की तारीख दिन/माह/वर्ष					

2. दावेदार के ब्यौरे:

नाम		जन्म तारीख दिन/माह/वर्ष		आधार सं. *(स्वैच्छिक)	
पैत		मृत रेल सेवक के साथ नातेदारी			
यदि दावेदार एक विधवा पुत्री है, तो दावेदार के पति की मृत्यु की तारीख	दिन/माह/वर्ष	यदि दावेदार एक तलाकशुदा पुत्री है तलाक की याचिका दर्ज कराने की तारीख	दिन/माह/वर्ष	यदि दावेदार एक निःशक्त बालक/सहोदर है, तो निःशक्तता से ग्रस्त होने की तारीख	दिन/माह/वर्ष
		तलाक की तारीख	दिन/माह/वर्ष		

3. डाक पता:

फ्लैट/मकान सं./बिल्डिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाकघर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
टेलीफोन/मोबाइल नंबर		ई-मेल आईडी, यदि हो	

4. यदि दावेदार अव्यस्क है या मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, तो संरक्षक/नामनिर्देशिनी का ब्यौरा, जहाँ भी लागू हो:

नाम		जन्म तारीख	
आधार सं. *(स्वैच्छिक)		पैन	
अव्यस्क/मानसिक रूप से निःशक्त दावेदार के साथ नातेदारी		मृत रेल सेवक के साथ नातेदारी	

5. डाक पता:

फ्लैट/मकान सं./बिल्डिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाकघर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
दूरभाष/मोबाइल सं.		ई-मेल आईडी, यदि कोई हो	

6. बैंक का ब्यौरा:

खाता संख्या		बैंक का नाम	
आईएफएसकोड		और शाखा	

7. क्या किसी अन्य स्रोत से भी कुटुंब पेंशन अनुज्ञेय है, उपदर्शित करें कि - (जो लागू हो, उस पर निशान लगाएं)

- सैन्य ☐
- राज्य सरकार ☐
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि। ☐

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है।

मुझे पता है कि कुटुंब पेंशन की प्रत्येक स्वीकृति और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि दावेदार/कुटुंब पेंशनभोगी का आचरण भविष्य में अच्छा बना रहे।

स्थान:

तारीख:

(दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर)

*आधार सं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और लिए यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।

टिप्पण: यदि कुटुंब के किसी सदस्य या सदस्यों को कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है, तो रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के प्ररूप 8 में एक आवेदन संलग्न किया जाएगा। रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 63(1)(घ) के अनुसरण में पति/पत्नी सहित कुटुंब के निम्नलिखित सदस्य कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकरण के पात्र हैं, यदि उनसे पहले कुटुंब का कोई अन्य सदस्य कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है:

- (i) निःशक्त बालक
- (ii) आश्रित माता-पिता
- (iii) निःशक्त सहोदर

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

1. दो नमूना हस्ताक्षर (पृथक शीट में प्रस्तुत किए जाने हैं)। यदि दावेदार अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता है/सकती है, तो उसे नमूना हस्ताक्षर के स्थान पर दस्तावेज पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।
2. पहचान का सबूत
3. मृतक रेल सेवक/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी का सबूत।
4. दावेदार के स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां।
5. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के प्ररूप-4 में कुटुंब के व्यौरे। [राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किए गए रेल सेवक के मामले में, रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025 का प्ररूप 2 संलग्न करें]
6. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के प्रारूप 9 में पेंशन संवितरण बैंक द्वारा किए गए किसी भी अधिक संदाय को वापस करने का वचनबंध।
7. बालकों की जन्म तारीख दर्शाने वाला आयु प्रमाण-पत्र। प्रमाण-पत्र नगरपालिका प्राधिकारियों या स्थानीय पंचायत से या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या केंद्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड के प्रमुख से होगा।
8. संरक्षक के दो नमूना हस्ताक्षर (यदि दावेदार अव्यस्क है या मानसिक निःशक्ता से ग्रस्त है तो एक अलग शीट में प्रस्तुत किया जाएगा)
9. यदि संरक्षक अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता/सकती है तो वह नमूना हस्ताक्षर के स्थान पर दस्तावेज पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे आदि का निशान लगाए।

10. स्थायी पते के प्रमाण के साथ संरक्षक के फोटो आईडी प्रमाण की एक प्रति।
11. संरक्षक/नामनिर्देशिनी के पासपोर्ट आकार के फोटो की दो स्व-प्रमाणित प्रतियां।
12. रेल सेवक के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
13. कुटुंब पेंशन के दावे के समर्थन में आय के संबंध अंतिम आयकर रिटर्न जिसके न होने पर एसडीएम से प्रमाणपत्र, जिसके न होने पर आय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज। (पति/पत्नी और माता-पिता के मामले में लागू नहीं)।
14. नाम और खाता संख्या जिसमें कुटुंब पेंशन जमा की जानी है, दर्शाने वाली पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (प्ररूप में और बैंक खाते में दावेदार का नाम एक समान हो)
15. यदि दावेदार एक विधवा/तलाकशुदा पुत्री या निःशक्त बालक/सहोदर है, तो दावेदार की पात्रता के समर्थन में दस्तावेज (अर्थात् विधवा पुत्री के मामले में पति का मृत्यु प्रमाणपत्र/तलाकशुदा पुत्री के मामले में तलाक की डिक्री/निःशक्त बालक के मामले में निःशक्ता प्रमाणपत्र)
16. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 का प्ररूप 8, यदि कुटुंब के किसी सदस्य को कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है।

प्ररूप ड-6

[कृपया नियम 15(4) तथा (7) देखिए]

[रेल सेवक की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान का संदाय निर्धारण और प्राधिकरण किया जाना]

भाग-1				दावेदारों की फोटो
खंड 1				
1. मृत रेल सेवक के ब्यौरे:-				
(क) नाम				
(ख) राष्ट्रीयता		(ग) धर्म		
(घ) माता का नाम		(ड.) पिता का नाम		
(च) जन्म तारीख दिन/माह/वर्ष		(छ) मृत्यु की तारीख दिन/माह/वर्ष		
2. मृत्यु के समय धारित पद:-				
(क) कार्यालय का नाम				
(ख) धारित अधिष्ठायी पद		(ग) स्थानापन्न पद		
(घ) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर		(ड) मूल वेतन		
(च) विदेश सेवा शर्तों पर सरकार से बाहर धारित अंतिम पद की दशा में-				
(i) मूल विभाग में धारित पद का वेतन स्तर		(ii) मूल वेतन		
(छ) सैन्य सेवा की कुल अवधि, यदि कोई है, जिसके लिए पेंशन और/या उपदान मंजूर किया गया था				
(ज) सैन्य सेवा के संदत्त कोई पेंशन/उपदान की रकम		(झ) सैन्य सेवा के संदत्त कोई पेंशन/उपदान की प्रकृति		
3. सेवा आरंभ होने की तारीख		दिन/माह/वर्ष		
4. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में सेवा की विशिष्टियां, यदि कोई है:-				
(क) संगठन का नाम	(ख) धारित पद	(ग) सेवा की अवधि		
		से	तक	कुल अवधि
(घ) क्या उपरोक्त सेवा सरकार में उपदान के लिए ली जाने वाली सेवा है				हां ☐ नहीं ☐
(ङ) क्या स्वायत्त संगठन ने उपदान संबंधी दायित्व का निर्वहन रेलवे को किया है				हां ☐ नहीं ☐

(च)पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की रकम, यदि कोई है		(छ) पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की प्रकृति, यदि कोई है	
5. उपदान के लिए अर्हक सेवा:			
(क) सेवा पुस्तिका मे लोप, त्रुटियों या कमियों के ब्यौरे जिनकी उवेतनक्षा की गई है			
(ख) अनहर्क सेवा की अवधियां:	से	तक	दिनों की संख्या
माफ किया गया सेवा में व्यवधान			
असाधारण छुट्टी जो उपदान के लिए अर्हक नहीं है			
निलंबन की अवधि जिसे अनहर्क सेवा माना गया।			
बाल सेवा			
संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधियां जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र पेंशन प्राप्त किया गया है			
कोई अन्य सेवा जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है			
गैर-अर्हक सेवा की कुल अवधि			
(ग) अर्हक सेवा में परिवर्धन:	से	तक	दिनों की संख्या
सिविल सेवा			
सैन्य सेवा			
किसी राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय में की गई सेवा का लाभ			
अस्थायी हैसियत सेवा (कुल सेवा का आधा)			
अर्हक सेवा की कुल अवधि			
(घ) शुद्ध अर्हक सेवा			
(ङ) पूर्ण की गई छमाही अवधियां जिन्हें अर्हक सेवा माना गया है (तीन माह और तीन माह से अधिक की अवधि को पूर्ण छह माह की अवधि के रूप में माना जाएगा)।			
6. परिलब्धियां:-			
(क) नियम 10(2)(iv) के अनुसार परिलब्धियां			
(ख) मृत्यु से पूर्व के दस माह में ली गई परिलब्धियाँ	से	दिन/माह/वर्ष	तक
		दिन/माह/वर्ष	
टिप्पण: यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व विदेश सेवा में था, तो नोशनल परिलब्धियां जो उसने सरकार के			

अधीन तब प्राप्त की होती यदि वह विदेश सेवा पर न होता, उनका उल्लेख उपरोक्त मद (क) और (ख) में किया जाए।					
(ग) नियम 10(2)(iv) के संदर्भ में औसत परिलब्धियाँ					
(घ) परिलब्धियाँ या औसत परिलब्धियाँ (जो भी अधिक हो)					
(ङ) कुटुंब पेंशन के लिए गण्य वेतन जैसा [(घ) में है]					
(च) मृत्यु होने की तारीख को अनज्ञेय(घ) पर महंगाई भत्ता					
(छ) उपदान/उपदान के लिए गण्य परिलब्धियाँ [(घ) + (च)]					
7. मृत्यु उपदान की रकम:-					
8. उपदान से वसूली योग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे: -					
(क) सरकारी आवास पर अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस					
(ख) संपदा निदेशालय द्वारा यथा उपदर्शित विधारित की जाने वाली रकम					
(ग) रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 77 (2) में निर्दिष्ट शोध्य					
(घ) उपदान के रूप में संदेय शुद्ध रकम					
9. नाम निर्देशिती(यों) के ब्यौरे जिनको उपदान संदेय है:-					
क्र. सं.	(क) नाम	(ख) जन्म तारीख	(ग) आधार सं.	(घ) मृत्यु उपदान में अंश	(ङ) मृत रेल सेवक के साथ नातेदारी
1.		दिन/माह/वर्ष			
2.		दिन/माह/वर्ष			
3.		दिन/माह/वर्ष			
10. संरक्षक/नाम निर्देशिती के ब्यौरे जो अव्यस्क/मानसिक रूप से निःशक्त बालक की दशा में उपदान की संदाय प्राप्त करेंगे					
क्र.सं	(क)अव्यस्क/मानसिक निःशक्त संतानका नाम	(ख) संरक्षक का नाम	(ग) आधार संख्या* (यदि है)	(घ) मृतक रेल सेवक के साथ नातेदारी	(ङ) संरक्षक का पता
1.					
2.					
3.					
11. कुटुंब पेंशन के संदाय के ब्यौरे					
कुटुंब पेंशन की दर				कुटुंब पेंशन की रकम	
विधवा/विधुर और बालकों को कुटुंब पेंशन प्रवर्ग ख के अंतर्गत सम्मिलित की गई मृत्यु: - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन					

x 60/100 प्रवर्ग ग या घ के अंतर्गत सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन माता-पिता/आश्रित अव्यस्क सहोदर और आश्रित निःशक्त सहोदर प्रवर्ग ख के अंतर्गत सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन x 60/100 x 75/100 प्रवर्ग ग या घ के अंतर्गत सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन x 75/100						
12. कुटुंब के सदस्य (यों) के नाम जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन के लिए प्राधिकृत किया जाना है:- (क) पति/पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों यदि कोई हो के व्यौरे, जो कुटुंब पेंशन साझा करेंगे और प्रत्येक को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत ।						
नाम	रेल सेवक के साथ नातेदारी	मासिक आय	यदि दावेदार विधवा/तलाकशुदा पुत्री है, तो पति की मृत्यु/तलाक की तारीख*	यदि दावेदार निःशक्त बालक/सहोदर है, तो वह तारीख जिससे वह निःशक्तता से ग्रस्त है	डाक पता (पिन कोड के साथ), मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी	संदेय कुटुंब पेंशन की प्रतिशतता
* यदि तलाक की तारीख माता-पिता दोनों की मृत्यु की तारीख के पश्चात की है, तो इस कॉलम में तलाक की याचिका दर्ज कराने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा।						
(ख) परिवार के सदस्यों के नाम जिन्हें, सह-प्राधिकृत किया जाना है (अर्थात् निःशक्त बालक/आश्रित माता-पिता/ निःशक्त सहोदर) और नातेदारी						
नाम				मृत रेल सेवक के साथ नातेदारी		

13. संरक्षक के ब्यौरे जो अव्यस्क/मानसिक रूप से निःशक्त बालक की दशा में कुटुंब पेंशन का संदाय प्राप्त करेंगे:-					
क्र.सं.	(क) अव्यस्क/मानसिक रूप से निःशक्त संतान का नाम	(ख) संरक्षक का नाम	(ग) आधार संख्या* (यदि है)	(घ) मृतक/रेल सेवक से नातेदारी	(ङ) संरक्षक का पता
1.					
2.					
3.					
14. क्या नियत चिकित्सा भत्ता अनुज्ञेय है:-			हाँ ☐ नहीं ☐		रकम (₹)
स्थान: तारीख: (कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)					

भाग 2
लेखा प्रधिकरण
खंड 1

उपदान के लिए स्वीकार की गई अर्हक सेवा की कुल अवधि	
सरकारी या रेल शोध्यों के समायोजन के पश्चात उपदान की शुद्ध रकम	
कुटुंब पेंशन की रकम	
वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन अनुज्ञेय है	दिन/माह/वर्ष
लेखाशीर्ष जिसमें उपदान और कुटुंब पेंशन विकलनीय है	

खंड 2

मृत रेल सेवक के ब्यौरे			
नाम		मृत्यु की तारीख	दिन/माह/वर्ष
प्राधिकृत कुटुंब पेंशन की रकम		प्राधिकृत उपदान की रकम	
कुटुंब पेंशन शुरू होने की तारीख	दिन/माह/वर्ष	उपदान से वसूली योग्य रकम	

'बेबाकी प्रमाण पत्र' की प्राप्ति के लंबन पर विधारित उपदान की रकम			
कुटुंब के सदस्य(यों) के नाम जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन के लिए प्राधिकृत किया जाना है			
(क) पति/पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों यदि कोई हो के ब्यौरे जो कुटुंब पेंशन को साझा करेंगे, और प्रत्येक को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत।	नाम	रेल सेवक के साथ नातेदारी	संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत
(ख) परिवार के सदस्यों जिन्हें कुटुंब पेंशन सह- प्राधिकृत किया जाना है (अर्थात् निःशक्त बालक/आश्रित माता-पिता/निःशक्त सहोदर)	नाम	रेल सेवक के साथ संबंध	
वह तारीख जिसमें पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा नियमित कुटुंब पेंशन प्ररंभ की जानी है			दिन/माह/वर्ष

स्थान: तारीख:

(लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

उपदान या कुटुंब पेंशन के लिए संगणना पत्र

1. नाम		2. पदनाम	
3. जन्म तारीख	दिन/माह/वर्ष	4. वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	5. मूल वेतन
6. रेल सेवा में प्रवेश की तारीख	दिन/माह/वर्ष	7. मृत्यु होने की तारीख	दिन/माह/वर्ष
8. उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (जैसा कि पीपीओ में उल्लिखित है)			
9. परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां, जो अधिक लाभप्रद हो			
10. मृत्यु होने की तारीख को मद (9) पर महंगाई भत्ता			
11. उपदान के लिए परिलब्धियां [(9)+(10)]			
12. अनुज्ञेय मृत्यु उपदान			
13. कुटुंब पेंशन के लिए वेतन (जैसा पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित है)			
14. अनुज्ञेय मृत्यु उपदान (संगणना इस तरह उपदर्शित की जाएगी):-			
कुटुंब पेंशन की दर			रकम
विधवा/विधुर और बालकों के लिए			

प्रवर्ग ख के अधीन सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन x 60/100 प्रवर्ग ग या घ के अधीन सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन माता-पिता/अव्यस्क सहोदर/निःशक्त सहोदर के लिए प्रवर्ग ख के अधीन सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन x 60/100 x 75/100 प्रवर्ग ग या घ के अधीन सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन x 75/100	
15. नियत चिकित्सा भत्ता की रकम, यदि अनुज्ञेय हो	

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रति :- श्री /श्रीमती/ कुमारी

(सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक)

प्ररूप ड-7

[नियम 15(8)(ख) देखिए]

किसी रेल सेवक के ऐसे परिवार की बाबत जिसको रेल सेवा (पेंशन) नियम 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन प्रधिकृत किया गया था, रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन का संदाय निर्धारण और प्राधिकरण)

दावेदारों के फोटो

भाग 1

खंड 1

1. मृत रेल सेवक के ब्यौरे:-			
(क) नाम			
(ख) राष्ट्रीयता		(ग) धर्म	
(घ) माता का नाम		(ङ) पिता का नाम	
जन्म तारीख	दिन/माह/वर्ष	मृत्यु की तारीख	दिन/माह/वर्ष
2. मृत्यु के समय धारित पद:-			
(क) कार्यालय का नाम			
(ख) धारित अधिष्ठायी पद		(ग) स्थानापन्न पद	
(घ) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर		(ङ) मूल वेतन	
3. उपदान के लिए अर्हक सेवा:			
(क) कुल अर्हक सेवा			
(ख) पूर्ण षट्मासिक अवधियों में अभिव्यक्त अर्हक सेवा (तीन माह और उससे अधिक की अवधि को पूर्णषट्मासिक अवधि के रूप में माना गया)			
4. परिलब्धियां:-			
(क) नियम 10(2)(iv) के अनुसार परिलब्धियां			
(ख) नियम 10(2)(iv) के अनुसार औसत परिलब्धियां			
(ग) परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां (जो भी अधिक हो)			
(घ) कुटुंब पेंशन के लिए गण्य वेतन [जैसा (ग) में है]			
(ङ) मृत्यु होने की तारीख को अनुज्ञेय (ग) पर महंगाई भत्ता			
(च) उपदान के लिए गण्य परिलब्धियाँ [(ग) + (ङ)]			

रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन प्राधिकृत पेंशन उपदान और कुटुंब के ब्यौरे						
(क) पीपीओ सं.						
(ख) प्राधिकृत सेवानिवृत्ति उपदान की रकम						
(ग) प्राधिकृत कुटुंब पेंशन की रकम						
(i) साधारण दर पर						
(ii) बढ़ी हुई दर पर						
(घ) वह तारीख जिसको रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की गई					दिन/माह/वर्ष	
6. मृत्यु उपदान की प्रस्तावित रकम						
7. प्रस्तावित कुटुंब पेंशन						
कुटुंब पेंशन की दर					पारिवारिक पेंशन की राशि	
विधवा/विधुर और बालकों के लिए						
प्रवर्ग ख के अधीन सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन x 60/100						
प्रवर्ग ग या घ के अधीन सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन						
माता-पिता/अव्यस्क सहोदर/निःशक्त सहोदर के लिए						
प्रवर्ग ख के अधीन सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन x 60/100 x 75/100						
प्रवर्ग ग या घ के अधीन सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन x 75/100						
वह तारीख जिसको रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की गई है।					दिन/माह/वर्ष	
8. कुटुंब के सदस्य(यों) के नाम जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन के लिए प्राधिकृत किया जाना है:-						
(क) पति/पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों, यदि कोई हो, के ब्यौरे जो कुटुंब पेंशन साझा करेंगे और प्रत्येक को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत						
नाम	रेल सेवक के साथ नातेदारी	मासिक आय	यदि दावेदार विधवा/तलाकशुदा पुत्री है, तो पति की मृत्यु/तलाक की तारीख*	यदि दावेदार निःशक्त बालक/सहोदर है वह तारीख जिससे वह निःशक्तता से ग्रस्त है	डाक पत्ता (पिन कोड के साथ), मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी	संदेय कुटुंब पेंशन की प्रतिशतता

* यदि तलाक की तारीख माता-पिता दोनों की मृत्यु की तारीख के पश्चात की है, तो इसे स्तंभ में तलाक की याचिका दर्ज कराने की तारीख को उपदर्शित किया जाएगा।						
(ख) परिवार के उस सदस्य का नाम और रिश्ता जिसे सह-अधिकृत किया जाना है (जैसे निःशक्त बालक/आश्रित माता-पिता/निःशक्त भाई-बहन)						
नाम				रेल सेवक के साथ संबंध		
9. संरक्षक के ब्यौरे जो अव्यस्क/मानसिक रूप से निःशक्त संतान की दशा में कुटुंब पेंशन का संदाय प्राप्त करेंगे:-						
क्र.सं.	(क) अव्यस्क/मानसिक रूप से निःशक्त बालक का नाम	(ख) संरक्षक का नाम	(ग) आधार संख्या* (यदि है)	(घ) मृत/रेल सेवक के साथ नातेदारी	(ङ) संरक्षक का पता	
1.						
2.						
3.						
10. क्या नियत चिकित्सा भत्ता अनुज्ञेय है:-			हां ☐ नहीं ☐		रकम (₹)	
स्थान: तारीख: (कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)						

भाग 2

लेखा प्राधिकरण

खंड 1

रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन प्राधिकृत पेंशन उपदान और कुटुंब के ब्यौरे	
(क) पीपीओ सं.	
(ख) प्राधिकृत सेवानिवृत्ति उपदान की रकम	
(ग) प्राधिकृत कुटुंब पेंशन की रकम	
(i) साधारण दर पर	
(ii) बड़ी हुई दर पर	
(घ) वह तारीख जिसको रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की गई	दिन/माह/वर्ष
उपदान के लिए स्वीकृत अर्हक सेवा की कुल अवधि	
अनुज्ञेय मृत्यु उपदान की रकम	
सरकारी या रेल शोध्यों के समायोजन के पश्चात उपदान की रकम समायोजित करने के बाद ग्रेच्युटी की कुल रकम	
रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम	
वह तारीख जिसको कुटुंब पेंशन अनुज्ञेय है	दिन/माह/वर्ष
लेखाशीर्ष जिसमें उपदान और कुटुंब पेंशन विकलनीय है	

खंड 2

मृत रेल सेवक के ब्यौरे			
नाम		मृत्यु की तारीख तारीख	दिन/माह/वर्ष
रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन प्राधिकृत कुटुंब पेंशन की रकम		प्राधिकृत उपदान की रकम	
कुटुंब पेंशन शुरू होने की तारीख	दिन/माह/वर्ष	उपदान से वसूली योग्य रकम	
कुटुंब के सदस्यों के नाम जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन के लिए प्राधिकृत किया जाना है			
(क) पति/पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों यदि कोई हो के ब्यौरे जो कुटुंब पेंशन में साझा करेंगे, और प्रत्येक को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत।	नाम	रेल सेवक के साथ नातेदारी	संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत
(ख) परिवार के सदस्यों जिन्हें कुटुंब पेंशन	नाम	रेल सेवक के साथ संबंध	

सह- प्राधिकृत किया जाना है के नाम और नातेदारी (अर्थात् निःशक्त बालक/आश्रित माता-पिता/निःशक्त सहोदर)		

स्थान:

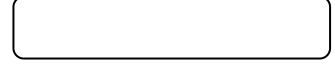
तारीख:

(लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

उपदान/कुटुंब पेंशन के लिए संगणना पत्र

1. नाम		2. पदनाम	
3. जन्म तारीख	दिन/माह/वर्ष	4. वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	5. मूल वेतन
6. रेल सेवा में प्रवेश की तारीख	दिन/माह/वर्ष	7. मृत्यु होने की तारीख	दिन/माह/वर्ष
8. उपदान के लिए माणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (जैसा पीपीओ में उल्लिखित है)			
9. परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां, जो अधिक लाभप्रद हो			
10. मृत्यु होने की तारीख को मद (9) पर महंगाई भत्ता			
11. उपदान के लिए परिलब्धियां [(9)+(10)]			
12. अनुज्ञेय मृत्यु उपदान			
13. कुटुंब पेंशन के लिए वेतन (जैसा पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित है)			
14. अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन (मृत रेल सेवक की दशा में):-			
कुटुंब पेंशन की दर		रकम	
विधवा/विधुर और बालकों के लिए प्रवर्ग 'ख' के अधीन सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन x 60/100 प्रवर्ग 'ग' या 'घ' के अधीन सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन माता-पिता/अव्यस्क सहोदर/निःशक्त सहोदर के लिए प्रवर्ग 'ख' के अधीन सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन x 60/100 x 75/100 प्रवर्ग 'ग' या 'घ' के अधीन सम्मिलित की गई मृत्यु - @ मृत्यु की तारीख पर वेतन x 75/100			
15. फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की रकम, अगर स्वीकृत हो			

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर



वेतन और लेखाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि प्रेषित:- श्री /श्रीमती/ कुमारी

(सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाला रेल सेवक)

[फा. सं. एफ(ई)।।।/2026/पी एन 1/1]

अभिजित कुमार सिन्हा, कार्यकारी निदेशक, वित्त (स्थापना)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2026

G.S.R 806(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— (1) These rules shall apply to the railway servants to whom the Railway Services (Pension) Rules, 2026 apply:

Provided that in the event of death or discharge from the service on the ground of disability of a railway servant, who is covered by the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2025, the benefits of family pension, disability pension and constant attendant allowance under these rules shall be payable to the railway servant or his family, as the case may be, if the railway servant had exercised an option to this effect under rule 10 of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2025:

Provided further that no benefits shall be paid under these rules in respect of a railway servant who dies or gets disabled while on foreign service under a United Nations' body if he had opted not to pay the pension contributions during the period of such deputation and not to get the service rendered in the United Nations' body counted as qualifying service in accordance with rule 29 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026.

(2)(a) Where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are applicable in case of a railway servant acquiring a disability, such case shall be governed by the provisions of the said section.

(b) Where a railway servant referred to in clause (a) intends to retire and avail benefits under these rules, the railway servant shall be advised that he has the option, in terms of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) to continue in service with the same pay scale and service benefits which he is otherwise entitled to and in case the railway servant does not withdraw his request for retirement, he may be allowed to retire and his case for grant of disability pension may be processed in accordance with the provisions of these rules.

(c) A railway servant, who belongs to an establishment which has been exempted from the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), by a notification issued under the proviso to subsection (1) of section 20 of the said Act and who is boarded out of railway service on account of disablement, shall be eligible for disability pension in accordance with the provisions of these rules:

Provided that where the medical board has found a railway servant fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he shall, subject to his willingness to be so employed, be employed on a lower post and if the railway servant is not willing to be employed on a lower post or if there is no means of employing him even on a lower post, he may be granted disability pension under these rules.

(d) If a railway servant referred to in clause (a) or clause (c) is retained in service in spite of disablement, he shall be paid compensation in lump-sum *in lieu* of the disability pension in accordance with sub-rule (5) of rule 10 of these rules.

3. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “accident” means—

(i) a sudden and unavoidable mishap; or

(ii) a mishap due to an act of devotion to duty performed in an emergent situation arising in the course of service or otherwise, but does not include an incident of violence;

(b) “Accounts Officer” means a Principal Financial Advisor of a Railway or such other officers as may be appointed in this behalf by the Railway Board;

(c) “Code” means the Indian Railway Establishment Code, as amended from time to time;

(d) “disability” means a condition of a person resulting in long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others;

(e) “disease” includes a disease as mentioned in Schedule- I;

(f) “Form” means a form appended to these rules;

(g) “injury” includes an injury as mentioned in Schedule-II;

(h) “Integrated Payroll and Accounting System” means the online system for sanctioning retirement benefits;

(i) “pay” as defined in the Rule 1303 of Code, which a railway servant was receiving,-

(i) in case of retirement or death, immediately before his retirement or on the date of his death; and

(ii) in case of retention in service in spite of disablement, on the date of injury or date of disease, as the case may be, and shall also include stagnation increment and non-practising allowance granted to a medical officer in lieu of private practice.

(j) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;

(k) “violence” means an act of a person or persons to inflict an injury on a railway servant by assaulting or obstructing or deterring or preventing him in the discharge of his duties,-

(i) by virtue of anything done or attempted to be done by such railway servant or by any other public servant in the lawful discharge of his duty as such; or

(ii) by virtue of his official position,

and shall also include such acts which cause injury to the railway servant as a collateral victim due to his presence at the place of incident in connection with discharge of his official duty.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Code or in the Railway Services (Pension) Rules, 2026 shall have the same meanings as respectively assigned to them in those rules.

4. Conditions for grant of disability pension or family pension.- (1) A disability pension or family pension shall be granted under these rules, if there is a causal connection between,-

(a) disablement of a railway servant and railway service; or

(b) death of a railway servant and railway service.

(2) The disablement shall be reckoned as due to the railway service, if it is certified that the same is due to wound, injury or disease, which,-

(a) is attributable to railway service; or

(b) existed before or arose during the railway service and has aggravated thereby.

(3) The death shall be reckoned as due to railway service if it is certified that the same was caused due to or hastened by, -

(a) a wound, injury or disease which was attributable to the railway service; or

(b) the aggravation of a wound, injury or disease, which existed before or arose during the railway service and such aggravation is attributable to the railway service.

(4) It shall not be necessary for the railway servant or the family to submit any application for grant of disability pension or family pension under these rules.

(5) It shall be the responsibility of the Head of Office to consider each case of death or disability due to injury or disease caused to a railway servant based on the findings of the Medical Board and to take necessary action to submit the case to the competent authority, within three months of the date of receipt of the report of the Medical Board, for a decision in regard to grant of disability pension or family pension under these rules:

Provided that the claim for disability pension or family pension under these rules shall not be rejected on account of any delay on the part of the Head of Office in submission of the case to the competent authority for a decision in regard to grant of disability pension or family pension under these rules.

(6) The disability pension shall consist of a service element and a disability element, which shall be determined in accordance with rule 10 of these rules.

(7) On death of a pensioner, who was in receipt of a disability pension, family pension shall be payable in accordance with sub-rule (2) of rule 11 of these rules.

5. Authority for grant of disability pension or family pension.- (1) The power to grant disability pension or family pension under these rules, in respect of a railway servant working in the Ministry of Railways and the organisations or offices under it, shall be exercised by the Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board or by such other officer not below the grade of an Senior Administrative Grade level (SAG) officer, to whom this power is delegated by the Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board, in consultation with the Member (Finance):

Provided that in respect of the railway servants working in an organisation or office under the Ministry of Railways, the Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board, in consultation with the Member (Finance), may delegate the power to grant disability pension or family pension under these rules to an officer not below the grade of an Senior Administrative Grade level (SAG) officer of the said organisation or office.

(2) The officer to whom the power to grant disability pension or family pension is delegated under sub-rule (1) shall exercise the power subject to conditions, if any, as may be laid down by the Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board in consultation with the Member (Finance).

(3) Each case for grant of family pension or disability pension under these rules shall be examined in accordance with the guidelines specified in Schedule – IV.

(4) The authority referred to in sub-rule (1), before allowing family pension or disability pension under these rules shall satisfy itself that the conditions specified in rule 4 for grant of family pension or disability pension are fulfilled and based on the medical report, the guidelines specified in Schedule –IV and the other relevant documents, the said authority shall certify that there exists a causal connection between disablement or death of the railway servant and the railway service and that the death or disability is attributable to or aggravated by the railway service.

Note 1: The guidelines specified in Schedule- IV are aimed to determine attributability of disablement or death to railway service:

Provided that, if based on the facts of a particular case, the authority is of the opinion that the disablement or death, though not strictly covered by the guidelines specified in Schedule–IV, is otherwise attributable to railway service, it may, for reasons to be recorded in writing, grant disability pension or family pension, as the case may be, in accordance with these rules.

Note 2: In the case of a railway servant who died in such circumstances that a medical report could not be secured, the competent authority may award a family pension under these rules, if it is otherwise satisfied that there exists a causal connection between death of the railway servant and railway service.

6. Other conditions.- (1) Where grant of family pension or disability pension or gratuity under these rules is made in respect of a period of service under the Railway, no pension or family pension or gratuity under any other rules shall be payable for the said period of service, during the currency of the grant.

(2) The disability element of disability pension granted under these rules shall not be taken into account in fixing the pay of a pensioner on his re-employment in the Government service.

7. Determination of percentage of disability.— (1) The percentage of disability due to any disease or diseases specified in Schedule - I shall be as certified by the Medical Board.

(2) The percentage of disability due to any injury or injuries shall be as specified in Schedule - II, or failing that as certified by the Medical Board.

(3) The extent of disability or functional incapacity shall be determined in the manner as per the following Table for purposes of computing the disability element forming part of benefits, namely :-

Table

S.No.	Percentage of disability assessed by Medical board	Percentage to be reckoned for computation of disability element.
1.	Up to 50	50
2.	More than 50 and up to 75	75
3.	More than 75 and up to 100	100

Provided that the above broad-banding shall not be applicable to railway servants who are retained in service.

8. Findings of the Medical Board and appeal.— (1) The findings of the Medical Board on the extent of disability may be treated as final and binding unless the railway servant or his family seeks a review by preferring an appeal to an authority immediately superior to the one who had constituted the Board.

(2) An appeal against the decision of the Medical Board shall be preferred and considered in the following manner, namely:-

(i) the findings of the examining Medical Board shall be made known to the railway servant concerned or his family within one month after the receipt of the medical report by the Head of the Office or Department and the railway servant concerned shall, if he desires to appeal against such decision, can do so together with the requisite evidence in support of his case within one month from the date on which the findings of the Medical Board were made known to him;

(ii) where the Head of Office is satisfied that the railway servant himself is not in a position to submit the appeal under this clause on account of any bodily or mental infirmity or disablement, the Head of Office may allow the spouse of the railway servant or, in the absence of the spouse, the member of the family eligible to receive family pension on death of railway servant, to submit the appeal and if there is no member of the family eligible to receive family pension on death of railway servant, a member of the family in whose favour a nomination was made by the railway servant for payment of gratuity, may be allowed to submit the appeal;

(iii) if any medical certificate is produced by the railway servant or his family as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of an examining Medical Board which had examined him in the first instance, the certificate shall not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner who gave the certificate to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the person concerned had already been examined by a Medical Board who have given their opinion as to the injury or disease, in respect of which the railway servant claims to be eligible for benefits under extraordinary circumstances;

(iv) where an appeal under clause (i) or clause (ii) is supported by a medical certificate referred to in clause (iii), a Review Medical Board shall be constituted by the authority referred in rule 5 of these rules.

(v) in cases other than those referred to in clause (iv), the appeal shall, at first, be referred to the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare or Director General of Railway Health Services, Ministry of Railways, as the case may be, along with the comments of the Medical Board, which had examined him in the first instance and the Directorate General of Health Services or Director General of Railway Health Services, as the case may be, shall advise on the evidence produced as to whether there is an error of judgment on the part of the examining Medical Board which had first conducted the medical examination and whether the appeal shall be accepted or not and if accepted, by whom such re-examination shall be conducted;

(vi) a Review Medical Board constituted under clause (iv) or clause (v) shall not include any member who was part of the Medical Board which had initially examined the railway servant and whose findings have been appealed against by the railway servant or his family, as the case may be;

(vii) where a Review Medical Board is constituted under clause (iv) or clause (v), the findings of the Review Medical Board shall be binding on all parties;

(viii) the extent of disability as determined by the Medical Board or the Review Medical Board, as the case may be, shall be treated as final and the railway servant shall not be required to appear before Medical Board periodically for the purpose of obtaining a certificate that the disability continues to persist.

9. Classification of cases of death or disability.— (1) The cases of death or disability shall be classified in the following distinct categories, on the basis of the circumstances in which death or disability takes place, namely:—

(A) **Category ‘A’** - The death or disability due to natural causes not attributable to railway service and there is no causal connection between the death or disablement of the railway servant and the railway service.

(B) **Category ‘B’** - The death or disability due to following causes, which are accepted as attributable to or aggravated by railway service, namely:—

(i) diseases contracted, - (a) because of continued exposure to a hostile work environment; or (b) on being subjected to occupational hazards or extreme weather conditions, resulting in death or disability; or

(ii) accidents caused while on duty, not covered under **Category ‘C’** or **Category ‘D’**.

(C) **Category ‘C’** - the death or disability, - (i) attributable to acts of violence by terrorists, extremists, anti-social elements, etc. at public places and not specifically targeted against the railway servant, including bomb blasts in public places or transport, indiscriminate shooting incidents in public, etc., whether in the performance of duty or otherwise;

(ii) attributable to act of violence or attack by a fellow Railway servant;

(iii) due to riots or revolt by demonstrators or public servants, causing injuries to other railway servants who are employed in aid of the civil administration for quelling agitation;

(iv) occurring while on duty in specified high altitude, inaccessible duty posts, etc. on account of natural disaster, extreme weather condition such as avalanche, snow storm, blizzards, flash floods or cloud burst or landslide, thunderstorm, lightning, extreme heat, sand storms in desert areas, etc.;

(v) occurring during rescue operations, e.g. fire-fighting, floods, storms, etc.

(D) **Category ‘D’** - the death or disability arising as a result of, -

(i) attack targeted against the railway servant by terrorists, extremists, anti-social elements, etc.;

(ii) action against terrorists, extremists, anti-social elements, etc. ;

(iii) enemy action in international war or border skirmishes and warlike situations;

(iv) operation to evacuate Indian nationals from a war-torn foreign country;

(v) extremists acts, exploding of mines, etc., while on the way to an operational area or on return therefrom, kidnapping by extremists, training exercises with live ammunition, simulation drills such as real battle-like conditions created for war training exercises, rehearsals, etc.

(2) (i) The illustrative list of circumstances in which death or disability of a railway servant is to be reckoned as attributable to railway service for grant of Extraordinary Family Pension or Disability Pension of cases falling under **Category ‘B’**, **Category ‘C’** and **Category ‘D’** shall be as referred at Schedule III.

(ii) The list in Schedule - III is illustrative and the cases of death or disability, though not covered by the list in Schedule - III, but otherwise fulfilling the conditions for grant of disability pension or family pension under these rules shall be decided on the basis of the circumstances in which death or disability took place.

(3) The pension and family pension on disability or death of a railway servant under **Category 'A'** in sub-rule (1) shall be granted in accordance with the provisions of the Railway Services (Pension) Rules, 2026 and the pension and family pension on disability or death of a railway servant under **Category 'B'**, **Category 'C'** or **Category 'D'** in sub-rule (1) shall be granted in accordance with the provisions of these rules.

10. Amount of disability pension and retirement gratuity.— (1) Where a railway servant is boarded out on account of a disablement in **Category 'B'**, **Category 'C'** or **Category 'D'**, he shall be awarded disability pension in accordance with the percentage of disability determined under rule 7.

(2) (i) The disability pension on discharge under **Category 'B'**, **Category 'C'** or **Category 'D'** shall comprise a service element and a disability element and the service element in all categories shall be equal to the normal pension at the rate of fifty per cent of the emoluments or average emoluments, whichever is beneficial to the railway servant and the rates of disability element for each category shall be as specified in sub-rule (3).

(ii) There shall be no condition of minimum qualifying service having been actually rendered for earning service element or disability element of disability pension under **Category 'B'**, **Category 'C'** or **Category 'D'**, if otherwise due and the service element of disability pension shall be payable even in cases where the qualifying service is less than ten years but no service gratuity shall be admissible in such cases.

(iii) The amount of disability pension under this rule shall not be less than eighteen thousand rupees per month.

(iv) The emoluments and average emoluments for disability pension and retirement gratuity under these rules shall be determined in accordance with rule 31 and rule 32, respectively, of the Railway Services (Pension) Rules, 2026.

(3) (i) The amount of disability pension and retirement gratuity payable on discharge to a railway servant under **Category 'B'** shall be as under—

(a) for hundred per cent. disability, the disability pension shall comprise a service element referred to in sub-rule (2) plus a disability element at the rate of thirty per cent. of the emoluments or average emoluments, whichever is beneficial to the railway servant and for lower percentage of disability, the disability element of the disability pension shall be proportionately lower.

(b) the retirement gratuity shall be admissible in accordance with rule 45 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026 on the basis of the emoluments and qualifying service as on the date of discharge.

(ii) The amount of disability pension and retirement gratuity payable on discharge to a railway servant under **Category 'C'** shall be as under, -

(a) for hundred per cent. disability, the disability pension shall comprise a service element referred to in sub-rule (2) plus a disability element at the rate of thirty per cent. of the emoluments or average emoluments, whichever is beneficial to the railway servant and for lower percentage of disability, the disability element of the monthly disability pension shall be proportionately lower.

(b) the retirement gratuity shall be as admissible in accordance with rule 45 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026, which the railway servant would have been entitled to on the basis of his emoluments on the date of discharge but counting qualifying service up to the date on which he would have retired on superannuation in the normal course.

(iii) the amount of disability pension and retirement gratuity payable on discharge to a railway servant under **Category 'D'** shall be as under—

(a) for hundred per cent. disability, the disability pension shall comprise a service element referred to in sub-rule (2) plus a disability element at the rate of hundred per cent. of the emoluments or average emoluments, whichever is beneficial to the railway servant and for lower percentage of disability, the disability element of the monthly disability pension shall be proportionately lower.

(b) the retirement gratuity shall be admissible in accordance with rule 45 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026 which the railway servant would have been entitled to on the basis of his emoluments on the date of discharge but counting qualifying service up to the date on which he would have retired on superannuation in the normal course.

(4) The additional quantum of pension admissible to pensioners aged eighty years and above under sub-rule (6) of rule 44 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026 shall also be admissible on the disability pension granted under these rules.

(5) (a) If the railway servant is retained in service in spite of a disablement on account of an injury or disease, he shall be paid compensation in lump sum *in lieu* of the disability element of disability pension by arriving at the capitalised value of such disability element with reference to the commutation table in force from time to time:

Provided that the broad-banding as provided in sub-rule (3) of rule 7 of these rules shall not be applicable in such cases.

(b) Service element of disability pension shall not be taken into account for determining the amount of the lump sum compensation.

Illustration.- The amount of lump sum compensation *in lieu* of disability pension in the case of a railway servant, who has completed the age of 40 years and was drawing a basic pay of Rs 30,000/- per month on the date of injury or date of disease, as the case may be, and who is retained in railway service in spite of a disability of forty per cent. in Category 'B', shall be as under-

Rs. 30,000 x 30/100 (Disability element of disability pension) x 40/100 (Percentage of disability) x 9.075 (Commutation factor for age of 41 years on next birthday) x 12 (Number of months in a year) = Rs. 3,92,040/-.

(6) For the purpose of sub-rule (5), 'date of injury' shall be the actual date on which the injury is suffered in an accident or violence or such other date, as the authority competent to grant disability pension or family pension under rule 5, may fix and 'date of disease' shall be the date, as the authority competent to grant disability pension or family pension under rule 5, may fix with due regard to the opinion of the Medical Board:

Provided that the date of injury so fixed shall not be later than the date of the report of the Medical Board and the date of disease so fixed shall not be later than the date of the report of the Medical Board.

(7) In the case of a pensioner, who is eligible for disability pension for hundred per cent. disability under these rules and in whose case, based on the condition of the accepted disability or disabilities, the Medical Board is of the opinion that the pensioner is completely dependent on others for day to day activities and needs the services of a constant attendant, the constant attendant allowance shall be granted to him at the rate decided by the Government from time to time and the constant attendant allowance shall be payable, for life, in addition to the monthly disability pension but no dearness relief shall be admissible on the constant attendant allowance.

11. Amount of family pension.- (1) Subject to the provisions of rule 12 of these rules, -

(a) the amount of Family Pension payable on death of a railway servant under Category 'B' shall be sixty per cent of the pay, and

(b) the amount of Family Pension payable on death of a railway servant under Category 'C' and Category 'D' shall be equal to hundred per cent of the pay.

(2) On death of a pensioner, who was in receipt of a disability pension under these rules, the family shall be entitled to a family pension in accordance with rule 50 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026:

Provided that in cases where the pensioner dies within seven years after having been boarded out on account of the same injury or disease which resulted in his disablement, the family shall be entitled to a family pension under these rules, as admissible on death of a railway servant,-

(i) in the same category under which the disability pension was granted; and

(ii) at the rate which would have been admissible if the railway servant had died during service due to the injury or disease which resulted in his disablement.

Note: The question whether or not the death of a pensioner is on account of the same injury or disease which resulted in his disablement, shall be decided by a Medical Board to be constituted by the authority competent to grant family pension under rule 5 of these rules.

(3) The pay for family pension under this rule shall be determined in the same manner as in the case of family pension under rule 50 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026.

(4) The amount of family pension under this rule shall not be less than eighteen thousand rupees per month.

12. Eligibility of members of the family for grant of family pension.- (1) The family pension under these rules shall be payable to the members of the family of the deceased railway servant in the following order of precedence, namely:-

- (i) subject to provisions of sub- rule (3), widow or widower;
- (ii) subject to provisions of sub-rule (4), dependent children including adopted children and step children;
- (iii) subject to provisions of sub-rule (5), parents including adoptive parents;
- (iv) subject to provisions of sub-rule (6), dependent siblings; brothers or sisters.

Explanation 1. - The words ‘widow’ and ‘widower’, wherever occurring in this rule shall mean the legally wedded spouse of the deceased railway servant.

Explanation 2.- The term ‘railway servant’ in this rule shall include a pensioner, who was in receipt of a disability pension under these rules, and on whose death the family is entitled to a family pension in accordance with proviso to sub-rule (2) of rule 11 of these rules.

(2) (a) Except as provided in proviso to clause (c), clause (d), clause (e) and clause (f) of sub-rule (3), clause (g) and to sub-clause (iii) of clause (h) of sub-rule (4), the family pension under these rules shall not be payable to more than one member of the family of the deceased railway servant at the same time.

(b) Where the family pension is payable to more than one member of the family at the same time, if the share of the family pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee.

(3)(a) Subject to the provisions of clause (b), if the deceased railway servant is survived by a widow or widower, the family pension at the rate specified in rule 11 of these rules shall be payable under Category ‘B’ or Category ‘C’ or Category ‘D’, as the case may be, to such widow or widower up to the date of death or remarriage, whichever is earlier and on death or remarriage of the widow or widower, the family pension shall be payable in accordance with clause (b) and sub-rule (4), sub-rule (5) and sub-rule (6).

Explanation.- The eligibility of widow or widower for family pension shall not be affected by the amount of her or his income from any other source.

(b) (i) Where widow of a deceased railway servant re-marries a brother of her deceased husband and continues to live a communal life with, or contributes to the support of the other dependants of the deceased, the family pension shall continue to be payable to her.

(ii) Where in a case not covered by sub-clause (i), a deceased railway servant is survived by a childless widow, on re-marriage, the family pension shall continue to be payable to her, if her income from all other sources is less than the amount of minimum family pension under sub-rule (4) of rule 11 of these rules and the dearness relief admissible thereon:

Provided that if, after re-marriage, income of childless widow from all other sources becomes equal to or exceeds the amount of minimum family pension under sub-rule (4) of rule 11 of these rules and the dearness relief admissible thereon, family pension shall be stopped and shall become payable to the other eligible member of the family, if any, of the deceased railway servant in accordance with this rule.

(iii) Where in a case not covered by sub-clause (i) or sub-clause (ii), a deceased railway servant is survived by a widow who is eligible for family pension under Category ‘C’ or Category ‘D’, on re-marriage of the widow, from the date following the date of her remarriage, the family pension shall be payable to the widow at the rate of family pension and subject to the conditions specified in rule 50 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026 and the family pension, in such a case, shall also be payable to other eligible member of the family, if any, in accordance with sub-rule (4) or sub-rule (5) or sub-rule (6) and on death of the widow after remarriage, the family pension payable to her shall not be payable to any other member of the family.

(c) Where the deceased railway servant is survived by more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares and on the death or ineligibility of a widow, hundred per cent. of her share if the family pension is payable under Category 'B' or sixty per cent. of her share if the family pension is payable under Category 'C' or Category 'D', shall become payable to her child or children who fulfil the eligibility conditions specified in sub-rule (4).

(d) In case, the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares, or if there is only one such other widow, in full, to her.

(e) (i) Where the deceased railway servant is survived by a widow without any child eligible for family pension but has left behind eligible child or children from another wife who is not alive, the child or children who fulfil the eligibility conditions mentioned in sub-rule (4) shall be entitled to hundred per cent. of the share under Category 'B' or sixty per cent. of the share under Category 'C' or Category 'D', which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the railway servant.

(ii) On the share or shares of family pension payable to such a child or children ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to other child or children otherwise eligible in accordance with sub-rule (4), in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

(iii) On the share or shares of family pension payable to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but hundred per cent. of her share if the family pension is payable under Category 'B' or sixty per cent. of her share if the family pension is payable under Category 'C' or Category 'D', shall be payable to the other child or children otherwise eligible in accordance with sub-rule (4), in equal shares, or if there is only one child, in full, to such child:

Provided that if the deceased railway servant is survived by the widow with child or children eligible for family pension, on death of the widow, hundred per cent of her share if the family pension is payable under Category 'B' or sixty per cent of her share if the family pension is payable under Category 'C' or Category 'D' shall be payable to her child or children in accordance with sub-rule (4):

Provided further that if the deceased railway servant is survived by the widow with child or children eligible for family pension, on the share of family pension payable to the widow ceasing to be payable on account of re-marriage, her share of the family pension under Category B shall be payable to her child or children in accordance with sub-rule (4).

(f) (i) Where the deceased railway servant is survived by a widow without any child eligible for family pension but has left behind eligible child or children from a divorced wife or wives, the child or children who fulfil the eligibility conditions mentioned in sub-rule (9) shall be entitled to hundred per cent. of the share under Category 'B' or sixty per cent. of the share under Category 'C' or Category 'D', which the mother would have received at the time of the death of the railway servant had she not been so divorced.

(ii) On the share or shares of family pension payable to such a child or children ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and/or to other child or children otherwise eligible in accordance with sub-rule (4), in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

(iii) On the share or shares of family pension payable to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but hundred per cent. of her share if the family pension is payable under Category 'B' or sixty per cent. of her share if the family pension is payable under Category 'C' or Category 'D', shall be payable to the other child or children otherwise eligible in accordance with sub-rule (4), in equal shares, or if there is only one child, in full, to such child:

Provided that if the deceased railway servant is survived by the widow with child or children eligible for family pension, on death of the widow, hundred per cent. of her share if the family pension is payable under Category 'B' or sixty per cent. of her share if the family pension is payable under Category 'C' or Category 'D' shall be payable to her child or children in accordance with sub-rule (4):

Provided further that if the deceased railway servant is survived by the widow with child or children eligible for family pension, on the share of family pension payable to the widow ceasing to be payable on account of re-marriage,

her share of the family pension under Category 'B' shall be payable to her child or children in accordance with sub-rule (4).

(g) (i) Where the deceased railway servant is survived by a widow without any child eligible for family pension but has left behind eligible child or children from a void or voidable marriage, the child or children from the void or voidable marriage who fulfil the eligibility conditions mentioned in sub-rule (4) shall be entitled to hundred per cent of the share under Category 'B' or sixty per cent. of the share under Category 'C' or Category 'D', which the mother would have received at the time of the death of the railway servant had the marriage not been void or voidable.

(ii) On the share or shares of family pension payable to such a child or children ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to other child or children otherwise eligible in accordance with sub-rule (4), in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

(iii) On the share or shares of family pension payable to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but hundred per cent. of her share if the family pension is payable under Category 'B' or sixty per cent. of her share if the family pension is payable under Category 'C' or Category 'D', shall be payable to the other child or children otherwise eligible in accordance with sub-rule (4), in equal shares, or if there is only one child, in full, to such child:

Provided that if the deceased railway servant is survived by the widow with child or children eligible for family pension, on death of the widow, hundred per cent. of her share if the family pension is payable under Category 'B' or sixty per cent. of her share if the family pension is payable under Category 'C' or Category 'D' shall be payable to her child or children in accordance with sub-rule (4):

Provided further that if the deceased railway servant is survived by the widow with child or children eligible for family pension, on the share of family pension payable to the widow ceasing to be payable on account of re-marriage, her share of the family pension under Category B shall be payable to her child or children in accordance with sub-rule (4).

(h) Where a railway servant dies leaving behind a judicially separated widow or widower and no child or children, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the person surviving.

(i) Where a railway servant dies leaving behind a judicially separated widow or widower with a minor child or children or a child or children suffering from disorder or disability of mind including the mentally retarded, hundred per cent. of the share of the family pension under Category 'B' or sixty per cent. of the share of the family pension under Category 'C' or Category 'D' in respect of deceased shall be payable to the surviving person provided he or she is the guardian of such child or children and if the surviving person ceases to be the guardian of such child or children, such family pension shall be payable to the person who is the actual guardian of such child or children:

Provided that where the minor child, after attaining the age of majority, remains eligible for family pension, the family pension shall become payable to such child from the date on which he attains the age of majority and after the child ceases to be eligible for family pension under this rule, such family pension shall become payable to the surviving judicially separated spouse of the deceased railway servant till his or her death or remarriage, whichever is earlier.

(j) Where a railway servant dies leaving behind a judicially separated widow or widower with a child who has attained the age of majority but is eligible for family pension, hundred per cent. of the family pension under Category 'B' or sixty per cent. of the family pension under Category 'C' or Category 'D', shall become payable to such child after the death of the railway servant and if the child or children cease to be eligible for family pension under this rule, such family pension shall become payable to the surviving judicially separated spouse of the deceased railway servant till his or her death or remarriage, whichever is earlier.

(k) It shall be the duty of a childless widow after her re-marriage to furnish a certificate to the pension disbursing authority once in a year that her income from all other sources is less than the amount of minimum family pension under sub-rule (4) of rule 11 of these rules and the dearness relief admissible thereon.

(4)(a) If the deceased railway servant is not survived by a widow or widower or if the widow or widower dies or remarries, hundred per cent. of the family pension under Category 'B' or sixty per cent. of the family pension under Category 'C' or Category 'D', as the case may be, shall be payable to the child or children who fulfil the following conditions, namely:-

(i) in the case of a son (including adopted son and step son), other than a son suffering from a mental or physical disability— unmarried, below the age of twenty five years and not earning his livelihood;

(ii) in the case of a daughter (including adopted daughter and step daughter) other than a daughter suffering from a mental or physical disability— unmarried or widowed or divorced and not earning her livelihood;

(iii) in the case of a son or a daughter suffering from a mental or physical disability (including adopted son or daughter and step son or daughter)— not earning his or her livelihood;

(b) A son or a daughter, other than a son or a daughter suffering from a mental or physical disability, shall be deemed to be not earning his or her livelihood if his or her income from sources other than family pension is less than the minimum family pension under rule 11 of these rules and the dearness relief admissible thereon.

(c) A son or a daughter suffering from a mental or physical disability shall be deemed to be not earning his or her livelihood if his or her overall income from sources other than family pension is less than the entitled family pension and the dearness relief admissible thereon, payable on death of the railway servant concerned.

(d) Where a deceased railway servant leaves behind more children than one, family pension shall first be payable to children below the age of twenty-five years, who fulfil the eligibility conditions for grant of family pension, in the order of their birth.

(e) The elder child shall be entitled to the family pension till he or she has attained the age of twenty-five years or has got married or remarried or has started earning his or her livelihood, whichever is the earliest and the younger of the children shall be eligible for family pension after the elder next above him or her has attained the age of twenty-five years or has got married or remarried or has started earning his or her livelihood or has died.

(f) Where family pension is granted under this rule to a minor, it shall be payable to the minor through the guardian.

(g) Where the family pension is payable to twin children it shall be paid to such children in equal shares and when one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and when both of them cease to be eligible, the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children.

(h) Where a deceased railway servant is not survived by a son or daughter below the age of twenty-five years and eligible for family pension or where such son or daughter has died or has ceased to be eligible for family pension, the family pension shall be payable for life to a son or daughter who is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded or is physically disabled or suffering from any other disability referred to in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years, subject to the following conditions, namely:-

(i) the disability existed before the death of either the railway servant or spouse;

(ii) if such son or daughter is one among two or more children of the railway servant, the family pension shall be initially payable to the children below the age of twenty-five years in the order specified in clause (d) until the last child attains the age of twenty five years and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from a disability referred to in clause (h) and shall be payable to him or her, for life;

(iii) if there are more than one such children suffering from a disability referred to in clause (h), the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them shall get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible or dies:

Provided that where the family pension is payable to such twin children it shall be paid in the manner as specified in clause (g);

(iv) the family pension shall be paid to a son or daughter, who is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded, through the guardian as if he or she were a minor except in the case of the physically disabled son or daughter who has attained the age of majority:

Provided that in the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension shall also be payable to a person nominated by the railway servant, and in case no such nomination has been furnished to the Head of Office by such railway servant during his lifetime, to the person nominated by the spouse of such railway servant or family

pensioner, as the case may be, later on and the guardianship certificate issued under section 14 of the National Trust Act, 1999 (44 of 1999), by a local level Committee, shall also be accepted for nomination for appointment of guardian for grant of family pension in respect of the person suffering from autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities as indicated in the said Act;

(v) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy itself that the disability is of such a nature so as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from,-

(A) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or a State Government or a Union territory Administration in this regard; or

(B) a three-member Medical Board comprising of, (a) a Chief Medical Superintendent or Medical Superintendent, or a Principal or a Director or a Head of the Institution or their nominee as Chairman; and (b) two other members, out of which at least one shall be a specialist in the particular area of disability, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child.

(vi) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce a certificate, from,-

(A) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or a State Government or a Union territory Administration in this regard; or

(B) a three-member Medical Board comprising of, (a) a Chief Medical Superintendent or Medical Superintendent, or a Principal or a Director or a Head of the Institution or their nominee as Chairman; and (b) two other members, out of which at least one shall be a specialist in the particular area of disability, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child, once only, if the disability is permanent and every five years if the disability is temporary, to the effect that he or she continues to suffer from a disability referred to in clause (h).

(i) The marriage by a child who is suffering from a disability referred to in clause (h) shall not render him or her ineligible for family pension under this sub-rule.

(j) Where a deceased railway servant is not survived by a son or daughter eligible for family pension under clause (d) or clause (h), as the case may be, or if a son or daughter eligible for family pension under clause (d) or clause (h), as the case may be, dies or ceases to fulfill the eligibility conditions for family pension prescribed in those clauses, the family pension shall be granted or continued to be payable to an unmarried or widowed or divorced daughter beyond the age of twenty-five years for life or until she gets married or re-married or until she starts earning her livelihood, whichever is the earliest subject to the following conditions, namely:-

(i) the family pension shall be initially payable to the children in the order specified in clause (d) until the last child attains the age of twenty-five years;

(ii) there is no disabled child eligible to receive family pension in accordance with clause (e);

(iii) the unmarried or widowed or divorced daughter was dependant on her parent or parents when he or she or they were alive;

(iv) where a deceased railway servant leaves behind more than one unmarried or widowed or divorced daughter beyond the age of twenty-five years, family pension shall first be payable to such daughter, who fulfil the eligibility conditions for grant of family pension under this sub-rule, in the order of their birth;

(v) The elder daughter shall be entitled to the family pension till she has got married or remarried or has started earning her livelihood, whichever is earlier and the younger of the daughters shall be eligible for family pension after the elder next above her has got married or remarried or has started earning his or her livelihood or has died;

(vi) in the case of widowed daughter, death of her husband and in the case of divorced daughter, her divorce took place during the lifetime of the railway servant or his or her spouse:

Provided that the family pension shall be payable to a divorced daughter from the date of divorce if the divorce proceedings were filed in a competent court during the life time of the railway servant or his or her spouse but the divorce took place after their death:

Provided further that if, consequent on the death of the railway servant and his or her spouse, the family pension to any other eligible member of the family has become payable before the date of divorce of daughter, the family pension to such divorced daughter shall not commence before the aforesaid member of the family ceases to be eligible for family pension or dies.

(k) Where a deceased railway servant leaves behind children from more than one widow or from a widow and a divorced wife or from a widow or a divorced wife and void or voidable marriage, the child or children who fulfil the eligibility conditions mentioned in this sub-rule shall be entitled to hundred per cent of the share of family pension under Category 'B' or sixty per cent. of the share of family pension under Category 'C' or Category 'D', which their mother would have received at the time of the death of the railway servant if she had been alive or if she had not been so divorced or if the marriage had not been void or voidable, as the case may be.

(l) Where there are more than one child from a widow or a divorced wife or void or voidable marriage, the share of family pension to such children shall be payable in the manner specified in this sub-rule.

(m) Where the share or shares of family pension payable to such a child or children ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the child or children from other widow or divorced wife or void or voidable marriage, otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one child, in full, to such child;

Explanation.- The expressions 'son' or 'daughter' shall include a posthumous son or posthumous daughter, respectively.

(n) An unmarried son or an unmarried or widowed or divorced daughter, except a disabled son or daughter, shall become ineligible for family pension from the date he or she gets married or remarried.

(o) The family pension payable to a son or a daughter shall be stopped if he or she starts earning his or her livelihood.

(p) It shall be the duty of son or daughter or the guardian to furnish a certificate to the pension disbursing authority once in a year that,-

(i) he or she has not started earning his or her livelihood; and

(ii) he or she has not yet married or remarried and a similar certificate shall be furnished by the son or daughter suffering from a mental or physical disability to the pension disbursing authority once in a year that he or she has not started earning his or her livelihood.

(5)(a) Where a deceased railway servant is not survived by a widow or widower or a child eligible for family pension or if the widow or widower and all children cease to be eligible for family pension, family pension shall be payable to parents for life-

(i) under Category 'B', at the rate of fifty per cent. of the family pension entitled to a widow, subject to the conditions that the parents were dependent on the railway servant at the time of his or her death and the amount of family pension shall not be less than the amount of family pension admissible in accordance with rule 50 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026; and

(ii) under Category 'C' and Category 'D', at the rate of seventy five per cent. of the family pension entitled to a widow if both parents are alive and at the rate of sixty per cent. of the family pension entitled to a widow if only one parent is alive.

Explanation 1.- Parents shall be deemed to be dependent on the railway servant if their combined income is less than the minimum family pension under rule 11 and the dearness relief admissible thereon.

Explanation 2.- Payment of family pension to parents in Category 'C' and Category 'D' shall be without reference to the amount of their income from other sources.

(b) The family pension, wherever admissible to parents shall be payable to the mother of the railway servant failing which to the father of the deceased railway servant.

(c) It shall be the duty of parents in receipt of family pension under Category 'B' to furnish a certificate to the pension disbursing authority once in a year that they have not started earning their livelihood and the family pension payable to parents shall be stopped if they start earning their livelihood.

(6) (a) Where a deceased railway servant is not survived by a widow or widower or a child or parents eligible for family pension or if the widow or widower or children or parents of the railway servant cease to be eligible for family pension, the family pension equal to fifty per cent. of the rate specified in sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 11 of these rules, as the case may be, shall be payable to the dependent sibling of the deceased railway servant till he or she attains the age of twenty five years or gets married, whichever is earlier.

(b) Where the dependent sibling ceases to be eligible for family pension or where there is no dependent sibling below the age of twenty five years eligible for family pension but the railway servant is survived by a dependant sibling who is suffering from a mental or physical disability, family pension equal to fifty per cent. of the rate specified in clause (a) shall be payable for life to such disabled sibling, if such sibling was wholly dependent upon the railway servant immediately before his or her death:

Provided that the amount of family pension under this sub-rule shall not be less than the amount of family pension admissible in accordance with rule 50 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026 to a dependant sibling who is suffering from a mental or physical disability:

Provided further that a sibling who is suffering from a mental or physical disability shall be eligible for family pension for life in the same manner and subject to same eligibility conditions and following the same disability criteria, as laid down in clause (h) and clause (i) of sub-rule (4) in the case of son or daughter of a railway servant suffering from any disability referred to in clause (h), so as to render him or her unable to earn a livelihood even after attaining the age of twenty-five years:

Provided also that the family pension to the sibling who is suffering from a mental or physical disability shall be payable if the disability existed before the death of the railway servant.

Explanation 1- A sibling below the age of twenty-five years shall be deemed to be earning his or her livelihood and shall not be deemed to be dependent on the railway servant if his or her income from other sources is equal to or more than the minimum family pension under rule 11 and the dearness relief admissible thereon.

Explanation 2- The family pension payable to a sibling below the age of twenty-five years shall be stopped if he or she starts earning his or her livelihood and it shall be the duty of such a sibling to furnish a declaration to the pension disbursing authority once in a year that he or she has not started earning his or her livelihood.

Explanation 3- The income criteria as applicable in the case of a child suffering from a mental or physical disability under sub-rule (4) shall also be applicable for determining the eligibility for family pension of a sibling suffering from a mental or physical disability.

Explanation 4.- It shall be the duty of a sibling below the age of twenty five years or a sibling suffering from a mental or physical disability or the guardian to furnish a declaration to the Pension Disbursing Authority once in a year that he or she has not started earning his or her livelihood.

(7)(a) The family pension admissible to a person consequent on death of another railway servant shall not be considered as income for the purpose of determination of eligibility for a family pension under this rule consequent on death of another railway servant.

(b) In case both the wife and husband are railway servants and are governed by the provisions of this rule and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased railway servant shall become payable to the surviving husband or wife and in the event of the death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents.

Note- In order to decide the eligibility for family pension under this rule, a member of the family, other than the widow or widower and parents of the deceased railway servant, shall be required to submit, along with the claim for family pension, a copy of the last Income-tax return filed by the said member of the family with the Income-tax Department

and in case the said member of the family informs that he or she has not filed the Income-tax return with the Income-tax Department, he or she shall submit a certificate of income from a Sub-Divisional Magistrate. In case the member of the family is not able to submit either a copy of the Income-tax return or a certificate of income from a Sub-Divisional magistrate, the Head of Office may rely on any other document produced by the said member of the family in support of his or her claim regarding income and decide the eligibility of the said member of the family for family pension accordingly.

13. Processing of cases of disability pension and family pension in the online pension sanctioning system.- (1)

Unless otherwise exempted by a general or special order of the Ministry of Railways, the case for grant of disability pension or family pension under these rules shall be processed through Human Resource Management System /Integrated Payroll and Accounting System.

(2) (a) In the case of a Zonal Railway or Production Unit or office or person exempted from the purview of Human Resource Management Service/Integrated Payroll and Accounting System in accordance with sub-rule (1), the details or documents in respect of the person due to retire shall be transmitted in physical mode and his pension or family pension case shall be processed manually.

(b) In a case or cases where a particular action or activity cannot be performed under Human Resource Management System and Integrated Payroll and Accounting System, such action or activity shall be performed manually.

14. Procedure for sanction of disability pension.- (1) On receipt of a statement of circumstances in which the disablement of a railway servant occurred due to an injury or disease, the findings of the Inquiring authority, if any, and the report of the Medical Board, the Head of office shall submit the same to the competent authority under rule 5 of these rules, for a decision in regard to grant of disability pension under these rules.

(2) Where the competent authority under rule 5 of these rules decides that the railway servant is not mentally or physically fit to be retained in service and, on being boarded out, is entitled to a disability pension, he may be granted disability pension and retirement gratuity in accordance with these rules:

Provided that in the case of a railway servant to whom the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are applicable, action shall be taken in accordance with clause (a), clause (b) and clause (d) of sub-rule (2) of rule 2 of these rules:

Provided further that where the competent authority decides that the railway servant may be retained in service in spite of the disablement, he shall be paid compensation in lump sum *in lieu* of the disability element of disability pension in accordance with sub-rule (5) of rule 10 of these rules.

(3) As soon as a decision is taken to grant disability pension and retirement gratuity under these rules, the railway servant shall be informed of the decision advising him to submit the details in Form E-1 along with the other Forms for processing of a Railway Services (Pension) Rules, 2026 pension case required under the Railway Services (Pension) Rules, 2026.

(4) It shall be the duty of the Head of Office to ascertain and assess Government dues including railway dues and for this propose he shall follow the procedure laid down in rules 67, 68 and 69 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026.

(5) On receipt of Forms, referred to in sub-rule (3), the Head of Office shall complete Part I of Form E-2 along with the check list and the pension calculation sheet and forward the disability pension case to the Accounts Officer, not later than two months from the date of receipt of the said Forms and shall also forward the following documents, namely-

(i) Forms submitted by the railway servant and referred to in sub-rule (3);

(ii) Form E-2 (including the check list and the pension calculation sheet) with a covering letter in Form E-3; and

(iii) duly completed and up-to-date service book of the railway servant along with any other documents relied upon for the verification of service.

(6) The particulars of the Government dues including railway dues ascertained and assessed by the Head of Office in accordance with the Railway Services (Pension) Rules, 2026 shall also be furnished to the Accounts Officer in Form E-

3 so that the Government dues or railway dues, if any, are recovered out of the retirement gratuity before its payment is authorised.

(7) The Head of Office shall retain a copy of each of the Forms referred to in sub-rule (5) and sub-rule (6) for records.

(8) On receipt of pension case and pension papers referred to in sub-rule (5) and sub-rule (6), the Accounts Officer shall apply the requisite checks, record the account encasement in Part II of Form E-2 and assess the amount of disability pension, family pension and retirement gratuity and issue the pension payment order not later than one month after receipt of the pension case from the Head of Office.

(9) (a) Notwithstanding anything contained in this rule, where a railway servant has been boarded out on account of disablement but a final decision in regard to the eligibility of the railway servant for grant of disability pension under these rules has not been taken or where a decision in regard to grant of disability pension under these rules has been taken but it is likely to take some time before an authorisation for grant of disability pension is issued to him, pension may be authorised in accordance with the Railway Services (Pension) Rules, 2026 and the Head of Office shall also sanction provisional pension and provisional gratuity, as admissible in accordance with rule 62 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026.

(b) If, a decision is taken with regard to the eligibility of the railway servant for grant of disability pension under these rules subsequently, the Head of Office shall take further action for authorisation of pension accordingly in Form E-4.

(c) The provisional pension or pension sanctioned under clause (a) shall continue to be paid to the railway servant until a decision with regard to grant of disability pension is taken by the competent authority and an authorisation or revised authority for grant of the disability pension under these rules is issued.

(d) The amount of pension and retirement gratuity sanctioned under clause (a) shall be adjusted from the final pension and final retirement gratuity.

(10) In respect of matters of procedure for grant of disability pension and retirement gratuity under these rules shall be subject to the rules relating to grant of pension and retirement gratuity under the Railway Services (Pension) Rules, 2026, to the extent such rules are applicable and are not inconsistent with these rules.

15. Procedure for sanction of family pension.- (1) On receipt of a statement of circumstances in which the death of a railway servant occurred due to an injury or disease, the findings of the Inquiring authority, if any, and the report of the Medical Board, the Head of office shall submit the same to the competent authority under rule 5 of these rules, for a decision on the question of grant of family pension to the family of the railway servant under these rules.

(2) As soon as a decision is taken to grant family pension under these rules, the member or members of the family of the railway servant, who is or are eligible for family pension and death gratuity under these rules, shall be informed of the decision advising him or her or them to submit the required details in Form E-5 along with the other Forms required for processing the case for grant of family pension and death gratuity under the Railway Services (Pension) Rules, 2026.

(3) The Head of Office shall draw the attention of the Accounts Officer to the details of Government dues or Railway dues outstanding against the deceased Government servant in accordance with the sub-rule (4) of rule 74 and rule 77 of the Railway Services (Pension) Rule, 2026.

(4) On receipt of Forms, referred to in sub-rule (2), from the family of the railway servant, the Head of Office shall complete Part I of Form E-6 along with the check list and forward the case for grant of family pension and death gratuity under these rules to the Accounts Officer, not later than two months from the date of receipt of the said Forms and forward the following documents, namely-

(i) Forms submitted by the member or members of the family and referred to in sub-rule (2) along with all the documents in support of the claim for family pension and death gratuity;

(ii) Form E-6 (including the check list); and

(iii) duly completed and up-to-date service book of the railway servant along with any other documents relied upon for the verification of service.

(5) The particulars of the Government dues or railway dues ascertained and assessed by the Head of Office in accordance with the Railway Services (Pension) Rules, 2026 shall also be furnished to the Accounts Officer in Form E-3 so that the Government dues or railway dues, if any, are recovered out of the death gratuity before its payment is authorised.

(6) The Head of Office shall retain a copy of each of the Forms referred to in sub-rule (4) and sub-rule (5) for his records.

(7) On receipt of family pension case and the documents referred to in sub-rule (4) and sub-rule (5), the Accounts Officer shall apply the requisite checks, record the account encasement in Section 1 of Part II of Form E-6, assess the amount of family pension and death gratuity and issue the pension payment order not later than two months after receipt of the family pension case from the Head of Office.

(8) (a) Notwithstanding anything contained in this rule, where on death of a railway servant, a final decision in regard to grant of family pension under these rules has not been taken or where a decision in regard to grant of family pension under these rules has been taken but it is likely to take some time before an authorisation for grant of family pension is issued to him, family pension may be authorised in accordance with the Railway Services (Pension) Rules, 2026 and the Head of Office shall also sanction provisional family pension and provisional gratuity, as admissible under and in accordance with rule 75 of the Railway Services (Pension) Rules, 2026.

(b) If, subsequently, a decision is taken in regard to grant of family pension under these rules, the Head of Office shall take further action for authorisation of family pension accordingly in Form E-7.

(c) The provisional family pension or family pension sanctioned under clause (a) shall continue to be paid until a decision with regard to grant of family pension is taken by the competent authority and an authorisation or revised authority for grant of the family pension under these rules is issued.

(d) The amount of family pension and death gratuity sanctioned under clause (a) shall be adjusted from the final family pension and final death gratuity.

(9) In respect of matters of procedure for grant of family pension and death gratuity under these rules shall be subject to any rules relating to grant of family pension and death gratuity under the Railway Services (Pension) Rules, 2026, to the extent that such rules are applicable and are not inconsistent with these rules.

(10) If eligibility of a member of family concerning family pension is not covered under these rules but is covered under Railway Services (Pension) Rules, 2026, it shall be applicable, provided they are not repugnant to or inconsistent with the provisions of these rules.

16. Timely processing and sanction of disability pension and family pension.- (1) The Head of Department shall ensure that all cases for grant of disability pension and family pension under these rules shall be processed in accordance with the timelines specified in rule 14 and rule 15 of these rules and provisional pension or provisional family pension, as the case may be, is sanctioned and paid pending authorisation of final pension or family pension.

(2) In all cases where provisional pension or provisional family pension or provisional gratuity has not been sanctioned in accordance with these rules or where the payment of disability pension or family pension or gratuity has been authorised later than the date when its payment becomes due and it is clearly established that the delay in payment was attributable to administrative reasons or lapses, interest shall be paid on arrears of pension or family pension or gratuity and responsibility shall be fixed for the delay in the payment of gratuity or pension or family pension on account of administrative lapses, in accordance with rule 65 of the Railway Services(Pension) Rules, 2026.

(3) A report giving the details of the cases in which the provisional pension or provisional family pension or disability pension or family pension or gratuity has been authorised later than the date when its payment became due, shall be submitted to the Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board, as the case may be, by 15th of January every year.

17. Power to relax. - Where the pension sanctioning authority is satisfied that the operation of any of these rules, causes undue hardship in any particular case, that authority, as the case may be, may, by order for reasons to be recorded in writing, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that no such order shall be made except with the concurrence of the Department of Pension and Pensioners' Welfare.

18. Repeal and Saving.-(1) On the commencement of these rules, every rule including the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993, regulations or order including Office Memorandum in force, immediately, before such commencement shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these rules, cease to operate.

(2) Notwithstanding such cesser of operation,-

(a) every formal application for the sanction of pension which a railway servant had made or given under the old rules, shall be deemed to have been made or given under the corresponding provisions of these rules;

(b) any case which pertains to the authorisation of disability pension to a railway servant who had retired before the commencement of these rules and is pending before such commencement shall be disposed of in accordance with the provisions of the old rules as if these rules had not been made;

(c) any case which pertains to the authorisation of death gratuity and family pension to the family of a deceased railway servant and is pending before the commencement of these rules shall be disposed of in accordance with the provisions of the old rules as if these rules had not been made;

(d) subject to the provisions of clauses (b) and (c) anything done or any action taken under the old rules shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE - 1

[See rule 3(1)(e)]

LIST AND CLASSIFICATION OF DISEASES WHICH CAN BE CONTRACTED BY SERVICE:

(A) Diseases affected by climatic conditions:

(i) Pulmonary Tuberculosis;

(ii) Pulmonary Oedema;

(iii) Pulmonary Tuberculosis with pleural effusion;

(iv) Tuberculosis - Non-pulmonary;

(v) Bronchitis;

(vi) Pleurisy, empyema, lung abscess and bronchiectasis;

(vii) Lobar pneumonia;

(viii) Nephritis (acute and chronic);

(ix) Otitis Media;

(x) Rheumatism – acute;

(xi) Rheumatism – chronic;

(xii) Arthritis;

(xiii) Myalgia;

(xiv) Lumbago;

(xv) Frost-bite leading to amputation of limb/limbs, neuro/pulmonary diseases/orthopaedic diseases/stress induced diseases/insanity/ Hypertension etc. caused or aggravated by extremely cold climatic conditions;

(xvi) Heat Stroke; and

(xvii) Pulmonary Thrombo-embolism/respiratory failure

- (B) Diseases which are endemic in nature:
- (i) Malaria;
 - (ii) Kalazar;
 - (iii) Filariasis;
 - (iv) Dysentery;
 - (v) Cholera; and
 - (vi) diseases like Swine flu, Influenza, Dengue, Plague, Anthrax, Avian Influenza, Chikungunya, Crimean-Congo Haemorrhagic Fever, Hepatitis-B, C and E, Marburg virus diseases, Middle East respiratory syndrome, Monkeypox, Zika virus, Bird Flu, Ebola virus
- (C) Pandemics:
- COVID-19 or any other disease which is declared as pandemic by the Government.
- (D) Diseases affected by stress and strain:
- (i) Psychosis and Psychoneurosis;
 - (ii) Hyperpiesia;
 - (iii) Hypertension (Blood Pressure);
 - (iv) Pulmonary Tuberculosis;
 - (v) Pulmonary Tuberculosis with pleural effusion;
 - (vi) Tuberculosis - Non-pulmonary;
 - (vii) Mitral Stenosis;
 - (viii) Pericarditis and adherent pericardium;
 - (ix) Endo-carditis;
 - (x) Sub-acute bacterial endo-carditis, including infective endocarditis;
 - (xi) Myocarditis - acute or chronic;
 - (xii) Valvular disease; and
 - (xiii) Heart attack/cardio related diseases
- (E) Diseases affected by dietary compulsions:
- (i) Infective hepatitis (Jaundice);
 - (ii) Diseases of stomach and duodenum;
 - (iii) Worm infestations particularly Guinea worm and round worm infections;
 - (iv) Gastritis;
 - (v) Food poisoning, specially due to tinned food;
 - (vi) Gastric ulcer;
 - (vii) Duodenal ulcer; and
 - (viii) Nutritional Disorders.
- (F) Diseases affected by training and marching:
- (i) Tetanus, erysipelas, septicaemia and pyaemia resulting from injuries;

- (ii) Varicose veins;
- (iii) Ankylosis and acquired deformities resulting from injuries;
- (iv) Hernia;
- (v) Post-traumatic epilepsy and other mental changes resulting from skull injury;
- (vi) Internal derangement of knee joint;
- (vii) Burns sustained through petrol fire, kerosene oil leading to scars and various deformities and disabilities; and
- (viii) Deformities of feet.

(G) Environmental Diseases:

- (i) Diseases contracted in the course of official duty of attending to a venereal or septicaemic patient or conducting a post-mortem examination;
- (ii) Diseases contracted on account of handling poisonous chemicals and radiation equipment.

Note: The diseases, though not included in this Schedule but otherwise considered to be attributable to Government service shall also be covered under Category B.

SCHEDULE II

[See rule 3(1)(g)]

PART I

List of Injuries deemed to result in Permanent Total Disablement

S.No.	Description of Injury	Percentage of loss of earning capacity
1.	Loss of both hands or amputation at higher sites	100
2.	Loss of a hand and a foot	100
3.	Double amputation through leg or thigh, or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot	100
4.	Loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye-sight is essential	100
5.	Very severe facial disfigurement	100
6.	Absolute deafness	100

PART II

List of Injuries deemed to result in Permanent Partial Disablement

A. AMPUTATION CASES – UPPER LIMBS (either arm)

S.No.	Description of Injury	Percentage of loss of earning capacity
1.	Amputation through shoulder joint	90
2.	Amputation below shoulder with stump less than 8" from tip of acromion	80
3.	Amputation from 8" from tip of acromion to less than 4½" below tip of olecranon	70
4.	Loss of a hand or of the thumb and four fingers of one hand or amputation from 4½" below tip of olecranon	60
5.	Loss of thumb	30
6.	Loss of thumb and its metacarpal bone	40
7.	Loss of four fingers of one hand	50
8.	Loss of three fingers of one hand	30

9.	Loss of two fingers of one hand	20
10.	Loss of terminal phalanx of thumb	20

B. AMPUTATION CASES – LOWER LIMBS

S.No.	Description of Injury	Percentage of loss of earning capacity
1.	Amputation of both feet resulting in end-bearing stumps	90
2.	Amputation through both feet proximal to the metatarsal - phalangeal joint	80
3.	Loss of all toes of both feet through the metatarsal - phalangeal joint	40
4.	Loss of all toes of both feet proximal to the proximal inter- phalangeal joint	30
5.	Loss of all toes of both feet distal to the proximal inter- phalangeal joint	20
6.	Amputation at hip	90
7.	Amputation below hip with stump not exceeding 5" in length measured from tip of great trochanter	80
8.	Amputation below hip with stump exceeding 5" in length measured from tip of great trochanter but not beyond middle thigh	70
9.	Amputation below middle thigh of 3½" below knee	60
10.	Amputation below knee with stump exceeding 3½" but not exceeding 5"	50
11.	Amputation below knee with stump exceeding 5"	40
12.	Amputation of one foot resulting in end-bearing	30
13.	Amputation through one foot proximal to the metatarsal - phalangeal joint	30
14.	Loss of all toes of one foot through the metatarsal - phalangeal joint	20

C. OTHER INJURIES

S.No.	Description of Injury	Percentage of loss of earning capacity
1.	Loss of one eye, without complications, the other being normal	40
2.	Loss of vision of one eye, without complications or disfigurement of eye ball, the other being normal	30

D. LOSS OF**(i) Fingers of right or left hand**

S.No.	Description of Injury	Percentage of loss of earning capacity
Index Finger		
1.	Whole	14
2.	Two phalanges	11
3.	One phalanx	9
4.	Guillotine amputation of tip without loss of bone	5
Middle Finger		
5.	Whole	12
6.	Two phalanges	9
7.	One phalanx	7
8.	Guillotine amputation of tip without loss of bone	4
Ring or Little Finger		
9.	Whole	7
10.	Two phalanges	6
11.	One phalanx	5
12.	Guillotine amputation of tip without loss of bone	2

(ii) Toes of Right or Left Foot

S.No.	Description of Injury	Percentage of loss of earning capacity
Great toe		
1.	Through metatarso-phalangeal joint	14
2.	Part, with some loss of bone	3
Any other toe		
3.	Through metatarso-phalangeal joint	3
4.	Part, with some loss of bone	1
Two toes of one foot excluding great toe		
5.	Through metatarso-phalangeal joint	5
6.	Part, with some loss of bone	2
Three toes of one foot excluding great toe		
7.	Through metatarso-phalangeal joint	6
8.	Part, with some loss of bone	3
Four toes of one foot excluding great toe		
9.	Through metatarso-phalangeal joint	9
10.	Part, with some loss of bone	3

Note. - Complete and permanent loss of the use of any limb or member referred to in this Schedule shall be deemed to be the equivalent of the loss of that limb or member.

SCHEDULE-III

[See rule 9(2)]

Illustrative list of circumstances in which death or disability of a Government servant is to be reckoned as attributable to Government service for grant of Extraordinary Family Pension or Disability Pension under Category B, Category C and Category D.

Category 'B': Death or disability due to:

- (i) diseases given in Schedule I. The diseases, though not included in Schedule I but otherwise considered to be attributable to Government service will also be covered under Category B;
- (ii) accidents while travelling on duty in an official mode of transport or public, private or mass transportation modes, e.g. train, aircraft, ship, etc;
- (iii) accidents while working on machinery and equipment, boilers, storage tanks of inflammable materials, chemicals, etc;
- (iv) fire accidents while on duty, other than cases of death or disability of Fire Fighting Staff engaged in fire-fighting operations;
- (v) accident during the period of participation in recreation activities/ mountaineering/gliding expeditions organized or permitted by service authorities;
- (vi) electrocution while on duty, etc., other than cases occurring to personnel deployed on flood/cyclone relief activities;
- (vii) accident while proceeding from duty station to leave station or returning therefrom;
- (viii) accidents while participating in local/national/international sports tournaments as member of service teams;
- (ix) accidents while journeying by a reasonable route from one's official residence to and back from the appointed place of duty irrespective of the mode of conveyance, whether private or provided by the Government.

Category 'C': Death or disability due to:

- (i) bomb blasts or indiscriminate shooting incidents in public places or public transport,
- (ii) act of violence or attack by fellow Government servant;
- (iii) riots or revolt by demonstrators or public servants, causing injuries to other Government servants who is employed in aid of the civil administration for quelling agitation;
- (iv) fire Fighting Operation by the Staff engaged in fire-fighting operations.
- (v) accidents during test flights of aircraft.

Category 'D': Death or disability:

- (i) as a result of attack targeted against the Government servant by terrorists, extremists, anti-social element, etc;
- (ii) during action against terrorists, extremists, anti-social element, etc;
- (iii) during enemy action in international war or border skirmishes and warlike situations;
- (iv) during operation to evacuate Indian nationals from a war-torn foreign country;
- (v) due to extremists acts while on way to an operational area;
- (vi) due to exploding of mines while on way to an operational area;
- (vii) due to attack on Government servants belonging to Income Tax and Customs & Central Excise Departments, Central Police Organisations, or any other law enforcement agency, etc. during action against tax evaders, anti-social elements, etc;
- (viii) due to acts of violence or assault by terrorists, smugglers, dacoits, anti-social elements, etc. against an individual Government servant,-
 - (a) with the intention of deterring or preventing him from performing his duties; or
 - (b) because of any act done or attempted to be done by him in the lawful discharge of his duties; or
 - (c) because of his official position.
- (ix) after kidnapping by extremists;
- (x) during training exercises with live ammunition.

SCHEDULE-IV**[See rule 5(3)]****Guidelines for conceding attributability of disablement or death to Railway Service**

1. In deciding on the issue of entitlement, all the evidence (both direct and circumstantial) will be taken into account and the benefit of reasonable doubt will be given to the claimant. This benefit shall be given more liberally to the claimant in field service cases.
2. The cases of death after discharge from service on invalidation are covered under sub- rule (6) of rule 4 and sub- rule (3) of rule 11.
3. Post-discharge claims. - Cases in which a disease did not actually lead to the railway servant's discharge from service but arose within seven years thereafter may be recognised as attributable to service, if it can be established medically that the disability is a delayed manifestation of a pathological process set in motion by service conditions obtaining prior to discharge and that if the disability had been manifest at the time of discharge, the individual would have been invalided out of service on this account.
4. In cases where an individual in receipt of a disability pension dies at home, and it cannot, from a strictly medical point of view, be definitely established that the death was solely due to the disablement in respect of which the disability pension was granted –
 - (1) the benefit of doubt in determining attributability should go to the family of the deceased, if death occurs within 7 years from the date of his invalidment from service, unless there are other factors adversely affecting the claim ; and
 - (2) if death takes place more than 7 years after the date of the man's invalidment from service, the benefit of doubt shall go to the State.
5. In cases where an individual outlives a normal span of life, i.e., where death takes place at the age of 60 or above, the death should be held to be due to normal causes and not to railway service.

NOTE. - Death of a disability pensioner, whose disablement has been accepted on the basis of aggravation, may also be accepted as due to railway service under rule 4(3), if the last assessment of disablement was fifty per cent or above. If the last accepted assessment of disablement was less than fifty per cent, death should not be regarded as due to service.

The above procedure will apply when death is established as due to the disability in respect of which disability pension was granted. If this is not the case, the identification of the cause of death with the invaliding disability will first be determined in accordance with the provisions of the Guidelines. If the identity can be conceded thereunder, the procedure in the preceding sub-paragraph will be followed for determining the further point whether entitlement to extraordinary family pension can be conceded in a case where on invaliding disability was aggravated by service.

6. (1) (a) Injuries sustained when a railway servant is 'on duty' will be deemed to have arisen in, or resulted from, railway service; but in cases of injuries due to serious negligence or misconduct, the question of reducing the disability pension will be considered.

(b) In cases of self-inflicted injuries while on duty, attributability shall not be conceded unless it is established that service factors were responsible for such action; in cases where attributability is conceded, the question of grant of disability pension at full or at a reduced rate shall be considered.

(2) A person subject to the disciplinary code of the Central Armed Police Battalions, is 'on duty' –

(a) When performing an official task or a task, failure to do which would constitute an offence, triable under the disciplinary code, applicable to him.

(b) When moving from one place of duty to another place of duty irrespective of the method of movement.

(c) During the period of participation in recreation, organised or permitted by service authorities, and during the period of travelling in a body or singly under organised arrangements.

(d) When proceeding from his duty station to his leave station or returning to duty from his leave station.

(e) When journeying by a reasonable route from one's official residence to and back from the appointed place of duty irrespective of the mode of conveyance, whether private or provided by the Government.

(3) (i) An accident which occurs when a railway servant is not strictly 'on duty' as defined above, may also be attributable to service, provided that it involved risk which was definitely enhanced in kind or degree by the nature, conditions, obligations or incidents of his service and that the same was not a risk common to human existence in modern conditions in India. Thus, for example, where a person is killed or injured by someone by reason of his belonging to an Armed Police Battalion (and in the course of his duty in such service, he had incurred wrath of such person) he shall be deemed to be 'on duty' at the relevant time.

(ii) The benefit under clause (i) shall be given more liberally to the claimant in cases occurring on 'active service' as defined in the relevant Acts or Rules (e.g., those applicable to personnel of Border Security Force or Central Reserve Police Force, etc.).

NOTE 1. - (a) Personnel of the Central Armed Police Battalions participating in (i) local/national/international sports tournaments as member of service teams, or (ii) mountaineering/gliding expeditions organised by the service authorities, with the approval of Government, shall be deemed to be 'on duty' for purposes of the entitlement rules of disability and family pension.

(b) The above personnel participating in the above-mentioned sports tournaments or in privately organised mountaineering expeditions or indulging in gliding as a hobby, in their individual capacity, shall not be deemed to be 'on duty' for purposes of those rules, even though prior permission of the competent service authorities may have been obtained by them.

(c) Injuries sustained by the above personnel in impromptu games and sports outside parade hours, which are organised by, or with the approval of, the local service authority, and deaths arising from such injuries shall be regarded as having occurred while 'on duty' for purposes of these rules.

NOTE 2. - The above personnel deputed for Training Courses conducted by the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, or other similar recognised institutes, shall be treated on par with personnel attending other authorised professional courses or exercises for the services for the purpose of the grant of disability/family pensions on account of disability/death sustained during the courses.

7. In respect of diseases, the following rules shall be observed, namely:-

(1) Cases, in which it is established that conditions of railway service did not determine or contribute to the onset of the disease but influenced the subsequent course of the disease, shall fall for acceptance on the basis of aggravation.

(2) A disease which has led to an individual's discharge or death shall ordinarily be deemed to have arisen in service if no note of it was made at the time of the individual's acceptance for railway service. However, if medical opinion holds, for reasons to be stated, that the disease could not have been detected on medical examination prior to acceptance for service, the disease shall not be deemed to have arisen during service.

(3) If a disease is accepted as having arisen in service, it shall be established that the conditions of railway service determined or contributed to the onset of the disease and that the conditions were due to the circumstances on duty in railway service.

(4) In considering whether a particular disease is due to railway service, it is necessary to relate the established facts, in the aetiology of the disease and of its normal development, to the effect that conditions of service, e.g., exposure, stress, climate, etc., may have had on its manifestation alongwith the time factor as per Schedule I-A.

(a) **Common diseases known to be affected by exposure to weather.**- Diseases such as Bronchitis, Rheumatism and Nephritis - indeed most diseases of the respiratory system, joints and kidneys are affected by climatic conditions. The period and the conditions of service at any particular place should be taken into account in determining causal connection with service.

(b) **Common diseases known to be affected by stress and strain.**-This should be decided with due reference to the nature of the duties which the individual has had to perform in railway service. It may be that in some cases the individual had been engaged on sedentary duties, when they shall normally not qualify.

(c) **Diseases endemic to certain areas.**- Diseases such as Malaria, Kalazar, Filariasis, Dysentery, Cholera, etc., are endemic in certain areas and these diseases may also be introduced by movements of infected persons and in determining causal connection with service, it shall have to be established that the conditions of railway service exposed the individual to the infections as a result of which he contracted the disease and where there is medical evidence of the contraction of the diseases either prior to entry into service, or while off duty or on leave or desertion or unauthorised absence, etc., attributability should not be accepted, unless the disease occurs within the incubation period.

(d) **Diseases due to infections in service.**-Entitlement to pension shall be admitted if the exposure to infection arose from the circumstances of the member's railway service.

(e) **Diseases known to be affected by dietary compulsions.**-The compulsions of service would also cover such cases as gastric disorders, e.g., gastritis, gastric and duodenal ulcers, where it is established that the member was unable to follow a dietary regime required for his condition. The effect of service in such cases shall be limited essentially to the question of aggravation of a pre-existing constitutional condition. This shall not normally apply to individuals in sedentary occupation.

(f) **Diseases which run their course independently of external circumstances.**-There are certain diseases which would have run the same course whether the individual had been in railway service or not, e.g., Leukaemia, Hodgkin's disease, etc. (See Part II of Schedule I-A). Such cases shall not be accepted as aggravated by service unless it is clear that owing to exigencies of service, the man did not receive treatment of a satisfactory character and standard or such treatment was so delayed, as to be less effective than it should have been.

(g) **Venereal Diseases.**-(i) Venereal disease shall normally be rejected but a sequela of the disease may sometimes be accepted as aggravated by service. In the case of such disease contracted during service, grounds for acceptance shall rarely be found unless the member after treatment had returned to full duty and had been subjected to such strain as would produce one of the after effects of the disease sooner than would have normally been the case. The strain must have been of an exceptional nature.

(ii) In the case of disease contracted before service if the member had reached an age when such a manifestation could be accepted, entitlement shall not be conceded. On the other hand, if the later manifestation had been produced or hastened by the strain of service in which case there should be evidence that the strain was of an exceptional nature, entitlement may be considered on the basis of aggravation.

(iii) In the case of disease due to heredity, entitlement must be determined as in Para. (ii) above.

(iv) The above refers only to late manifestations or sequela of venereal disease as Neuro Syphilis or Cardiovascular syphilis.

(h) **Invalidation on account of indulgence in drugs or drinks.** -Entitlement shall not be conceded if the disability or death on which the claim is based, resulted from indulgence in drugs or drinks which was within one's own control.

6. Unforeseen effects of service medical treatment. – (1) If unforeseen complications arise as a result of treatment (including operative treatment) given for the purpose of rendering a member fit for service duties, any disablement resulting shall normally be accepted as attributable to service.

(2) Where the treatment is given for other reasons, the position regarding any unforeseen complications differs according as the condition which necessitated treatment was or was not, either attributable to or aggravated by service. If it was so attributable or aggravated, any disablement resulting from the treatment, it shall normally be accepted as attributable to service. If it was not, no responsibility shall be accepted for the additional disablement unless neglect, delay, faulty technique or lack of reasonable skill can be held responsible for the untoward outcome, or the exigencies of service before, during or after the treatment can be held to have caused or aggravated the condition.

(3) The above considerations apply if the treatment is given in a service hospital or under service arrangements in any other hospital but shall not apply if the treatment, is undertaken under private arrangement by an individual.

7. Assessment.- (1) The assessment of a disability is the estimate of the degree of disablement it causes, which can properly be ascribed to service as defined below.

(2) The disablement properly referable to service shall be assessed as under –

(a) At the time of discharge from the railway service normally the whole of the disablement then caused by the disability and this rules shall apply irrespective of whether the disability is actually attributable to service, or is merely aggravated thereby. In the latter event, part of the disablement on discharge may have been present before service or may have been brought about by the natural progress of the disability during service. But as it is impossible, for so long as the strain and stress of service continues, to apportion quantitatively the effects of service and non-service factors, the entire disablement at the time of discharge shall be taken into account.

For example:- (i) Where a person who had a partially disabled hand, sustains an injury to the same hand which renders it less useful than before, or a person with an impaired foot injures the other as a result of service, thus increasing his defect in locomotion ; or

(ii) Where a person gives history of cough and cold prior to enrolment and is invalided out of service for Chronic Bronchitis held to be aggravated by service, pension shall be admissible for the total disablement.

Note: The Special consideration should be given to cases to which the disablement has been or may have been worsened by the improper or excessive use of alcohol, tobacco or drugs or by venereal disease. In such cases, the effects of these shall be excluded in assessing disablement ascribable to service.

(b) On re-survey of disability after discharge from the service the whole of the disablement then caused by the disability, less the following: -

(i) The part due to non-service factors, such as individual habits, occupation in civil life, accident after discharge, climatic environment after discharge ;

(ii) Any worsening due to the natural progress of the disability since discharge apart from the effects of service.

Note: Deduction (i) will be made in all cases; while deduction (ii) above will apply only in cases where the disability is accepted as aggravated by, but not attributable to, service.

(3) In cases accepted as aggravated by service, although a percentage of disablement, equal to more than 20 per cent, may be assessed on medical resurvey, after discharge from service, in accordance with para. (2) (b) (ii) above, disability pension will cease to be payable as soon as the effects of the aggravation by service have passed away, e.g., where a person with disease, e.g., Fibrositis, Bronchitis, Eczema, etc., held to be aggravated by service, is invalided out and on resurvey was found by the Medical Board to have been restored (a) to his pre-service condition or (b) the condition in which he may have been normally at that time even if he had not joined railway service, aggravation by service shall be deemed to have passed away.

(4) Paired organs, -

(a) Paired organs, namely, eyes, ears, arms and legs shall be considered together, where disablement due to service occurs in one of a pair of organs, assessment on discharge will be made with reference to the diminution of the functional capacity of the organs working together. Therefore, assessment will include functional defect of the pair of organs.

(b) Subject to the exceptions specified below, any subsequent increase in the non-service disablement and non-service disablement arising after discharge whether due to injury or disease will be excluded from the assessment.

(c)(i) In cases where at the time of discharge, there is damage by service to one organ (namely, one eye, ear, arm including hand) and leg (including feet) and the other is, either normal or impaired in a minor degree and where the disablement acceptable under clause (b) and the disablement of the other limb or organ are together assessable at any subsequent date at 100 percent, the assessment for pension purposes shall be increased by one half of the difference between the current assessment and 100 per cent. For instance, a pensioner receiving an award at the 40 percent rate for the loss of an eye who later loses the sight of his other eye through a non-service cause, will have his award increased to 70 percent rate; and a pensioner with an award at 80 percent for a gunshot wound of an arm, who later develops severe arthritis of his other arm, thereby being 100 % disabled, shall qualify for a revised award at 90 percent rate.

(ii) Where the combined disablement of the pair of organs is less than 100 percent, but is more than twice as serious as the disablement acceptable under clause (b), the assessment shall be increased to one half of the combined disablement. If, for example, a pensioner with an award at 30 % rate for the loss of vision of one eye partially loses the sight of the other eye through a non-service cause, and the defective vision of both eyes together is assessable at 80 %, his award will be increased to the 40 % rate.

(d) The provisions of the preceding sub-clauses shall be applicable even where the second of a pair of organs has been disabled by some generalised disability (e.g., rheumatoid arthritis) which would have also disabled the first of the pair if it had not been lost or damaged as the result of service.

(5) Composite assessments. -Where there are two or more disabilities due to service, compensation will be based on the composite assessment of the degree of disablement. Generally speaking, when separate disabilities have entirely different functional effects, the composite assessment will be the arithmetical sum of their separate assessments and where the functional effects of the disabilities overlap, the composite assessment shall be reduced in proportion to the degree of overlapping.

(6) Nil disablement.-Where, although a definite disability is or has been in evidence, the Medical Board consider that any disablement resulting therefore has ceased or has become so small as not to admit of assessable compensation, the assessment will be expressed as "nil disablement".

(7) Where the disability due to service has no connection with pre-existing disability, as for example, a person who had lost a finger prior to enlistment, loses a great toe by service, compensation will be restricted to the loss of the great toe only.

FORM E-1*[See rule 14(3)]***Particulars to be obtained by the Head of Office from the railway servant retiring/retired on disability pension**

Photograph(s)

1. Details of Railway servant

Name		Designation/ Rank/ Post	
IRLA/Personal/Force/ Regiment No. /Employee Code		Date of Retirement	
Date of Birth		Date of injury/disease	
Ministry/Department/ Office		PAN No.	
Aadhaar No. * (voluntary)		Nationality	

2. Address after retirement for future correspondence:

Flat/House No. / Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City & District	
State		Pin Code	
E-mail ID		Mobile No.	

3. Details of Bank through which Pension is to be drawn:

Type of A/c	☐ Single ☐ Joint with Spouse	Street/Locality	
Bank's Name		Branch	
IFS Code			
Note 1: Please attach a copy of the first page of passbook/cancelled cheque/document showing the name of Account Holder. (The name should be the same in the bank account, this form and the office records.) Note 2: Please ensure that the railway servant is the Primary Account holder in a Joint Account. In case the Head of Office is satisfied that it is not possible for the retiring railway servant to open a joint account for reasons beyond his/her control, this requirement may be relaxed.			

4. Details of member of the family of railway servant who has been authorised to submit this Form on behalf of the retiring/retired railway servant in accordance with Rule 57(3) of Railway Services (Pension) Rules, 2026:

Name		Relationship with the railway servant	
Aadhaar No.*(voluntary)		Nationality	
Flat/House No./Building Name		Street/Locality	
Village and Post Office/Block		City and District	
State		Pin Code	
E-mail ID		Mobile No.	
Reasons why railway servant himself is not able to submit this form			

5. Indicate whether family pension is also admissible from any other source- (Tick whichever is applicable)

- Military ☐
- Central ☐
- State Govt. ☐
- Public sector undertaking/ autonomous body/ local fund under the Central or State Govt. ☐

6. Whether any member of the family (other than spouse) is proposed to be co-authorised for family pension in accordance with Rule 63(1)(d) of Railway Services (Pension) Rules, 2026? Yes/No

(If yes, please attach Form 8 of Railway Services (Pension) Rules, 2026)

Declaration:

I am aware that future good conduct of the pensioner/family pensioner shall be an implied condition for every grant of pension/family pension and its continuance.

Enclosures: As per list attached

Place:

Date:

(Signature of railway servant/Family member authorised to submit this Form)

Name:

** Providing Aadhaar No. is voluntary. However, if it is provided, consent to link it to bank account and also for authentication of identity from UIDAI for pension related purpose only, is presumed.*

List of Documents to be attached

1. Two specimen signatures (to be furnished in a separate sheet). If the claimant cannot sign his/her name then he/she is required to put the impression of his/her left/right thumb on the document in lieu of specimen signature.
2. Form 8 of Railway Services (Pension) Rules, 2026, if a family member is proposed to be co-authorised for family pension. In accordance with Rule 63(1)(d) of Railway Services (Pension) Rules, 2026, the following members of family are eligible for co-authorisation for family pension along with spouse, if there is no other member of family eligible for family pension before them:
 - Disabled child/children (Disability certificate to be attached for co-authorisation.)
 - Dependent parents.
 - Disabled siblings. (Disability Certificate to be attached for co-authorisation.)
3. Three copies of Joint photograph with spouse or separate photographs of self and spouse, along with three copies of photograph of the member or members of the family whose names are to be included in the Pension Payment Order as a co-authorised family pensioner. (Photographs to be attested by Head of Office).
4. Details of Family in Form 4 of Railway Services (Pension) Rules, 2026. [In the case of railway servants covered by National Pension System, Form 1 and Form 2 of Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2025 are to be attached].
5. Undertaking in Format 9 of Railway Services (Pension) Rules, 2026 for refunding any excess payment made by the pension disbursing Bank.
6. Nomination for Gratuity, Central Government Employees' Group Insurance Scheme and State Railway Provident Fund in Common Nomination Form –Form 3 of Railway Services (Pension) Rules, 2026.
7. Nomination for arrears of pension Form A of Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983.
8. Form for submitting details under Anubhav (optional).
9. Form of option for availing medical facilities of Central Government Health Scheme or **Retired** Employees Liberalised Health Scheme (RELHS) or Fixed Medical Allowance after retirement.
10. Photocopy of the first page of Pass Book of the Bank Account in which the pension is to be credited /cancelled cheque/any other document showing the name of Account Holder.
11. Copy of PAN Card.

FORM E-2

[See rule 14(5) and 14(8)]

Form for Assessing Pension/Family Pension and Gratuity**PART-I (To be filled by Head of Office)**

1. Details of the retiring railway servant:-						
Name				Nationality		
Mother's Name			Father's Name			
*Aadhaar No. (If available)		PAN		Date of birth	DD/MM/YYYY	
2. Designation/Rank/Post held at the time of retirement: -						
(a) Name of the office			(b) Designation/ Rank/ Post			
(c) Level of pay in the pay matrix			(d) Basic pay			
(e) Whether the appointment mentioned above was under Government or outside the Government on foreign service terms						
(f) Level of pay /basic pay in the pay matrix of the post in the parent department						
(g) Whether declared substantive in any post under the Railways						
3. Date of beginning of service		DD/MM/YYYY		4. Date of ending of service		DD/MM/YYYY
5. Date on which the railway servant would have retired in the normal course					DD/MM/YYYY	
6. Military service, if any :-						
(a) Period of military service			(b) Terminal benefits drawn/being drawn for military service			
(c) Whether opted for counting of military service towards civil pension						
(d) If answer to (c) above is in the affirmative, whether the terminal benefits have been refunded						
7. Service in Autonomous body/State Government, if any :-						
(a) Details of service:	Name of Organisation		Post held			
Period of service	From	DD/MM/YYYY	To	DD/MM/YYYY		
(b) Whether the above service is to be counted for pension in the Government						
(c) Whether the Autonomous Organisation has discharged its pensionary liability to the Railways						
8. Whether any departmental or judicial proceedings are pending against the retiring Government servant. If yes, particulars of Memorandum of charges/suspension order/criminal case may be indicated. (In accordance with Rule 8 of Railway Services (Pension) Rules, 2026, provisional pension (as per the rates under Railway Services (Pension) Rules, 2026) will be admissible and gratuity will be withheld till the conclusion of departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon.)						
9. Details of disablement:-						
(a) Category						
(b) Percentage of disability without broad-banding						
(c) Percentage of disability with broad-banding						
10. Details of Service						
(a) Period of service	From		To		Total duration of service	

(b) Details of omission, imperfection or deficiencies in the Service Book which have been ignored					
(c) Period not counted as qualifying service :-					
(i) Boy service					
(ii) Extraordinary leave not counted as qualifying service					
(iii) Periods of suspension not treated as qualifying service					
(iv) Interruptions in service					
(v) Periods of foreign service with United Nation Bodies for which no pension contributions are payable/paid					
(vi) Any other period not treated as qualifying service (give details)					
(d) Additions to qualifying service :-					
(i) Civil service				(ii) Military service	
(iii) Benefit of service in a State Government or Autonomous Body				(iv) Temporary Status service	
(e) Net qualifying service (a – b – c + d)					
(f) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods (Period of three months & above is to be treated as completed six monthly period)					
(g) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods, counting qualifying service up to the date on which the railway servant would have retired in the normal course (for determining the amount of gratuity in the case of category C and D only)					
11. Emoluments :-					
(a) Emoluments in terms of Rule 10(2)(iv)					
(b) Emoluments during ten months preceding retirement			From	DD/MM/YYYY	To DD/MM/YYYY
From	To	Basic Pay	Any other pay permissible as emoluments for pension	NPA	Basic pay for the purpose of Average Emoluments (including NPA)
DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY				
Note : If the officer was on foreign service immediately before retirement, the emoluments which he would have drawn under Government but for being on foreign service may be mentioned in items (a) and (b) above.					
(c) Average emoluments					
(d) Emoluments or average emoluments (whichever is higher) or pay to be reckoned for pension or family pension [(a) or (c), whichever is higher]					
(e) Dearness allowance admissible on the date of retirement					
(f) Emoluments reckoned for retirement gratuity [(d) + (e)]					
12. Proposed pension details:-					
(a) Service element					
(b) Disability element					
(c) Proposed pension [(a) + (b)]					
(d) Dearness relief on pension (as on the date of retirement)					
(e) Date from which pension is to commence					DD/MM/YYYY
(f) Date from which provisional pension being paid, if any.	DD/MM/YYYY		(g) Amount of provisional pension being paid (per month)		

13. Proposed gratuity details:-			
(a) Amount of retirement gratuity			
(b) Amount of provisional gratuity paid, if any			
14. Details of Government dues or railway dues recoverable out of gratuity:-			
(a) License fee for Government or railway accommodation			
(b) Dues referred to in Rule 69 of Railway Services (Pension) Rules, 2026			
(c) Amount indicated by Directorate of Estates to be withheld under sub-Rule (5) of Rule 68 of Railway Services (Pension) Rules, 2026			
15 A. Amount and period of family pension under Railway Services (Pension) Rules, 2026:-			Amount (₹)
(i) Enhanced rate [Rule 50(2)(a)(iii) of Railway Services (Pension) Rules, 2026]			
(ii) Ordinary rate [Rule 50(2)(a)(i) of Railway Services (Pension) Rules, 2026]			
Note: The family pension at enhanced rate shall be payable for a period of seven years, or for a period up to the date on which the retired deceased Government servant would have attained the age of 67 years had he survived, whichever is less.			
15 B. Amount of family pension under Railway Services (EOP) Rules, 2026, if death occurs within seven years after having been boarded out on account of the same injury or disease which resulted in disablement [Proviso to Rule 11(2)] :			Amount (₹)
(i) Family pension to widow/ widower and children			
(ii) Family pension to parents, dependant minor sibling and dependant disabled sibling			
16. Name of the family member(s) to whom family pension is to be authorized in Pension Payment Order:-			
a. Name of the Spouse			
b. Percentage of family pension to be paid to spouse, if the family pension is to be shared with other members of the family (e.g. children from a wife who is not alive or children from a divorced wife)			
c. Names and relationship of other family members, referred to in (b) above.		1.	
		2.	
		3.	
d. Name of family member to be co-authorised (i.e. disabled child/ parent/disabled sibling)			
17. Whether Constant Attendant Allowance is admissible :-	☐ YES ☐ NO	Amount (₹)	
18. Whether Fixed Medical Allowance is admissible:-	☐ YES ☐ NO	Amount (₹)	

FORM E-2- CHECK LIST FOR HEAD OF OFFICE FOR TIMELY PROCESSING OF RETIREMENT DUES

1. Whether nominations made for:-			
(i) Death gratuity/retirement gratuity		(ii) Payment under Central Government Employees' Group Insurance Scheme	
(iii) Amount of State Railway Provident Fund, if applicable		(iv) Arrears of pension	
2. Whether name in Bank Account is tallying with service records:-		☐ YES	☐ NO

PART-II

(Account Authorisation (by Accounts Officer))

Date of receipt of pension papers by the Accounts Officer from Head of Office		DD/MM/YYYY	
Entitlements admitted:-			
A. Length of qualifying service for pension			
B. Pension -	(i) Class of pension	Disability Pension	
(ii) Service element			
(iii) Disability element			
(iv) Proposed pension [(ii) + (iii)]			
(v) Date from which provisional pension being paid by Head of Office, if any.	DD/MM/YYYY	(vi) Amount of Provisional Pension being paid	
(vii) Date up to which provisional pension to be continued	DD/MM/YYYY	(viii) Date from which regular pension is to commence	DD/MM/YYYY
Note 1: The date from which the final pension shall be commenced by the Pension Disbursing Authority shall be at least two months after the date of issue of the PPO, taking into consideration the time likely to be taken by CPAO and CPPC to process the pension case. Pay and Accounts Office shall record a note in this regard in the PPO while authorizing the final pension. Note 2: The payment of provisional pension shall, accordingly, continue from the office till the date mentioned in the PPO for commencement of final pension by the PDA. Note 3: The HOO will draw and disburse the difference between the amount of pension finally assessed and the amount of provisional pension. If the amount of pension finally assessed is less than the amount of provisional pension, the difference will be adjusted from the amount of gratuity payable failing which, in installments from pension payable in future.			
C. Retirement Gratuity:-			
(i) Length of qualifying service to be reckoned for gratuity (In case of Category C and D, qualifying service would be counted up to the date on which the railway servant would have retired in the normal course)			
(ii) Total amount of gratuity			
(iii) Provisional gratuity paid by Head of Office			
(iv) Amount to be adjusted towards arrears of license fee for Government or railway accommodation and license fee for retention of Govt. accommodation beyond retirement			
(v) Amount intimated by Directorate of Estates or the concerned office for being withheld on account of unassessed license fee			
(v) Amount to be adjusted towards Government or railway dues other than those pertaining to Government or railway accommodation			
(vi) Net amount to be released immediately			
D. Amount and Period of family pension under Railway Services (Pension) Rules, 2026 :-	Amount (₹)	Period	
(i) At enhanced rate		For a period of seven years from the date following the date of death or up to, whichever is earlier.	
(ii) At normal rate			
E. Amount of family pension under Railway Services (EOP) Rules, 2026, if death occurs within seven years after having been boarded out on account of the same injury or disease which resulted in disablement [Proviso to Rule 11(2)] :-			
(i) Family pension to widow/ widower and children			
(ii) Family pension to parents, dependant minor sibling and dependant disabled sibling			
F. Name of the family member(s) to whom family pension is to be authorized in Pension Payment Order			
(a) Name of the Spouse			
(b) Percentage of family pension to be paid to spouse, if the family pension is to be shared with other members of the family (e.g. children from a wife who is not alive or children from a divorced wife)			

(c) Names and relationship of other family members, referred to in (b) above.	1.
	2.
	3.
(d) Name of family member to be co-authorised (i.e. disabled child/dependant parent/disabled sibling)	
G. Head of account to which the amount of pension, retirement/death gratuity and family pension are to be debited	

Signature of Accounts Officer

PENSION CALCULATION SHEET

1. Name		2. Designation	
3. Date of Birth	DD/MM/YYYY	4. Level of pay in the pay matrix	5. Basic pay
6. Date of entry in the railway service	DD/MM/YYYY	7. Date of retirement	DD/MM/YYYY
8. (a) Length of qualifying service reckoned for pension (as indicated in PPO)			
(b) Length of qualifying service reckoned for gratuity (as indicated in PPO)			
9. Emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial for pension (as indicated in PPO)			
10. Pension admissible (calculations to be shown as follows) :-			
(a) Service element : Emoluments or average emoluments/2			
(b) Disability element For category B : Emoluments or average emoluments x 30/100 x Percentage of disability(broad-banded)/100 For category C: Emoluments or average emoluments x 30/100 x Percentage of disability (broad-banded)/100 For category D: Emoluments or average emoluments x Percentage of disability(broad-banded)/100			
(c) Amount of disability pension [(a) + (b)]			
11. Emoluments for gratuity (as indicated in PPO)			
12. Retirement gratuity admissible : calculation to be shown as follows :- Emoluments/4 x Qualifying Service (In completed six monthly periods, not exceeding 66.)			
13. Pay for family pension (as indicated in Pension Payment Order)			
14A. Family pension admissible under Railway Services (Pension) Rules, 2026(calculation to be shown as follows) :-			
(i) Ordinary family pension : Pay x 30/100, subject to prescribed minimum and maximum			
(ii) Enhanced family pension: Pay /2 [Subject to prescribed minimum and maximum]			
14 B. Family pension under Railway Services (EOP) Rules, 2026, if death occurs within seven years after having been boarded out, on account of the same injury or disease which resulted in disablement [Proviso to Rule 11(2)]			
(i) Family pension to widow/ widower and children Category B : Pay x 60/100 Category C and D : 100% of Pay			

(ii) Family pension to parents, dependant minor sibling and dependant disabled sibling Category B : Pay x 60/100 x 75/100 Category C and D : Pay x 75/100	
15. Amount of Constant Attendant Allowance, if admissible	
16. Amount of Fixed Medical Allowance, if admissible	

Signature of the Head of Office

Countersigned by PAO

Copy to:- Shri/Smt./Kumari
(Retired/retiring railway servant)

FORM E-3

[See rule 14(5) (ii), 14(6) and (15) (5)]

[Letter to the Accounts Officer forwarding the papers for disability pension/ family pension and gratuity of a Railway servant]

No.....
Government of India
Ministry of
Department of

Date: DD/MM/YYYY

To,

The Pay and Accounts Officer,

Subject: Authorisation of pension/family pension and gratuity in respect of Shri/Smt./Km.
..... under Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 2026.

Sir/Madam,

1. I am directed to forward herewith the pension/ family pension and gratuity papers of Shri/Smt./Km. of this Ministry/Department/Office for further necessary action.
2. The details of Government or railway dues which will remain outstanding on the date of retirement /death of the railway servant and which need to be recovered/withheld are indicated in item No. 14 of Form E-2/ item no 8 of Form- E-6.
3. The receipt of this letter may be acknowledged and this Ministry/Department/Office informed that necessary instructions for the disbursement of pension/family pension have been issued to disbursing authority concerned, under intimation to the retiring /retired railway servant/family pensioner.
4. The retirement/ death gratuity will be drawn and disbursed by this Ministry/Department/Office on receipt of authority from you.

Yours faithfully,

(Head of office)

Enclosures:

1. Service Book (date of retirement/ death to be indicated in the service book).
2. Details of family in Form 4 of Railway Services (Pension) Rules, 2026. [In the case of railway servants covered by National Pension System, Form 1 and Form 2 of Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules 2025 are to be enclosed]
3. Form E-1 or E-5 and Form E-2 or E-4 or E-6 or E-7, duly completed, along with enclosures and checklists.
4. Undertaking to the Bank in Format 9 of Railway Services (Pension) Rules, 2026.
5. Medical certificate.
6. Orders of the competent authority regarding grant of disability pension/family pension under Railway Services (EOP) Rules.

Note: When initials or name of the railway servant are or is incorrectly given in the various records consulted, this fact should be mentioned in the letter.

FORM E-4

[See rule 14(9)(b)]

[Form for Assessing Disability Pension/Family Pension and Gratuity where Pension has earlier been authorised under Railway Services (Pension) Rules, 2026]

PART-I (To be filled by Head of Office)

1. Details of the retired railway servant:-					
Name				Nationality	
Mother's Name			Father's Name		
*Aadhaar No. (If available)		PAN		Date of birth	DD/MM/YYYY
2. Post held at the time of retirement: -					
(a) Name of the office		(b) Post held			
(c) Level of pay in the pay matrix		(d) Basic pay			
(e) Level of pay /basic pay in the pay matrix of the post in the parent department if the railway servant is on deputation					
3. Date of beginning of service		DD/MM/YYYY		4. Date of ending of service	
				DD/MM/YYYY	
5. Date on which the railway servant would have retired in the normal course				DD/MM/YYYY	
6. Details of disablement:-					
(a) Category					
(b) Percentage of disability without broad-banding					
(c) Percentage of disability with broad-banding					
7. Qualifying Service					
(a) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods in case of Category B (Period of three months & above is to be treated as completed six monthly period)					
(b) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods, counting qualifying service up to the date on which the railway servant would have retired in the normal course (for determining the amount of gratuity in the case of category C and D only)					
8. Emoluments :-					
(a) Emoluments or average emoluments (whichever is higher) reckoned for					

pension /family pension		
(b) Emoluments reckoned for retirement gratuity		
9. Details of pension, gratuity and family pension authorised under RS (Pension) Rules, 2026		
(a) PPO No.		
(b) Amount of pension authorised		
(c) Date of commencement of pension		
(d) Amount of retirement gratuity authorised		
(e) Amount of family pension authorised		
(i) At ordinary rate		
(ii) At enhanced rate		
10. Proposed pension details:-		
(a) Service element		
(b) Disability element		
(c) Proposed pension [(a) + (b)]		
(d) Date from which pension is to commence		DD/MM/YYYY
11. Amount of proposed retirement gratuity		
12 A. Amount and period of family pension under Railway Services (Pension) Rules, 2026:-		Amount (₹)
(i) Enhanced rate [Rule 50(2)(a)(iii) of RS (Pension) Rules, 2026]		
(ii) Ordinary rate [Rule 50(2)(a)(i) of RS (Pension) Rules, 2026]		
Note: The family pension at enhanced rate shall be payable for a period of seven years, or for a period up to the date on which the retired deceased Government servant would have attained the age of 67 years had he survived, whichever is less.		
12 B. Amount of family pension under RS (EOP) Rules, 2026, if death occurs within seven years after having been boarded out on account of the same injury or disease which resulted in disablement [Proviso to Rule 11(2)] :		Amount (₹)
(i) Family pension to widow/ widower and children		
(ii) Family pension to parents, dependant minor sibling and dependant disabled sibling		
13. Name of the family member(s) to whom family pension is to be authorized in Pension Payment Order:-		
Name of the Spouse		
Percentage of family pension to be paid to spouse, if the family pension is to be shared with other members of the family (e.g. children from a wife who is not alive or children from a divorced wife)		
Names and relationship of other family members, referred to in (b) above.	1.	
	2.	
	3.	
Name of family member to be co-authorised (i.e. disabled child/ parent/disabled sibling)		
14. Whether Constant Attendant Allowance is admissible :-	☐ YES ☐ NO	Amount (₹)
15. Whether Fixed Medical Allowance is admissible:-	☐ YES ☐ NO	Amount (₹)

PART-II

[Account Authorisation (by Accounts Officer)]

A. Date of receipt of pension papers by the Accounts Officer from Head of Office		DD/MM/YYYY	
B. Details of pension, gratuity and family pension authorised under RS (Pension) Rules, 2026			
(a) PPO No.			
(b) Amount of pension authorised			
(c) Date from which pension was authorised			
(d) Amount of retirement gratuity authorised			
(e) Amount of family pension authorised			
(i) At ordinary rate			
(ii) At enhanced rate			
C. Entitlements admitted:-			
Pension -			
(i) Class of pension		Disability Pension	
(ii) length of qualifying service for pension			
(iii) Service element			
(iv) Disability element			
(v) Proposed disability pension [(iii) + (iv)]			
(vi) Date from which provisional pension is payable			
(vii) Date up to which provisional pension to be continued	DD/MM/YYYY	(viii) Date from which regular pension is to commence	DD/MM/YYYY
Retirement Gratuity-			
(i) Length of qualifying service to be reckoned for gratuity (In case of Category C and D, qualifying service would be counted up to the date on which the railway servant would have retired in the normal course)			
(ii) Total amount of gratuity			
Amount and Period of family pension	Amount (₹)	Period	
(i) At enhanced rate			
(ii) At normal rate			
Amount of family pension under Railway Services (EOP) Rules, 2026, if death occurs within seven years after having been boarded out on account of the same injury or disease which resulted in disablement [Proviso to Rule 11(2)] :-		Amount(₹)	
(i) Family pension to widow/ widower and children			
(ii) Family pension to parents, dependant minor sibling and dependant disabled sibling			
D. Name of the family member(s) to whom family pension is to be authorized in Pension Payment Order			
(a) Name of the Spouse			
(b) Percentage of family pension to be paid to spouse, if the family pension is to be shared with other members of the family (e.g. children from a wife who is not alive or children from a divorced wife)			
(c) Names and relationship of other family members, referred to in (b) above.		1.	
		2.	
		3.	
(d) Name of family member to be co-authorised (i.e. disabled child/dependant parent/disabled sibling)			
E. Head of account to which the amount of pension, retirement/death gratuity and family pension are to be debited			

Signature of Accounts Officer

PENSION CALCULATION SHEET

1. Name		2. Designation	
3. Date of Birth	DD/MM/YYYY	4. Level of pay in the pay matrix	5. Basic pay
6. Date of beginning of the railway service	DD/MM/YYYY	7. Date of retirement	DD/MM/YYYY
8. Date on which the railway servant would have retired in the normal course			DD/MM/YYYY
9. (a) Length of qualifying service reckoned for pension (as indicated in revised PPO)			
(b) Length of qualifying service reckoned for gratuity (as indicated in revised PPO)			
10. Emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial for pension (as indicated in revised PPO)			
11. Pension admissible (calculations to be shown as follows) :-			
(a) Service element : Emoluments or average emoluments/2			
(b) Disability element For category B and C : Emoluments or average emoluments x 30/100 x Percentage of disability(broad-banded)/100 For category D: Emoluments or average emoluments x Percentage of disability(broad-banded)/100			
(c) Amount of disability pension [(a) + (b)]			
12. Emoluments for retirement gratuity (as indicated in the revised PPO)			
13. Retirement gratuity admissible : calculation to be shown as follows :- Emoluments/4 x Qualifying Service (In completed six monthly periods, not exceeding 66.)			
14. Pay for family pension (as indicated in Pension Payment Order)			
15. Family pension admissible (calculation to be shown as follows) :-			
(i) Ordinary family pension : Pay x 30/100 [subject to prescribed minimum and maximum]			
(ii) Enhanced family pension: Pay /2 [Subject to prescribed minimum and maximum]			
16. Amount of Constant Attendant Allowance, if admissible			
17. Amount of Fixed Medical Allowance, if admissible			

Signature of the head of Office

Countersigned by PAO

Copy to:- Shri/Smt./Kumari
(Retired/retiring railway servant)

FORM E-5
[See rule 15(2)]

[Application to the Head of Office for Family Pension on death of a railway servant]

Photograph(s)

1. Details of deceased railway servant

Name		Office/Dept./Ministry	
Date of Death	DD/MM/YYYY	Nationality	

2. Details of claimant:

Name		Date of Birth	DD/MM/YYYY
PAN		Aadhaar No. *(Voluntary)	
Relationship with deceased railway servant			
If the claimant is a widowed daughter, date of death of husband of the claimant	DD/MM/YYYY	If the claimant is a divorced daughter	If the claimant is a disabled child/sibling, date from which suffering from the disability
		Date of filing of divorce petition	
		Date of divorce	
		DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY

3. Postal address:

Flat/House No. / Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City & District	
State		Pin Code	
Telephone/Mobile No.		E-mail ID, if any	

4. In case the claimant is minor or suffering from disorder or disability of mind, including mental retardation, details of guardian/ nominee, wherever applicable:

Name		Date of Birth	
Aadhaar No. *(Voluntary)		PAN	
Relationship with minor/ mentally disabled claimant		Relationship with the deceased railway servant	

5. Postal address:

Flat/House No. / Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City & District	
State		Pin Code	
Telephone/Mobile No.		E-mail ID, if any	

6. Details of Bank:

A/c No.		Bank's Name and Branch	
IFS Code			

5. Indicate whether family pension is also admissible from any other source- (Tick whichever is applicable)

- Military ☐
- State Govt. ☐
- Public sector undertaking/ autonomous body/ local fund under the Central or State Govt. ☐

I declare that the information given by me is true to the best of my knowledge and nothing has been concealed therefrom.

I am aware that future good conduct of the claimant/family pensioner shall be an implied condition for every grant of family pension and its continuance.

Place:

Date:

(Signature of the claimant/guardian)

** Providing Aadhaar No. is voluntary. However, if it is provided, consent to link it to bank account and also for authentication of identity from UIDAI for pension related purpose only, is presumed.*

Note: If a member or members of family is/are proposed to be co-authorised for family pension, an application in Form 8 of the RS (Pension) Rules, 2026 may be attached. In accordance with Rule 63(1)(d) of the RS (Pension) Rules, 2026, the following members of family are eligible for co-authorisation for family pension along with spouse, if there is no other member of family eligible for family pension before them:

- (i) Disabled child/ children
- (ii) Dependent parents.
- (iii) Disabled siblings.

List of Documents to be submitted:

1. Two specimen signatures (to be furnished in a separate sheet) .If the claimant cannot sign his/her name then he/she is required to put the impression of his/her left/right thumb etc. on the document in lieu of specimen signature.
2. Proof of identity.
3. Proof of relationship with the deceased railway servant/pensioner.
4. Two copies of self attested passport size photographs of the claimant.
5. Details of family in Form 4 of RS (Pension) Rules, 2026. [In the case of railway servants covered by National Pension System, Form 2 of RS (Implementation of National Pension System) Rules, 2025 is to be enclosed].
6. Undertaking for refunding any excess payment made by the pension disbursing bank in Format 9 of RS (Pension) Rules, 2026.
7. Certificate(s) of age showing the dates of birth of the children. The certificates should be from the municipal authorities or from the local panchayat or from the head of a recognized school or Central/state board of education.
8. Two specimen signatures of guardian (to be furnished in a separate sheet if the claimant is minor or suffering from mental disability).
9. If the guardian cannot sign his/her name then he/she is required to put the impression of his/her left/right thumb etc. on the document in lieu of specimen signature.

10. A copy of Photo ID proof of the guardian along with proof of Permanent Address.
11. Two self attested copies of passport size photograph of the guardian/nominee.
12. Copy of death certificate of railway servant.
13. Last Income Tax Return failing which Certificate from SDM failing which any other document regarding income in support of the claim for family pension (Not applicable in the case of spouse and parents).
14. Copy of the first page of the Pass Book/cancelled cheque/ any other document showing name and account number in which the family pension is to be credited. (Name of the claimant in the form and in the bank account should be the same).
15. If the claimant is a widowed/divorced daughter or a disabled child/sibling, document in support of the eligibility of the claimant (i.e death certificate of husband in the case of widowed daughter/divorce decree in the case of divorced daughter/disability certificate in the case of a disabled child).
16. Form 8 of RS (Pension) Rules, 2026, if a family member is proposed to be co-authorised for family pension.

FORM E-6

[See rule 15(4) and (7)]

[Assessment and Authorisation of Payment of Family Pension and Death Gratuity on death of a railway servant]

Photograph of
claimant(s).

Part I
Section I

1. Details of the deceased railway servant:-			
(a) Name			
(b) Nationality		(c) Religion	
(d) Mother's Name		(e) Father's Name	
(f) Date of birth	DD/MM/YYYY	(g) Date of death	DD/MM/YYYY
2. Post held at the time of death: -			
(a) Name of the office			
(b) Post held substantively		(c) Officiating post	
(d) Level of pay in the pay matrix		(e) Basic pay	
(f) In case the last post was held outside the Government on foreign service terms-			
(i) Level of pay of the post held in the parent department		(ii) Basic pay	
(g) Total period of military service, if any, for which pension and/or gratuity was sanctioned			
(h) Amount of any pension/gratuity received for the military service		(i) Nature of any pension/gratuity received for the military service	

3. Date of beginning of service		DD/MM/YYYY		
4. Service in Autonomous body/State Government, if any :-				
(a) Name of Organisation	(b) Post held	(c) Period of service		
		From	To	Total period
		DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	
(d) Whether the above service is to be counted for gratuity in the Government			☐ YES	☐ NO
(e) Whether the Autonomous Organisation has discharged its pensionary liability to the Railways			☐ YES	☐ NO
(f) Amount of any pension/gratuity received for the previous civil service, if any		(g) Nature of any pension/gratuity received for the previous civil service, if any		
5. Service qualifying for gratuity:				
(a) Details of omission, imperfection or deficiencies in the service book which have been ignored]				
(b) Periods of non-qualifying service:		From	To	No. of days
Interruption in service condoned				
Extraordinary leave not qualifying for gratuity				
Period of suspension treated as non-qualifying				
Boy service				
Periods of foreign service with United Nations bodies for which United Nations pension has been availed				
Any other service not treated as qualifying service				
Total Period of non-qualifying service				
(c) Additions to qualifying service:		From	To	No. of days
Civil service				
Military service				
Benefit of service in a State Government/ Autonomous Body				
Temporary status service (half of the total period)				
Total Period of qualifying service				
(d) Net qualifying service				
(e) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods (Period of three months and above is to be treated as completed six monthly period)				
6. Emoluments :-				
(a) Emoluments in terms of Rule 10(2)(iv)				
(b) Emoluments drawn during ten months preceding death	From	DD/MM/YYYY	To	DD/MM/YYYY
Note : If the officer was on foreign service immediately before retirement, the emoluments which he would have drawn under Government but for being on foreign service may be mentioned in items (a) and (b) above.				
(c) Average emoluments in terms of Rule 10(2)(iv)				
(d) Emoluments or average emoluments (whichever is higher)				
(e) Pay reckoned for family pension [same as (d)]				
(f) Dearness allowance on (d) as admissible on the date of death				
(g) Emoluments reckoned for gratuity [(d) + (f)]				
7. Amount of death gratuity:-				
8. Details of Government dues recoverable out of gratuity: -				
(a) License fee for occupation of Government accommodation				
(b) Amount to be withheld as indicated by the Directorate of Estates				
(c) Dues referred to in Rule 77 (2) of Railway Services (Pension) Rules, 2026				
(d) Net amount payable as gratuity				

9. Details of the nominee(s) to whom gratuity is payable:-						
S.No.	(a) Name	(b) Date of birth	(c) Aadhaar No.* (if available)	(d) Share in gratuity	(e) Relationship with deceased railway servant	(f) Address
1.		DD/MM/YYYY				
2.		DD/MM/YYYY				
3.		DD/MM/YYYY				
10. Details of guardian/nominee who will receive payment of gratuity in the case of minor/mentally disabled children						
S.No.	(a) Name of minor/mentally disabled child	(b) Name of guardian	(c) Aadhaar No.* (if available)	(d) Relationship with deceased railway servant	(e) Address of guardian	
11. Details of family pension						
Rate of family pension					Amount of family pension	
For widow/widower/child Death covered under Category B - @ Pay on the date of death x 60/100 Death covered under Category C or D - @ Pay on the date of death						
For parent/minor sibling/disabled sibling Death covered under Category B - @ Pay on the date of death x 60/100 x 75/100 Death covered under Category C or D - @ Pay on the date of death x 75/100						
12. Name of the family member(s) to whom family pension is to be authorized in Pension Payment Order:-						
(a) Details of spouse and other family members who will share the family pension with percentage of family pension payable to each.						
Name	Relation with railway servant	Monthly income	If the claimant is a widowed/divorced daughter, date of death of husband/ date of divorce*	If the claimant is a disabled child/sibling , date from which suffering from disability	Postal address (with PIN code), Mobile No. and email ID	Percentage of family pension payable
* If the date of divorce is after the date of death of both parents, then date of filing of divorce petition may be indicated in this column						
(b) Name and relation of family member to be co-authorised (i.e. disabled child/dependant parent/disabled sibling)						
Name			Relation with deceased railway servant			
13. Details of guardian who will receive payment of family pension in the case of minor/ mentally disabled children:-						
S.No.	(a) Name of minor/ mentally disabled child	(b) Name of guardian	(c) Aadhaar No.* (if available)	(d) Relationship with deceased/ railway servant	(e) Address of guardian	
1.						
2.						
3.						

14. Whether Fixed Medical Allowance is admissible:-	☐ YES	☐ NO	Amount (₹)
Place: Date: (Signature of Head of Office)			

PART II
Account Enfacement
Section I

Total period of qualifying service accepted for gratuity	
Net amount of gratuity after adjusting Government or Railway dues	
Amount of family pension	
Date from which family pension is admissible	DD/MM/YYYY
Head of account to which gratuity and family pension are debitible	

Section II

Details of deceased railway servant			
Name		Date of death	DD/MM/YYYY
Amount of family pension authorised		Amount of gratuity authorised	
Date of commencement of family pension	DD/MM/YYYY	Amount recoverable from gratuity	
Amount of gratuity withheld pending receipt of 'No Demand Certificate'			
Name of the family member(s) to whom family pension is to be authorized in Pension Payment Order			
(a) Details of spouse and other family members who will share the family pension, with percentage of family pension payable to each.	Name	Relation with railway servant	Percentage of family pension payable
(b) Name and relation of family member(s) to be co-authorised (i.e. disabled child/dependant parent/disabled sibling)	Name	Relation with railway servant	
Date from which regular family pension is to commence by Pension Disbursing Authority			DD/MM/YYYY

Place:
 Date:

(Signature of Account Officer)

CALCULATION SHEET FOR GRATUITY or FAMILY PENSION

1. Name		2. Designation	
3. Date of Birth	DD/MM/YYYY	4. Level of pay in the pay matrix	5. Basic pay
6. Date of entry in the railway service	DD/MM/YYYY	7. Date of Death	DD/MM/YYYY
8. Length of qualifying service reckoned for gratuity(as indicated in PPO)			
9. Emoluments or average emoluments, whichever is higher			
10. Dearness Allowance on item (9) on the date of death			
11. Emoluments for gratuity [(9)+(10)]			
12. Death gratuity admissible			
13. Pay for family pension (as indicated in Pension Payment Order)			
14. Family pension admissible (calculation to be shown as follows) :-			
Rate of family pension			Amount
For widow/widower/child Death covered under Category B - @ Pay on the date of death x 60/100 Death covered under Category C or D - @ Pay on the date of death For parent/minor sibling/disabled sibling Death covered under Category B - @ Pay on the date of death x 60/100 x 75/100 Death covered under Category C or D - @ Pay on the date of death x 75/100			
15. Amount of Fixed Medical Allowance, if admissible			

Signature of the head of Office

Countersigned by PAO

Copy to:- Shri/Smt./Kumari
 (Retired/retiring railway servant)

FORM E-7

[See rule 15(8) (b)]

[Assessment and Authorisation of Payment of Family Pension under Railway Services (EOP) Rules, 2026 to the family of a railway servant in respect of whom family pension was authorised under Railway Services (Pension) Rules, 2026]

Photograph of
claimant(s).

Part I
Section I

1. Details of the deceased railway servant:-			
(a) Name			
(b) Nationality		(c) Religion	
(d) Mother's Name		(e) Father's Name	
(f) Date of birth	DD/MM/YYYY	(g) Date of death	DD/MM/YYYY
2. Post held at the time of death: -			
(a) Name of the office			
(b) Post held substantively		(c) Officiating post	
(d) Level of pay in the pay matrix		(e) Basic pay	
3. Service qualifying for gratuity:			
(a) Net qualifying service			
(b) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods (Period of three months and above is to be treated as completed six monthly period)			
4. Emoluments :-			
(a) Emoluments in terms of Rule 10(2)(iv)			
(b) Average emoluments in terms of Rule 10(2)(iv)			
(c) Emoluments or average emoluments (whichever is higher)			
(d) Pay reckoned for family pension [same as (c)]			
(e) Dearness allowance on (c) as admissible on the date of death			
(f) Emoluments reckoned for gratuity [(c) + (e)]			
5. Details of gratuity and family pension authorised under Railway Services (Pension) Rules, 2026			
(a) PPO No.			
(b) Amount of Retirement Gratuity authorised			
(c) Amount of family pension authorised			
(i) At ordinary rate			
(ii) At enhanced rate			
(d) Date from which family pension under Railway Services (Pension) Rules, 2026 was authorised	DD/MM/YYYY		
6. Proposed amount of death gratuity			
7. Proposed family pension			
Rate of family pension		Amount of family pension	
For widow/widower/child			
Death covered under Category B - @ Pay on the date of death x 60/100			
Death covered under Category C or D - @ Pay on the date of death			

For parent/minor sibling/disabled sibling Death covered under Category B - @ Pay on the date of death x 60/100 x 75/100 Death covered under Category C or D - @ Pay on the date of death x 75/100						
Date from which family pension under Railway Services (Pension) Rules, 2026 is to be authorised						DD/MM/YYYY
8. Name of the family member(s) to whom family pension is to be authorized in Pension Payment Order:-						
(a) Details of spouse and other family members who will share the family pension with percentage of family pension payable to each.						
Name	Relation with railway servant	Monthly income	If the claimant is a widowed/divorced daughter, date of death of husband/ date of divorce*	If the claimant is a disabled child/sibling, date from which suffering from disability	Postal address (with PIN code), Mobile No. and email ID	Percentage of family pension payable
* If the date of divorce is after the date of death of both parents, then date of filing of divorce petition may be indicated in this column						
(b) Name and relation of family member to be co-authorised (i.e. disabled child/dependant parent/disabled sibling)						
Name			Relation with railway servant			
9. Details of guardian who will receive payment of family pension in the case of minor/ mentally disabled children:-						
S.No.	(a) Name of minor/ mentally disabled child	(b) Name of guardian	(c) Aadhaar No.* (if available)	(d) Relationship with deceased/ railway servant	(e) Address of guardian	
1.						
2.						
3.						
10. Whether Fixed Medical Allowance is admissible:-			☐ YES ☐ NO		Amount (₹)	
Place: Date: (Signature of Head of Office)						

PART II
Account Authorisation
Section I

Details of gratuity and family pension authorised under RS (Pension) Rules, 2026	
(a) PPO No.	
(b) Amount of retirement gratuity authorised	
(c) Amount of family pension authorised	
(i) At ordinary rate	
(ii) At enhanced rate	
(d) Date from which family pension under Railway Services (Pension) Rules, 2026 was authorised	DD/MM/YYYY
Total period of qualifying service accepted for gratuity	
Amount of death gratuity admissible	
Net amount of gratuity after adjusting Government or railway dues	
Amount of family pension under under Railway Services (Pension) Rules, 2026	
Date from which family pension is admissible	DD/MM/YYYY
Head of account to which gratuity and family pension are debitible	

Section II

Details of deceased railway servant			
Name		Date of death	DD/MM/YYYY
Amount of family pension authorized under Railway Services (Pension) Rules, 2026		Amount of gratuity authorised	
Date of commencement of family pension	DD/MM/YYYY	Amount recoverable from gratuity	
Name of the family member(s) to whom family pension is to be authorized in Pension Payment Order			
(a) Details of spouse and other family members who will share the family pension, with percentage of family pension payable to each.	Name	Relation with railway servant	Percentage of family pension payable
(b) Name and relation of family member(s) to be co-authorised (i.e. disabled child/dependant parent/disabled sibling)	Name	Relation with railway servant	

Place:

Date:

(Signature of Account Officer)

CALCULATION SHEET FOR GRATUITY/FAMILY PENSION

1. Name				2. Designation		
3. Date of Birth	DD/MM/YYYY	4. Level of pay in the pay matrix		5. Basic pay		
6. Date of entry in the railway service	DD/MM/YYYY	7. Date of Death	DD/MM/YYYY			
8. Length of qualifying service reckoned for gratuity(as indicated in PPO)						
9. Emoluments or average emoluments, whichever is higher						
10. Dearness Allowance on item (9) on the date of death						

11. Emoluments for gratuity [(9)+(10)]	
12. Death gratuity admissible	
13. Pay for family pension (as indicated in Pension Payment Order)	
14. Family pension admissible (calculation to be shown as follows) :-	
Rate of family pension	Amount
For widow/widower/child Death covered under Category B - @ Pay on the date of death x 60/100 Death covered under Category C or D - @ Pay on the date of death	
For parent/minor sibling/disabled sibling Death covered under Category B - @ Pay on the date of death x 60/100 x 75/100 Death covered under Category C or D - @ Pay on the date of death x 75/100	
15. Amount of Fixed Medical Allowance, if admissible	

Signature of the head of Office

Countersigned by PAO

Copy to:- Shri/Smt./Kumari
(Retired/retiring railway servant)

[F. No. F(E)III/2026/PN1/1]

ABHEEJIT KUMAR SINHA, Executive Director, Finance (Establishment)